www.raceias.com

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

नवम्बर, 2025 | ₹ 60/-

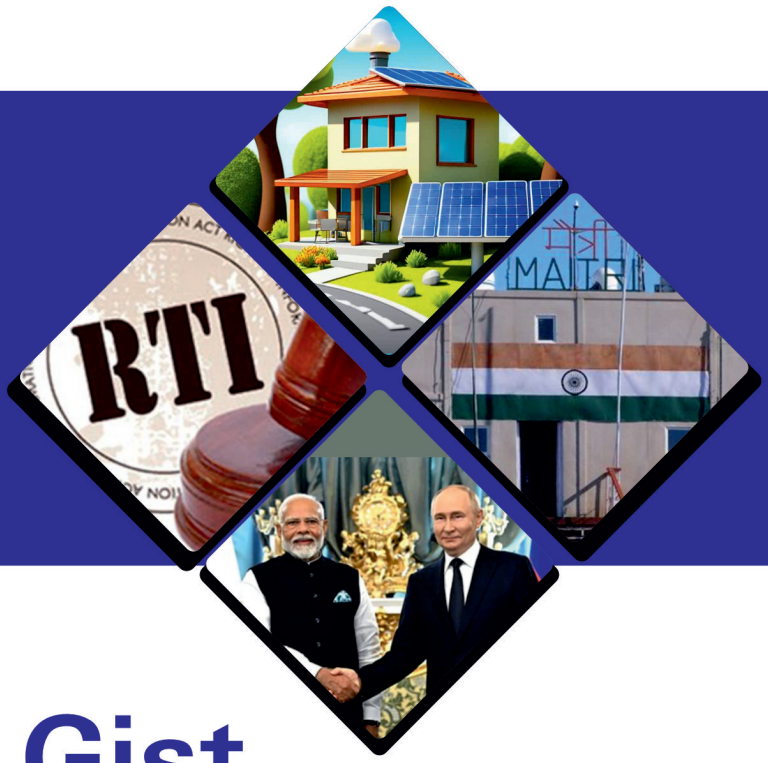

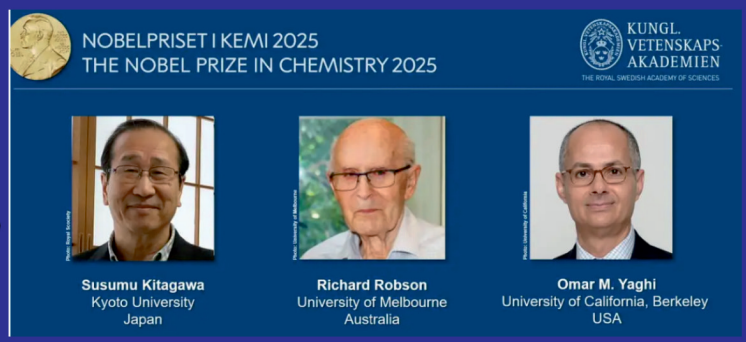

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा
अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

Gist of

THE HINDU | pib | The Indian EXPRESS | Kurukshetra | YOJANA

Raghav Publication House

RACE IAS®

Since 2010

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

MAINS TEST SERIES -2025

सामान्य अध्ययन, हिन्दी एवं निबंध

प्रारंभ 01 नवम्बर 2025

REGISTRATION OPEN

Mode: Offline I Online

Available in English & हिन्दी

Every Saturday

Time : 3:00 to 6:00 PM

Fee ₹ 5,000/-

प्रश्नों की प्रकृति

परम्परागत, अवधारणात्मक
एवं करेंट अफेयर्स आधारित

Total 14 Tests

कम-से-कम एक बार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा / उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. मुख्य परीक्षा या कम-से-कम एक बार सिविल सेवा साक्षात्कार / उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. साक्षात्कार में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए

फीस मात्र 4000 /-

REGISTER NOW

CALL US NOW!

9044241755

मुख्य विशेषताएं

- दैनिक रूप से उत्तर लेखन अभ्यास
- सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रदेश विशेष खण्डों की पृथक कक्षा
- अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन
- परीक्षा के बाद फेस टू फेस फीडबैक

नोट - मुख्य परीक्षा / साक्षात्कार में शामिल अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए अपना एडमिट कार्ड/अंक पत्र/साक्षात्कार पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Contact for info.:

ALIGANJ	INDIRA NAGAR	ALAMBAGH	KANPUR
7388114444	9044137462	8917851448	9044327779

Scan the QR CODE for more information

अनुक्रमणिका

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट 2023 ---------- 1
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) विकास पूर्वानुमान ---------- 2
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना ---------- 3
ट्रम्प की गाजा शांति योजना ---------- 3
भारत के डेयरी क्षेत्र में रुझान ---------- 4
वासेनार व्यवस्था---------- 5
पांडा कूटनीति ---------- 6
भारत-भूटान रेल संपर्क 2024 परियोजना ----------7
पोलैंड नाटो की ईंधन नेटवर्क पाइपलाइन में शामिल हुआ ---------- 8
स्थिर सिक्के ---------- 9
स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु वित्त ---------- 10
क्रायो बैंक पहल ---------- 10
सामाजिक न्याय की स्थिति 2025 ---------- 11
भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु ---------- 13
एच-1बी वीज़ा: विकास, सुधार और नीतिगत बदलाव ---------- 15
राष्ट्रीय मखाना बोर्ड---------- 17
नोबेल चिकित्सा पुरस्कार 2025 ---------- 18
ट्रेड वॉच त्रैमासिक रिपोर्ट ---------- 20
भारत-यूके संबंध और व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) ---------- 21
रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025: धातु-कार्बनिक फ्रेमवर्क (MOFs) ---------- 22
भारत की सौर पहल ---------- 23
जलकुंभी ---------- 24
राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन कार्यक्रम ---------- 26
साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 ---------- 27
श्रम शक्ति नीति 2025 ---------- 28
लिंग-पुष्टि देखभाल (जीएसी) ---------- 30
अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) संघर्ष ---------- 31
सक्सम ड्रोन सिस्टम ---------- 32
जनसांख्यिकी मिशन ---------- 33
दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ---------- 35
यूनेस्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय ----------36
दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन ---------- 37
डूरंड रेखा ---------- 38
मिस ऋषिकेश विवाद ---------- 39
भू-राजनीतिक और सामरिक मामले ---------- 40
भारत की नीली अर्थव्यवस्था ---------- 41
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा में अस्पष्ट स्थान---------- 42
भारत-ऑस्ट्रेलिया स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी---------- 43
मैत्री-2 ---------- 44

RACE IAS

लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता, उन्नति और प्रदर्शन शील्ड (LEAPS) 2025 ---------- 44
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) ---------- 45
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 ---------- 46
ईपीएफ नए निकासी नियम 2025: सरलीकरण और लचीलापन ---------- 47
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी) ---------- 48
चूना पत्थर ---------- 49
मेडागास्कर ---------- 50
भारत में नगर पालिकाओं की राजकोषीय संरचना ---------- 50
भारत में जैव प्रौद्योगिकी का उदय और इसके विस्तार की चुनौतियाँ ---------- 51
भारत में शहरी राजकोषीय वास्तुकला ---------- 53
सांस्कृतिक सहानुभूति के माध्यम से नेतृत्व ---------- 54
आईयूसीएन और पश्चिमी घाट, मानस और सुंदरबन ---------- 55
भारत-रूस रक्षा सहयोग और भू-राजनीतिक संतुलन ---------- 55
डोपामाइन ओवरडोज ---------- 56
राज्यों के लिए राजकोषीय स्थान बहाल करना ---------- 57
दक्षिण अटलांटिक विसंगति (SAA) ---------- 58
राज्य खनन तत्परता सूचकांक (एसएमआरआई) ---------- 59
भारत के कार्बन बाजार में चुनौतियाँ और सुरक्षा उपाय ---------- 60

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट 2023

प्रसंग

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने दो साल के अंतराल के बाद अपनी **"भारत में अपराध रिपोर्ट 2023" जारी की** । यह रिपोर्ट साइबर अपराध की बढ़ती भूमिका, सड़क दुर्घटनाओं, किसान आत्महत्याओं और कमजोर समुदायों के खिलाफ अपराधों को लेकर जारी चिंताओं पर प्रकाश डालती है, साथ ही पारंपरिक हिंसक अपराधों में बदलाव को भी दर्शाती है।

अवलोकन और रुझान

एनसीआरबी की 2023 रिपोर्ट भारत में अपराध के स्वरूप का व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें आधुनिक प्रकार के अपराधों में वृद्धि तथा पारंपरिक हिंसक अपराधों में मामूली गिरावट का उल्लेख किया गया है।

मुख्य बातें:

- **समग्र अपराध प्रवृत्ति:** भारत में कुल अपराधों में **7.2% की वृद्धि हुई** , जिसका अर्थ है कि हर पांच सेकंड में एक अपराध की सूचना दी गई।
- **साइबर अपराध:**
  - **2018 में** मामले 27,248 से बढ़कर **2023 में 86,420** हो गए ।
  - 2022 (65,000 मामले) और 2023 के बीच 31% की तीव्र **वृद्धि दर्ज की गई।**
  - प्रमुख श्रेणियाँ: **धोखाधड़ी, वित्तीय घोटाले और ऑनलाइन यौन शोषण** ।
  - **साइबर अपराध हॉटस्पॉट:** कर्नाटक (अश्लील सामग्री मामलों में अग्रणी), तेलंगाना (**18,236 मामले**), और उत्तर प्रदेश।
- **सड़क दुर्घटनाएं:**
  - 2023 में मृत्यु दर **1.73 लाख तक पहुंच जाएगी, जो** 2022 से **1.6% अधिक है ।**
  - मुख्य कारण: **तेज गति से वाहन चलाना (58.6%)** और **लापरवाही से वाहन चलाना/ओवरटेक करना (23.6%)** ।
- **आर्थिक अपराध:** लगभग **2.49 लाख मामलों** (धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली मुद्रा) के साथ **6% की वृद्धि** दर्ज की गई ।
- **विदेशियों के विरुद्ध अपराध: 24%** की वृद्धि ; **63 मामलों** के साथ दिल्ली शीर्ष पर ।
- **किसान आत्महत्याएं:** 2023 में **10,786 किसानों और कृषि श्रमिकों की** आत्महत्या से मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे अधिक संख्या में आत्महत्याएं हुईं, इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा।
- **पारंपरिक हिंसक अपराध:**
  - **हत्या के** मामलों में **2.8% की गिरावट आई** ।
  - **बलात्कार के** मामलों में **5.9% की गिरावट आई** ।
- **आधुनिक अपराध:** मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनों में **103% से अधिक की वृद्धि हुई** , जो बदलती शहरी चुनौतियों को दर्शाता है।

कमजोर समूहों के खिलाफ अपराध

रिपोर्ट में सामाजिक रूप से कमजोर आबादी के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

- **महिलाएं:** महिलाओं के विरुद्ध अपराध में **0.7% की वृद्धि हुई** ।
- **अनुसूचित जाति (एससी):** अपराधों में **0.4% की वृद्धि हुई** ।
- **अनुसूचित जनजाति (एसटी): 28.8%** की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई , जिससे बड़ी चिंता पैदा हुई।
- **बच्चे: मामलों में 9.2%** की वृद्धि हुई , **जो 2023 में 177,735 तक पहुंच गई** ।
  - **मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र** में सबसे अधिक मामले (लगभग 22,000 मामले प्रत्येक) हैं, इसके बाद **उत्तर प्रदेश (18,000 मामले) का स्थान है** ।
  - प्रमुख श्रेणियों में **तस्करी, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और POCSO अधिनियम के तहत मामले शामिल थे** ।

विश्लेषण और सिफारिशें

एनसीआरबी के आंकड़े भारत के उभरते आपराधिक परिदृश्य को रेखांकित करते हैं, जिसमें डिजिटल अपराध सबसे बड़ी चुनौती है।

चुनौतियाँ:

- **साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल शोषण** में वृद्धि ।
- प्रौद्योगिकी-चालित अपराधों के पुलिसिंग और न्यायिक संचालन में **क्षमता सीमाएं ।**
- ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों की शोषण के प्रति संवेदनशीलता।

RACE IAS

अनुशंसाएँ:

- **साइबर सुरक्षा ढांचे** और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ।
- उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण और फोरेंसिक क्षमताओं के साथ **पुलिस सुधार ।**
- ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए **जन जागरूकता और डिजिटल साक्षरता अभियान ।**
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी):** प्रभावी अपराध रोकथाम के लिए सरकारी एजेंसियों, न्यायपालिका, प्रौद्योगिकी फर्मों और नागरिक समाज के बीच सहयोग।
- **बाल संरक्षण, जनजातीय सुरक्षा और किसान संकट** पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के बारे में

- **स्थापना: 1986** में निर्मित .
- **पृष्ठभूमि: टंडन समिति** , **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी)** और **गृह मंत्रालय (एमएचए) के टास्क फोर्स** की सिफारिशों पर स्थापित ।
- **नियंत्रण मंत्रालय:** गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2023 एक जटिल परिदृश्य को दर्शाती है, जहां पारंपरिक अपराधों में कमी आएगी, लेकिन साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी और वाहन उल्लंघन में वृद्धि होगी, साथ ही कमजोर समुदायों के खिलाफ अत्याचार बढ़ेंगे, जिसके लिए प्रणालीगत सुधार, तकनीकी पुलिसिंग, न्यायिक दक्षता और सहभागी शासन की आवश्यकता होगी।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) विकास पूर्वानुमान

प्रसंग

एशियाई **विकास बैंक (एडीबी)** ने वैश्विक व्यापार तनावों के कारण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान में थोड़ी कटौती की है। यह संशोधन अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की पृष्ठभूमि में किया गया है, जिससे निर्यात और विकास की गति प्रभावित होने की आशंका है।

भारत के लिए एडीबी का विकास पूर्वानुमान

- **पूर्वानुमान अद्यतन:** एडीबी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को कम कर दिया है।
- **कारण:** इस संशोधन के पीछे प्राथमिक कारक भारतीय वस्तुओं पर **अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव है** , जो व्यापार प्रवाह और निवेश भावना को कमजोर कर सकता है।
- **संशोधित विकास दर:** पहले के **6.7% विकास अनुमान** को घटाकर **6.5% कर दिया गया है** ।
- **निहितार्थ:** यद्यपि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, संशोधित पूर्वानुमान में बाह्य व्यापार दबावों से जुड़ी कमजोरियों पर प्रकाश डाला गया है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में

- **स्थापना: 1966** में स्थापित .
- **मुख्यालय: मनीला, फिलिप्पीन्स** ।
- **उद्देश्य:** एशिया और प्रशांत क्षेत्र में **विकास और गरीबी उन्मूलन को** बढ़ावा देना ।
- **सदस्यता:** कुल **69 सदस्य** , जिनमें से:
  - **49 सदस्य** एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं।
  - **20 सदस्य** अन्य क्षेत्रों से हैं, जो दर्शाता है कि एडीबी केवल एशियाई देशों तक ही सीमित नहीं है।
- **कार्य:**
  - **ऋण, अनुदान, इक्विटी निवेश और तकनीकी सहायता** प्रदान करता है ।
  - दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- **फोकस क्षेत्र:** बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, और सतत विकास पहल।

संबंधित विकास बैंक

- **एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी): इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन** में है , तथा यह अवसंरचना निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी): इसका मुख्यालय अबिदजान, कोटे डी आइवर** में है , यह देश विश्व स्तर पर एक प्रमुख कोको उत्पादक के रूप में जाना जाता है।

निष्कर्ष

एशियाई विकास बैंक का भारत के लिए संशोधित पूर्वानुमान इस बात पर प्रकाश डालता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तनाव, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के टैरिफ, घरेलू विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। हालाँकि इसे 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है, फिर भी भारत का पूर्वानुमान मज़बूत बना हुआ है, जिसके लिए मज़बूत माँग, विविध निर्यात और प्रतिस्पर्धी लचीलापन ज़रूरी है।

RACE IAS

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना

प्रसंग

भारत सरकार ने **निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना को 31 मार्च, 2026** तक बढ़ा दिया है। इस विस्तार का उद्देश्य छिपी हुई लागतों को कम करके निर्यातकों को निरंतर समर्थन प्रदान करना है, जिससे भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी।

RODTEP योजना के बारे में

- **लॉन्च: निर्यातित उत्पादों** के निर्माण और वितरण के दौरान किए गए सभी अप्रतिदेय केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों और करों को बेअसर करके भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **2021** में पेश किया गया।
- **निलंबन और पुनरुद्धार:** प्रारंभिक रोलआउट के बाद अस्थायी रूप से रोक दी गई इस योजना को **2025 की शुरुआत में पुनः शुरू किया गया**।
- **पूर्ण प्रपत्र: निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट**।
- **उद्देश्य:** उन करों और शुल्कों को वापस करना जो निर्यातक उठाते हैं, लेकिन अन्यथा दावा नहीं कर सकते, जिससे भारतीय निर्यात अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी बन सके।

योजना का तंत्र

- **वापसी योग्य कर शामिल:**
  - ईंधन कर.
  - बिजली शुल्क.
  - स्टाम्प शुल्क और अन्य अंतर्निहित शुल्क।
- **लाभ का तरीका: निर्यातकों को हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्स** के माध्यम से रिफंड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है।
- **विश्व व्यापार संगठन अनुपालन:**
  - RODTEP ने **MEIS का स्थान लिया, जिसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने** सब्सिडी मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया था।
  - एमईआईएस के विपरीत, आरओडीटीईपी पूरी तरह से **डब्ल्यूटीओ के अनुरूप है**, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत निर्यातकों को समर्थन देते हुए व्यापार विवादों से बच सके।

प्रशासन और बजटीय सहायता

- **प्रशासनिक मंत्रालय: वित्त मंत्रित्व**।
- **नोडल विभाग: राजस्व विभाग**.
- **बजटीय आवंटन: 2023-24** में RODTEP के लिए लगभग **₹15,000 करोड़ निर्धारित किए गए**, जो निर्यात-आधारित विकास को बढ़ावा देने पर सरकार के मजबूत फोकस को दर्शाता है।

योजना का महत्व

- वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की **प्रतिस्पर्धात्मकता को** बढ़ाता है।
- अन्य तंत्रों के माध्यम से वापस न किए जाने वाले छिपे हुए घरेलू करों को निष्प्रभावी करके **समान अवसर** सुनिश्चित करना।
- **निर्यात विविधीकरण का** समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
- इस योजना को अब **2026 तक बढ़ा दिया गया है**, जिससे निर्यातकों को **पूर्वानुमान लगाने में** सुविधा होगी।

निष्कर्ष

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना, विश्व व्यापार संगठन के अनुपालन को बनाए रखने और साथ ही छिपे हुए शुल्कों की भरपाई करके निर्यातकों का समर्थन करने की भारत की रणनीति को दर्शाती है। मार्च 2026 तक इसका विस्तार नीतिगत स्थिरता, निवेशकों का विश्वास और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करता है।

ट्रम्प की गाजा शांति योजना

प्रसंग

भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रम्प के 20-सूत्रीय गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे पश्चिम एशिया में स्थायी स्थिरता का मार्ग बताया। युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, शासन सुधारों और गाजा के पुनर्निर्माण पर केंद्रित इस योजना को कूटनीतिक ढाँचे के रूप में अरब और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है।

गाजा शांति योजना के बारे में

- **2023-25 के इज़राइल-हमास युद्ध को** समाप्त करने के उद्देश्य से एक कूटनीतिक पहल।
- **"नए गाजा" विशेष आर्थिक क्षेत्र** में बदलने की परिकल्पना की गई है, जिसकी देखरेख एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी निकाय द्वारा तब तक की जाएगी जब तक कि फिलिस्तीनी शासन सुधार पूरे नहीं हो जाते।
- **युद्ध विराम, निरस्त्रीकरण और पुनर्निर्माण को** फिलिस्तीनी राज्य की ओर सशर्त कदमों के साथ संयोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **तत्काल युद्ध विराम:** हमास की सहमति के बाद इजरायल सैन्य अभियान स्थगित कर देगा; स्थिरता बनाए रखने के लिए युद्ध रेखाएँ स्थिर रहेंगी।
- **बंधक-कैदी अदला-बदली:** हमास 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों (जीवित और मृत) को रिहा करेगा; इजरायल 2,000 से अधिक **फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा**।

- **कोई जबरन विस्थापन नहीं:** जनसांख्यिकीय संतुलन और मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए फिलिस्तीनियों को गाजा से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- **हमास का बहिष्कार:** भविष्य के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। इसके सदस्य **क्षमादान या विदेश में सुरक्षित यात्रा के बदले में निरस्त्रीकरण कर सकते हैं** ।
- **शांति बोर्ड:** गाजा के शासन और पुनर्निर्माण का प्रबंधन करने के लिए
  डोनाल्ड ट्रम्प और टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण निकाय ।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल:** अरब भागीदारी सहित एक बहुराष्ट्रीय बल शांति बनाए रखेगा और फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करेगा।
- **आर्थिक क्षेत्र:** गाजा को एक **विशेष आर्थिक केंद्र के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा** , जिसमें तरजीही व्यापार पहुंच और सहायता-संचालित विकास होगा।
- **सशर्त राज्य का दर्जा: फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) द्वारा** शासन सुधार लागू करने और सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने
  के बाद फिलिस्तीनी राज्य का राजनीतिक मार्ग खुल जाएगा ।

योजना का महत्व

- **युद्धविराम तंत्र:** नागरिक मृत्यु और विनाश में तत्काल कमी।
- **बंधक समाधान:** एक प्रमुख मानवीय मुद्दे को संबोधित करता है, विश्वास का निर्माण करता है।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक समर्थन:** अरब राज्यों, यूरोपीय संघ और भारत का समर्थन इसे बहुपक्षीय वैधता प्रदान करता है।
- **पुनर्निर्माण प्राथमिकता:** घरों, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय निगरानी:** सहायता और शासन की वैश्विक निगरानी के माध्यम से अविश्वास को कम करता है।

चुनौतियां

- **हमास की स्वीकृति:** कट्टरपंथी तत्व निरस्त्रीकरण या शासन से बहिष्कार को अस्वीकार कर सकते हैं।
- **इजरायल का संदेह:** इजरायल **सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंतित है** और फिलिस्तीनी प्राधिकरण की शासन करने की क्षमता पर संदेह करता है।
- **कार्यान्वयन बाधाएँ:** कैदियों की अदला-बदली, सहायता वितरण और युद्धविराम अनुपालन में जटिलताएँ।
- **राजनीतिक विभाजन:** हमास और पीए के बीच तनाव सुचारू शासन को अवरुद्ध कर सकता है।
- **राज्य का दर्जा अस्पष्ट समय-सीमा:** फिलिस्तीनी संप्रभुता के लिए एक निश्चित रोडमैप के अभाव में लंबे समय तक असंतोष का खतरा बना हुआ है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **आम सहमति निर्माण:** अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और अरब देशों की अधिक भागीदारी।
- **मजबूत निगरानी:** संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अरब साझेदारों द्वारा सहायता वितरण और युद्ध विराम की पारदर्शी निगरानी।
- **फिलिस्तीनी सुधार:** पीए को मजबूत करना, नागरिक संस्थाओं को सशक्त बनाना और समावेशी शासन सुनिश्चित करना।
- **दो-राज्य संबंध: गाजा के पुनर्निर्माण को** स्थायी शांति के लिए
  व्यवहार्य दो-राज्य समाधान के बड़े लक्ष्य से जोड़ा जाना चाहिए ।

निष्कर्ष

गाजा शांति योजना पश्चिम एशिया में एक अनूठा कूटनीतिक अवसर प्रदान करती है, लेकिन हमास की सहमति और इज़राइल की सुरक्षा गारंटी के बिना यह अनिश्चित है। स्थायी शांति के लिए एक समावेशी ढाँचे की आवश्यकता है जो फ़िलिस्तीनी राज्य का दर्जा, इज़राइली सुरक्षा, मानवीय राहत, पुनर्निर्माण और राजनीतिक सुधार के बीच संतुलन बनाए रखे।

भारत के डेयरी क्षेत्र में रुझान

प्रसंग

भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए है और विश्व की आपूर्ति में लगभग 25% का योगदान देता है। डेयरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5% का योगदान देता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों की आजीविका का आधार है। पिछले एक दशक में, दुग्ध उत्पादन में 63.56% की वृद्धि हुई है, जो मजबूत विकास, समावेशिता और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।

बढ़ता उत्पादन

- दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, जो **2014-15 में 146.3 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2023-24 में 239.3 मीट्रिक टन** हो गया है ।
- यह **5.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है** , जो भारत को अन्य वैश्विक उत्पादकों से काफी आगे रखता है।

प्रति व्यक्ति उपलब्धता

- पिछले दशक में
  दूध की उपलब्धता में **48% की वृद्धि हुई है।**
- वर्तमान उपलब्धता **471 ग्राम/व्यक्ति/दिन है** , जो **वैश्विक औसत 322 ग्राम/व्यक्ति/दिन से काफी अधिक है** , जिससे भारत में पोषण सुरक्षा में सुधार हुआ है।

गोजातीय उत्पादकता

- भारत में **गोजातीय उत्पादकता में 27.39% की वृद्धि दर्ज की गई है (2014-22)** , जो विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर है।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन और उन्नत प्रजनन पद्धतियों** जैसी पहलों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डेयरी में महिलाओं की भूमिका

- डेयरी क्षेत्र में
  लगभग **70% कार्यबल महिलाएं हैं।**
- से अधिक **महिला-नेतृत्व वाली डेयरी सहकारी समितियां लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास** में इस क्षेत्र के योगदान को उजागर करती हैं ।
- डेयरी सहकारी समितियां **स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)** और ग्रामीण आजीविका को भी मजबूत बनाती हैं।

तकनीकी अपनाना

- से अधिक **कृत्रिम गर्भाधान (एआई) प्रक्रियाओं और 38,000 से अधिक मैत्री (ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन)** की तैनाती ने पशुधन प्रबंधन को बदल दिया है।
- **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ), लिंग-सॉर्टेड वीर्य और संतान परीक्षण** जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियां आनुवंशिक गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार ला रही हैं।

श्वेत क्रांति 2.0

- **स्थिरता, सहकारी विस्तार और किसान-केंद्रित विकास** पर ध्यान केंद्रित करता है ।
- पूरे भारत में
  75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना ।
- **2028-29** तक खरीद को **1007 लाख किलोग्राम/दिन** तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है ।
- विश्व में डेयरी केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए
  जलवायु-अनुकूल डेयरी फार्मिंग और मूल्य संवर्धन पर जोर दिया जाएगा ।

निष्कर्ष

डेयरी क्षेत्र भारत के **सबसे बड़े आत्मनिर्भर ग्रामीण उद्यम का प्रतिनिधित्व करता है** , जो पोषण सुरक्षा को रोज़गार सृजन और समावेशी विकास के साथ जोड़ता है। बढ़ते उत्पादन, मज़बूत सहकारी मॉडल और महिला नेतृत्व के साथ, भारत **श्वेत क्रांति 2.0 की ओर बढ़ रहा है, जिससे डेयरी क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व** और ग्रामीण समुदायों का **ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण** सुनिश्चित होगा ।

वासेनार व्यवस्था

प्रसंग

वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) पर सुधार का दबाव है, क्योंकि 1990 के दशक का इसका निर्यात नियंत्रण ढांचा क्लाउड सेवाओं, सास मॉडल, एआई और डिजिटल निगरानी प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो अक्सर पारंपरिक हथियार नियंत्रण तंत्र से बच निकलते हैं।

वासेनार व्यवस्था क्या है?

- पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं/प्रौद्योगिकियों के लिए
  बहुपक्षीय **निर्यात नियंत्रण व्यवस्था ।**
- **स्थापना:** 1996 में वासेनार, नीदरलैंड (कोकॉम, शीत युद्ध निर्यात नियंत्रण प्रणाली का उत्तराधिकारी)।
- **प्रकृति:** संधि नहीं → स्वैच्छिक, सर्वसम्मति आधारित समन्वय तंत्र।
- **मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया, एक छोटा स्थायी सचिवालय।

उद्देश्य और लक्ष्य

- **पारदर्शिता और जिम्मेदारी:** हथियारों और संवेदनशील तकनीक के जिम्मेदार हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षा लक्ष्य:** आतंकवादियों, दुष्ट राज्यों या WMD प्रसार नेटवर्कों की ओर जाने से रोकना।
- **संतुलन:** राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और वैध व्यापार/नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखें।

सदस्यता

- **42 राज्य** जिनमें शामिल हैं:
  - प्रमुख शक्तियां: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान।
  - उभरती अर्थव्यवस्थाएँ: **भारत** , दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया।
- **सर्वसम्मति** से लिए गए निर्णय → प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय विवेकाधिकार रखता है।

प्रमुख विशेषताऐं

1. **नियंत्रण सूचियाँ**

- दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों की सूची.
- युद्ध सामग्री सूची.

2. **सूचना का आदान-प्रदान**
   - सदस्य हर 6 महीने में हथियारों के हस्तांतरण और इनकार पर डेटा साझा करते हैं।
3. **साइबर समावेशन (2013 से आगे):**
   - इसमें घुसपैठ सॉफ्टवेयर, साइबर निगरानी उपकरण शामिल करने के लिए विस्तार किया गया।

भारत और वासेनार व्यवस्था

- **2017 में इसमें शामिल होकर** , वैश्विक अप्रसार संरचना में भारत की स्थिति मजबूत हुई।
- WA नियंत्रण सूचियों को अपने **SCOMET ढांचे** (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी) में एकीकृत किया।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ **उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार** के लिए भारत की साख बढ़ी ।

मुद्दे और चुनौतियाँ

- **पुराना ढांचा:** अभी भी भौतिक वस्तुओं के लिए डिज़ाइन किया गया → डिजिटल युग के नियंत्रणों के लिए कम प्रभावी।
- **क्लाउड एवं SaaS खामियां:** सेवाएं भौतिक सीमाओं को पार किए बिना, जांच से बचकर प्रदान की जा सकती हैं।
- **एआई एवं निगरानी तकनीक:** पुरानी नियंत्रण सूचियों के अंतर्गत वर्गीकृत एवं विनियमित करना कठिन है।
- **प्रवर्तन का अभाव:** स्वैच्छिक प्रकृति अनुपालन को असमान बनाती है।
- **भू-राजनीतिक विचलन:** सदस्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता (अमेरिका बनाम रूस, आदि) सुधार प्रयासों को धीमा कर देती है।

निष्कर्ष

वासेनार व्यवस्था हथियारों और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय ढांचा बनी हुई है, फिर भी इसका पुराना भौतिक-निर्यात फोकस डिजिटल युग में प्रभावशीलता को सीमित करता है, जिससे एआई, क्लाउड सेवाओं और साइबर-निगरानी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुधारों की आवश्यकता होती है।

पांडा कूटनीति

संदर्भ:

पांडा कूटनीति, चीन की उस विशिष्ट प्रथा को संदर्भित करती है जिसमें वह अपने राजनयिक संबंधों और वैश्विक छवि को बढ़ाने के लिए विशाल पांडा को अपनी सौम्य शक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। प्राचीन चीनी इतिहास में निहित, इस कूटनीतिक कूटनीति को आधुनिक महत्व तब मिला जब बीजिंग ने सद्भावना, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए पांडा का उपयोग शुरू किया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

यह प्रथा तांग राजवंश (7वीं शताब्दी ई.) में शुरू हुई, जब महारानी वू ज़ेटियन ने सद्भावना के तौर पर जापान में पांडा भेजे थे। समकालीन इतिहास में, माओत्से तुंग के शासनकाल में शीत युद्ध के दौरान यह फिर से उभरी।

उदाहरण: 1972 में, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा के बाद, दो पांडा—लिंग-लिंग और हसिंग-हसिंग—स्मिथसोनियन के राष्ट्रीय चिड़ियाघर भेजे गए, जो नए सिरे से अमेरिका-चीन संबंधों और मित्रता का प्रतीक था।

उपहार से ऋण की ओर बदलाव (1980 के बाद)

1980 के दशक में, चीन ने संरचित समझौतों के माध्यम से पांडा को उपहार देने से ऋण देने की ओर रुख किया, जिसमें संरक्षण और राजस्व लक्ष्यों के साथ सॉफ्ट पावर को एकीकृत किया गया।

- ऋण मॉडल: प्राप्तकर्ता देश 10-वर्षीय ऋण के लिए पर्याप्त वार्षिक शुल्क (अक्सर लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का भुगतान करते हैं।
- अनुसंधान एवं राजस्व: चिड़ियाघरों को आगंतुकों की बढ़ती संख्या से लाभ होता है, जबकि चीन स्वामित्व और आनुवंशिक अधिकार अपने पास रखता है, जिससे संरक्षण नियंत्रण पर ज़ोर दिया जाता है।
  इस मॉडल ने चीन को पांडा विनिमय को राजनीतिक पेशकश के बजाय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

सामरिक और भू-राजनीतिक उपयोग

पांडा कूटनीति चीन की वैश्विक रणनीति का भी समर्थन करती है, जो पांडा ऋणों को राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्यों से जोड़ती है।

- संसाधन कूटनीति: पांडा को अक्सर उन देशों में भेजा जाता है जहां प्रमुख प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि यूरेनियम या ऊर्जा भंडार, जैसे कि कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया।
- कूटनीतिक संदेश: पांडा अक्सर तब आते हैं जब द्विपक्षीय संबंध बेहतर होते हैं और यदि संबंध बिगड़ते हैं तो उन्हें वापस बुलाया जा सकता है।
- सॉफ्ट पावर प्रक्षेपण: पांडा चीन को सद्भाव, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सहयोग की छवि पेश करने में मदद करता है।

समकालीन प्रासंगिकता और विकास

21वीं सदी में, पांडा कूटनीति चीन की वैश्विक पहुंच और विकसित होते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रतिबिंबित करती है।

- सहयोग का प्रतीक: पांडा अब एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका के चिड़ियाघरों में रहते हैं।
- हालिया संदर्भ: मेक्सिको सिटी के चापुल्टेपेक चिड़ियाघर में लैटिन अमेरिका का एकमात्र विशाल पांडा हाल ही में 35 साल का हो गया—जो कि पहले के उपहार युग का एक दुर्लभ जीवित प्राणी है। इसकी कहानी पांडा कूटनीति के एक प्रतीकात्मक अध्याय के अंत का प्रतीक है।
- भू-राजनीतिक रुझान: चीन अब पांडा ऋण को अपनी बेल्ट एंड रोड पहल और अन्य रणनीतिक साझेदारियों के साथ जोड़ रहा है।

सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव

पांडा लोगों की गहरी रुचि आकर्षित करते हैं, जिससे पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संरक्षण निधि को बढ़ावा मिलता है। पांडा वाले चिड़ियाघरों में अक्सर सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज की जाती है, जबकि सहयोगी प्रजनन और अनुसंधान प्रयास वैश्विक पांडा संरक्षण में सहायक होते हैं। पांडा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति, सद्भाव और मित्रता का प्रतीक बना हुआ है।

चुनौतियाँ और आलोचना

कूटनीति में इसके महत्व के बावजूद, पांडा कूटनीति को जांच का सामना करना पड़ता है:

- उच्च लागत: चिड़ियाघरों को देखभाल, सुविधाओं और ऋण भुगतान के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है।
- राजनीतिक उपयोग: आलोचक इसे विदेशी सरकारों को प्रभावित करने या पुरस्कृत करने के एक उपकरण के रूप में देखते हैं।
- नैतिक मुद्दे: राजनीतिक प्रतीकवाद और कैद में उनके कल्याण के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों के उपयोग की नैतिकता पर चिंताएं बनी हुई हैं।

निष्कर्ष:

पांडा कूटनीति चीन की सॉफ्ट पावर की एक पहचान बनी हुई है—संस्कृति, संरक्षण और कूटनीति के बीच सेतु का काम। प्राचीन उपहारों से लेकर संरचित ऋणों तक, पांडा शांति और साझेदारी के प्रतीक के रूप में आज भी कायम है। फिर भी, इसका भविष्य का प्रभाव विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं को नैतिक संरक्षण और पारस्परिक वैश्विक सहयोग के साथ संतुलित करने पर निर्भर करेगा।

भारत-भूटान रेल संपर्क 2024 परियोजना

संदर्भ:

भारत और भूटान ने अपनी पहली रेल संपर्क पहल शुरू की है, जो द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह परियोजना भारत की " *पड़ोसी पहले*" नीति और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच में सुधार, आपसी विश्वास और साझेदारी को मज़बूत करने के भूटान के लक्ष्य को दर्शाती है।

परियोजना के बारे में:

भारत-भूटान रेल संपर्क 2024 परियोजना दोनों देशों के बीच पहला रेल संपर्क स्थापित करती है। यह क्षेत्रीय संपर्क के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और भूटान की सतत आर्थिक वृद्धि की दिशा में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- प्रकृति: भारत और भूटान को जोड़ने वाला पहला सीमापार रेल संपर्क।
- उद्देश्य: सामाजिक-आर्थिक संबंधों को गहरा करते हुए व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुगम बनाना।
- लंबाई: लगभग 89 किमी, सीमा पार दो महत्वपूर्ण मार्गों को कवर करती है।

प्रस्तावित रेल गलियारे

- *एक्ट ईस्ट नीति* के तहत पूर्वोत्तर में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देता है ।
- बानरहाट (पश्चिम बंगाल) - समत्से (भूटान): यह सड़क दुआर्स क्षेत्र में समत्से को बानरहाट से जोड़ती है। यह भूटान की भारतीय व्यापार मार्गों तक पहुँच को बढ़ाती है और कृषि एवं वन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देती है।

सामरिक और आर्थिक महत्व

- **भूटान के लिए:**
  - यह भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से भारत के विशाल रेल नेटवर्क और वैश्विक व्यापार मार्गों से संपर्क प्रदान करता है।
  - इससे रसद लागत में कटौती होगी, व्यापार और पर्यटन की संभावनाओं में सुधार होगा।
- **भारत के लिए:**
  - हिमालय में रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है।
  - भूटान के प्रमुख विकास साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करता है।
  - भारत के *एक्ट ईस्ट* और *नेबरहुड फर्स्ट* एजेंडे को आगे बढ़ाता है।

वित्तीय एवं विकास सहयोग

भारत भूटान का शीर्ष विकास साझेदार बना हुआ है।

- वित्तपोषण: भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-2029) के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वादा किया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- क्षमता निर्माण: रेलवे और संबद्ध परियोजनाओं के लिए तकनीकी और रसद सहायता।

पूरक कनेक्टिविटी पहल

- जगीगोपा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल (असम): यह भूटान को कोलकाता और हल्दिया जैसे समुद्री बंदरगाहों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
- सड़क और हवाई संपर्क: भूटान-भारत मैत्री सहयोग के अंतर्गत चल रही परियोजनाएं सीमा पार गतिशीलता और व्यापार को बढ़ावा देती हैं।

जलविद्युत सहयोग:
जलविद्युत भारत-भूटान संबंधों का केंद्र बना हुआ है।
प्रमुख संयुक्त उद्यमों में शामिल हैं:

- चूखा (336 मेगावाट), 1988 से चालू।
- ताला (1,020 मेगावाट), 2006 में प्रक्षेपित।
- मंगदेछू (720 मेगावाट), का उद्घाटन 2019 में हुआ।
- कुरिचू और पुनात्सांगछू परियोजनाएँ नवीकरणीय ऊर्जा संबंधों को और मज़बूत बनाती हैं।
  ये परियोजनाएँ भारत को स्वच्छ बिजली प्रदान करती हैं और भूटान की अर्थव्यवस्था को सहारा देती हैं।

भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय महत्व

- यह हिमालयी क्षेत्र में भारत की सामरिक गहराई को मजबूत करता है और बाहरी प्रभाव का मुकाबला करता है।
- बिम्सटेक और बीबीआईएन ढांचे के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को एकीकृत करना, भूटान के कार्बन-तटस्थ लक्ष्यों का समर्थन करना।

निष्कर्ष:
भारत-भूटान रेल संपर्क 2024 परियोजना एक परिवर्तनकारी साझेदारी का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें बुनियादी ढाँचा, स्थिरता और कूटनीति का सम्मिश्रण है। यह साझा समृद्धि, क्षेत्रीय स्थिरता और दीर्घकालिक मित्रता का प्रतीक है, जो दक्षिण एशियाई एकीकरण और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगी।

पोलैंड नाटो की ईंधन नेटवर्क पाइपलाइन में शामिल हुआ

संदर्भ:
पोलैंड औपचारिक रूप से नाटो के ईंधन नेटवर्क पाइपलाइन सिस्टम में शामिल हो गया है—जो यूरोप की रक्षा रसद और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम बढ़ते क्षेत्रीय तनावों, खासकर पूर्वी यूरोप में, के बीच नाटो की तत्परता और समन्वय को बढ़ाता है।

नाटो और पोलैंड की भूमिका के बारे में:
1949 में स्थापित, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) एक सामूहिक रक्षा गठबंधन है जो राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है। 2024 तक, इसमें 32 देश शामिल हो चुके हैं, जिनमें स्वीडन और फ़िनलैंड नवीनतम सदस्य हैं।
पोलैंड 1999 में इसमें शामिल हुआ, और पूर्व वारसॉ संधि से हटकर रणनीतिक योजना, रक्षा अवसंरचना और संयुक्त अभ्यासों में नाटो का एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गया।

नाटो का ईंधन नेटवर्क (सीईपीएस)
नाटो सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम (सीईपीएस) दुनिया के सबसे बड़े सैन्य ईंधन रसद नेटवर्क में से एक है।

- **उद्देश्य:** शांति या संघर्ष के दौरान नाटो एयरबेसों, सुविधाओं और सैनिकों को सुरक्षित और निर्बाध ईंधन वितरण प्रदान करना।
- **दोहरी उपयोग भूमिका:** सैन्य और कभी-कभी नागरिक ऊर्जा आवश्यकताओं दोनों को पूरा करती है।
- **कवरेज:** बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड तक फैला हुआ है, जिसमें हजारों किलोमीटर पाइपलाइन और परिचालन तत्परता का समर्थन करने वाले कई डिपो हैं।

पोलैंड का समावेश
पोलैंड के प्रवेश से CEPS का पूर्व की ओर विस्तार होगा, तथा जर्मन पाइपलाइन विस्तार को सीधे पोलिश क्षेत्र से जोड़ा जाएगा।

- पूर्वी यूरोप में तैनात पोलिश ठिकानों और नाटो बलों को स्थिर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- रूस और बेलारूस के साथ साझा सीमाओं सहित नाटो के पूर्वी भाग पर तत्परता बढ़ाता है।
- पोलैंड के प्रमुख प्रशिक्षण और रसद केंद्रों पर आयोजित सैन्य अभियानों का समर्थन करता है।

सामरिक महत्व

- **नाटो के लिए:**
  - इससे परिवहन दक्षता में वृद्धि होगी तथा लम्बे, जोखिमपूर्ण परिवहन मार्गों पर निर्भरता कम होगी।
  - पूर्वी यूरोप में निवारण और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना।
- **पोलैंड के लिए:**
  - गठबंधन के भीतर एक रणनीतिक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ाता है।
  - विश्वसनीय सैन्य ईंधन आपूर्ति की गारंटी देता है और अपने रक्षा आधुनिकीकरण प्रयासों के साथ संरेखित करता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा संदर्भ
यह विस्तार रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण जारी अस्थिरता के जवाब में किया गया है।

- यूक्रेन और बेलारूस के निकट पोलैंड की रणनीतिक स्थिति इसे नाटो का अग्रिम पंक्ति का देश बनाती है।
- नया ईंधन नेटवर्क आपूर्ति में व्यवधान के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करता है तथा नाटो की पूर्वी रक्षा स्थिति और

यूक्रेन सहायता प्रयासों में पोलैंड की अग्रणी भूमिका को समर्थन प्रदान करता है।

आर्थिक और तकनीकी आयाम

- यूरोपीय सीमा पार ऊर्जा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
- पर्यावरणीय और परिचालन विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को शामिल किया गया है।
- बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करता है और आंतरिक ईंधन रसद को मजबूत करके यूरोपीय संघ के ऊर्जा विविधीकरण लक्ष्यों का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

नाटो के ईंधन नेटवर्क पाइपलाइन में पोलैंड का एकीकरण यूरोपीय रक्षा क्षमता में एक बड़े सुधार का प्रतीक है। यह नाटो की ऊर्जा क्षमता को मज़बूत करता है, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाता है, और गठबंधन के पूर्वी मोर्चे पर एक प्रमुख रसद केंद्र के रूप में पोलैंड की स्थिति को मज़बूत करता है—जो नाटो की एकता, तैयारी और सामूहिक शक्ति को दर्शाता है।

स्थिर सिक्के

संदर्भ: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

स्थिर मुद्राओं को विनियमित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया , जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनके बढ़ते प्रभाव पर वैश्विक चिंताओं को दर्शाता है। जैसे-जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में उनका उपयोग बढ़ रहा है, देश सीमा-पार भुगतान के लिए उनके लाभों और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों, दोनों का आकलन कर रहे हैं।

परिभाषा:

स्थिर सिक्के निजी तौर पर जारी की गई डिजिटल संपत्तियाँ हैं जिन्हें फिएट मुद्रा, वस्तुओं या परिसंपत्तियों के समूह जैसी मूर्त संपत्तियों से जोड़कर एक स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिटकॉइन जैसी अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, इनका उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जिससे ये दैनिक भुगतान, व्यापार और प्रेषण के लिए उपयुक्त हो जाते हैं।

वे कैसे काम करते हैं?

प्रत्येक स्थिर मुद्रा इकाई किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के एक निश्चित मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है—जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो या सोना। जारीकर्ता संपार्श्विक भंडार (नकद, बांड या परिसंपत्तियाँ) बनाए रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुद्रा को स्थिर दर पर भुनाया जा सके। यह समर्थन तंत्र उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से बचाता है।

स्थिर सिक्कों के प्रकार

- **फिएट-कोलैटरलाइज्ड:** रिजर्व में रखी गई पारंपरिक मुद्राओं द्वारा समर्थित (जैसे, टीथर-यूएसडीटी, यूएसडी कॉइन-यूएसडीसी)।
- **क्रिप्टो-कोलैटरलाइज्ड:** अन्य क्रिप्टोकरेंसी द्वारा समर्थित, अक्सर अति-कोलैटरलाइज्ड (जैसे, DAI)।
- **कमोडिटी-समर्थित:** सोने जैसी परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ (उदाहरण के लिए, PAX गोल्ड-PAXG)।
- **एल्गोरिथम:** भंडार के स्थान पर आपूर्ति-मांग एल्गोरिथम का उपयोग करें (उदाहरण के लिए, टेरायूएसडी-यूएसटी), हालांकि इसमें अस्थिरता की संभावना होती है।

वैश्विक संदर्भ और विनियमन

वैश्विक स्थिर मुद्रा बाज़ार का मूल्य 130 अरब डॉलर से अधिक है। नियामक अपर्याप्त पारदर्शिता, कमज़ोर आरक्षित प्रथाओं और संभावित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं।

- यूरोपीय संघ: *MiCA* (क्रिप्टो-एसेट्स में बाजार) विनियमन शुरू किया गया।
- अमेरिका: रिजर्व और उपभोक्ता संरक्षण के लिए संघीय कानून पर काम करना।
- जी20/एफएसबी: निगरानी के लिए एक समन्वित वैश्विक ढांचा विकसित करना।

भारत की स्थिति

भारत निजी तौर पर जारी डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रति सतर्क रुख अपनाता है।

- वित्त मंत्री का रुख: जोखिम प्रबंधन के लिए वैश्विक समन्वय की वकालत।
- आरबीआई की भूमिका: सुरक्षित विकल्प के रूप में अपनी स्वयं की *केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) विकसित करना पसंद करता है।*
- नीति फोकस: पूंजी प्रवाह, मौद्रिक नियंत्रण और राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा पर प्रभावों का मूल्यांकन।

लाभ और जोखिम

- **लाभ:** स्थिर मूल्य, तेज़ सीमा-पार लेनदेन, बेहतर वित्तीय समावेशन और विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi) के लिए समर्थन।
- **जोखिम:** रिजर्व अस्पष्टता, नियामक अंतराल, प्रणालीगत पतन (टेरा-लूना 2022 की तरह), और मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरे।

भविष्य का दृष्टिकोण:

स्थिर मुद्राओं से वैश्विक वित्त में एक बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है, बशर्ते कि मज़बूत नियामक तंत्र पारदर्शिता और उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करें। भारत नवाचार और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए G20-व्यापी मानदंडों का समर्थन करता है, और विनियमित स्थिर मुद्राओं और CBDC को सुरक्षित डिजिटल वित्त के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

निष्कर्ष:

स्थिर मुद्राएँ मुद्रा स्थिरता को ब्लॉकचेन दक्षता के साथ जोड़ती हैं, लेकिन उनका तेज़ी से विस्तार अंतर्राष्ट्रीय शासन की माँग करता

है। भारत की सक्रिय भागीदारी ज़िम्मेदार नवाचार की आवश्यकता को उजागर करती है जो डिजिटल परिवर्तन को अपनाते हुए वित्तीय अखंडता की रक्षा करता है।

स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु वित्त

संदर्भ:

भारत अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप सौर और पवन ऊर्जा निवेश को आगे बढ़ाते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है। जैसे-जैसे वैश्विक चर्चाएँ *जलवायु वित्त की भूमिका पर ज़ोर दे रही* हैं, भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए स्थायी वित्तपोषण, *ग्रीन बॉन्ड जैसे नवोन्मेषी उपायों* और वैश्विक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

स्वच्छ ऊर्जा में भारत का नेतृत्व:

सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है, और इसकी अर्थव्यवस्था में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग 5% है। यह क्षेत्र पर्याप्त रोजगार सृजन करता है और निम्न-कार्बन विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम का संकेत देता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों से पूरा करना और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है।

वित्तीय आवश्यकताएँ और निवेश चुनौतियाँ:

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और ग्रिड आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्रों में लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। ऐसी पूँजी जुटाने के लिए घरेलू वित्तपोषण, विदेशी निवेश और जोखिम कम करने तथा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु स्थिर नीतिगत ढाँचों का मिश्रण आवश्यक है।

ग्रीन बॉन्ड: प्रमुख साधन:

ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए समर्पित वित्तीय साधन हैं। भारत का *संप्रभु ग्रीन बॉन्ड कार्यक्रम* नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन-घटाने वाली परियोजनाओं में धन का प्रवाह सुनिश्चित करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। यह जी-20 सतत वित्त ढाँचे (2023) में भारत के नेतृत्व के अनुरूप भी है।

वैश्विक जलवायु वित्त और भारत की भूमिका:

UNFCCC के अंतर्गत, विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का संकल्प लिया था—जो लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। भारत *साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों (CBDR) के सिद्धांत का समर्थन करता है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक ज़िम्मेदारी लेने का आग्रह करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)* और *आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)* जैसी पहलों के माध्यम से , भारत वैश्विक जलवायु शासन को सक्रिय रूप से आकार देता है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

स्वच्छ ऊर्जा विस्तार विकेन्द्रीकृत विद्युत प्रणालियों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है, हरित रोजगार सृजित करता है, *मेक इन इंडिया के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है*, तथा वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है।

नीति और संस्थागत समर्थन

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को एक विकसित संस्थागत और नियामक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्राप्त है।

- **राष्ट्रीय सौर मिशन (2010):** इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर क्षमता प्राप्त करना और सौर ऊर्जा की लागत को कम करना है।
- **राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन:** भविष्य में स्वच्छ ईंधन के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल और बैटरी भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है।
- **राज्य स्तरीय पहल** : गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों ने निजी निवेश के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और नीतिगत प्रोत्साहन शुरू किए हैं।

चुनौतियाँ और अवसर:

प्रमुख बाधाओं में 5 ट्रिलियन डॉलर का वित्त पोषण अंतराल, उच्च तकनीकी लागत, ग्रिड एकीकरण सीमाएँ और नीतिगत अनिश्चितता शामिल हैं। फिर भी, ये चुनौतियाँ स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण में नवाचार, निजी निवेश और वैश्विक सहयोग को भी आमंत्रित करती हैं।

निष्कर्ष:

भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन विकास को स्थिरता के साथ जोड़ता है, और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय नवाचार और साझेदारियों का उपयोग करता है। 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होगी—पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को एक दीर्घकालिक आर्थिक अवसर और लचीले, हरित विकास की नींव में बदलना।

क्रायो बैंक पहल

संदर्भ:

प्रवाल भित्तियाँ, जिन्हें अक्सर "समुद्र के वर्षावन" कहा जाता है, समुद्र के गर्म होने, अम्लीकरण और प्रदूषण के कारण गंभीर खतरे में हैं। बड़े पैमाने पर प्रवाल क्षति से निपटने के लिए, वैज्ञानिकों ने *क्रायो बैंक पहल शुरू की है*—एक अग्रणी परियोजना जो प्रवाल आनुवंशिक सामग्री को संग्रहीत करने के लिए क्रायोप्रिजर्वेशन का उपयोग करती है, जिससे भविष्य में उनके अस्तित्व और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित किया जा सके।

अवधारणा और उद्देश्य

क्रायो बैंक एक ऐसी सुविधा है जो प्रवाल बीजों या लार्वा को अत्यंत निम्न तापमान पर संरक्षित करती है।

- **उद्देश्य:** प्रवाल जैव विविधता का संरक्षण करना तथा भविष्य में प्रवाल भित्तियों की पुनर्स्थापना को सक्षम बनाना।
- यदि जंगली प्रवाल आबादी कम हो जाती है, तो क्रायोप्रिजर्व्ड लार्वा को बाद में पुनर्जीवित, पुनः विकसित और पुनः स्थापित किया जा सकता है।
  यह तरीका प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक जैविक "बीमा पॉलिसी" के रूप में कार्य करता है, जिससे समुद्री संरक्षण में क्रांति आती है।

स्थान और महत्व:
पहला दक्षिण-पूर्व एशियाई क्रायो बैंक फिलीपींस में, *कोरल ट्रायंगल के भीतर स्थापित किया गया है*— एक ऐसा क्षेत्र जहाँ दुनिया की लगभग 75% प्रवाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह क्षेत्रीय आजीविका, मत्स्य पालन और तटीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण समुद्री जैव विविधता की रक्षा करता है। इसकी रणनीतिक स्थिति संरक्षण प्रयासों को पृथ्वी के सबसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में से एक के केंद्र में रखती है।

क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक (इसके पीछे का विज्ञान)
इस पहल में विट्रीफिकेशन प्लस लेजर वार्मिंग विधि का उपयोग किया जाता है:

1. क्रायोप्रोटेक्टेंट्स: जमने के दौरान बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकते हैं।
2. तरल नाइट्रोजन हिमीकरण: -196°C तक तीव्र शीतलन, कोशिकीय अखंडता को बनाए रखना।
3. लेज़र वार्मिंग: धीरे-धीरे पिघलने से प्रवाल लार्वा पुनःप्रवेश के लिए पुनर्जीवित हो जाते हैं।
   यह प्रक्रिया क्रायोबायोलॉजी को समुद्री पुनर्स्थापन विज्ञान के साथ मिला देती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
फिलीपींस के नेतृत्व में ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के सहयोग से, यह पहल प्रवाल क्षति से निपटने में क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देती है। यह संयुक्त राष्ट्र के पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक (2021-2030) के अनुरूप है, जो समुद्री जैव विविधता संरक्षण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है।

प्रवाल भित्तियों की पारिस्थितिक भूमिका

- लगभग 25% समुद्री प्रजातियों का आवास।
- प्राकृतिक तटीय अवरोधों के रूप में कार्य करें।
- मत्स्य पालन और पर्यटन को समर्थन दें।
- कार्बन विनियमन और जलवायु संतुलन में योगदान दें।

चुनौतियां

- ठंड के दौरान प्रवाल कोशिका संवेदनशीलता.
- सहजीवी शैवाल हस्तक्षेप.
- सीमित प्रजातियों को सफलतापूर्वक संरक्षित किया गया।
- उच्च लागत और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताएँ।
  इन चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक शोध, वित्तपोषण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

भविष्य की संभावनाएँ:
क्रायो बैंक प्रवाल पुनर्स्थापन और आनुवंशिक संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। यह प्रवाल विविधता सुनिश्चित करता है, रीफ़ पुनर्स्थापन में तेज़ी लाता है, और महासागर संरक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाता है।

निष्कर्ष:
क्रायो बैंक पहल अत्याधुनिक क्रायोजेनिक तकनीक को पारिस्थितिक प्रतिबद्धता के साथ जोड़ती है। "भविष्य के लिए जैव विविधता को स्थिर" करके, यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जीवनरेखाओं—प्रवाल भित्तियों—की रक्षा के लिए एक खाका प्रस्तुत करती है और जलवायु-जनित विलुप्ति के विरुद्ध लड़ाई में वैश्विक आशा का प्रतीक है।

सामाजिक न्याय की स्थिति 2025

प्रसंग

अंतर्राष्ट्रीय **श्रम संगठन (ILO) ने 1995 के कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के** तीन दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले **दूसरे विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन** से पहले अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट *"सामाजिक न्याय की स्थिति: प्रगति पर कार्य (2025)" जारी की*। यह रिपोर्ट इस बात का व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है कि 1995 के बाद से न्याय, समानता और समावेशन सुनिश्चित करने में दुनिया ने कितनी प्रगति की है।

सामाजिक न्याय की स्थिति 2025

आईएलओ की यह रिपोर्ट पिछले तीस वर्षों में प्राप्त **सामाजिक और आर्थिक न्याय का वैश्विक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है** । यह गरीबी कम करने और कल्याण में सुधार की दिशा में हुई प्रगति पर प्रकाश डालती है, साथ ही उन स्थायी असमानताओं की ओर भी इशारा करती है जो समाजों को विभाजित करती रहती हैं।

सामाजिक न्याय के प्रमुख स्तंभ

रिपोर्ट में सच्चे सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक **चार आधारभूत स्तंभों की पहचान की गई है:**

1. **मानवाधिकार और क्षमताएं:** सभी व्यक्तियों के लिए बुनियादी स्वतंत्रता, समानता और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी।
2. **अवसरों तक समान पहुंच:** समावेशी विकास को सक्षम करने के लिए शिक्षा, रोजगार और उचित वेतन में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना।
3. **लाभों का उचित वितरण:** सभी सामाजिक समूहों के बीच आर्थिक विकास के लाभों का समान बंटवारा सुनिश्चित करना।

4. **निष्पक्ष परिवर्तन:** पर्यावरणीय, डिजिटल और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का इस तरह प्रबंधन करना कि कोई भी पीछे न छूटे।

वैश्विक प्रगति और उपलब्धियाँ

पिछले तीन दशकों में विश्व ने कई क्षेत्रों में **उल्लेखनीय प्रगति की है:**

- **अत्यधिक गरीबी में** तेजी से कमी आई है - **1995 में 39% से घटकर 2025 में 10% हो गई है** ।
- **बाल श्रम (5-14 वर्ष) 250 मिलियन** से घटकर **106 मिलियन हो गया** ।
- **कार्यशील गरीबी 28%** से घटकर 7% हो गई , जिससे रोजगार के बेहतर परिणाम सामने आए।
- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज** अब **वैश्विक आबादी के आधे से अधिक तक पहुंच गया है** , जो सामाजिक सुरक्षा जाल में एक महत्वपूर्ण विस्तार है।

ये उपलब्धियां एक अधिक न्यायसंगत, अधिक समावेशी विश्व के निर्माण की दिशा में सामूहिक वैश्विक प्रयास को प्रतिबिंबित करती हैं।

असमानता

प्रगति के बावजूद, **गहरी असमानताएं अभी भी कायम हैं** :

- शीर्ष **1%** कमाने वाले लोग **वैश्विक आय का 20%** और **कुल संपत्ति का 38% नियंत्रित करते हैं** ।
- लिंग **वेतन अंतर** अभी भी कायम है - महिलाएं पुरुषों के वेतन का **केवल 78% ही कमाती हैं; इस दर से, इस अंतर को पाटने में पांच दशक या उससे अधिक समय लग सकता है** ।
- **भौगोलिक असमानता** बनी हुई है, 55% आय असमानताएं **जन्म के देश से जुड़ी हुई हैं** ।
- **संस्थाओं - सरकारों, यूनियनों और निगमों - में विश्वास में** कमी आई है, जिसका कारण अनुचितता और असमान पुरस्कारों की धारणा है।

भारत में रुझान और प्रगति

भारत का विकास रिपोर्ट के वैश्विक विषयों को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें मजबूत सामाजिक लाभ के साथ संरचनात्मक चुनौतियां भी सम्मिलित हैं:

- **गरीबी में कमी:** भारत की **बहुआयामी गरीबी** दर **29% (2013-14) से घटकर 11% (2022-23)** हो गई।
- **शिक्षा वृद्धि:** माध्यमिक **विद्यालय की पूर्णता दर 2024 में 79%** तक पहुंच गई , जबकि **महिला साक्षरता** बढ़कर **77% हो गई** ।
- **सामाजिक संरक्षण: पीएम-किसान** , **आयुष्मान भारत** और **ई-श्रम** जैसी प्रमुख पहलों ने समावेशन का विस्तार किया, जिसमें **55 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को शामिल किया गया** ।
- **श्रम बाजार:** सुधारों के बावजूद अनौपचारिकता बनी हुई है - **भारत का 80% से अधिक कार्यबल** अभी भी औपचारिक अनुबंधों के बाहर काम करता है।
- **लिंग भागीदारी: महिला श्रम बल भागीदारी 37% (पीएलएफएस 2024-25) है** - जो वैश्विक औसत से नीचे है, जो संरचनात्मक असमानता पर आईएलओ के निष्कर्षों के अनुरूप है।

सुधार के प्रमुख क्षेत्र

पिछले दशक में कई क्षेत्रों में ठोस सुधार हुए हैं:

- **मानव विकास: कौशल भारत** और **पीएमकेवीवाई** जैसी पहलों के माध्यम से साक्षरता, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य सेवा का विस्तार ।
- **बाल श्रम में कमी: राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी)** और शिक्षा से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से इसे मजबूत किया गया ।
- **सामाजिक सुरक्षा विस्तार: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के तहत **पेंशन** , **मातृत्व** और **बीमा योजनाओं** की व्यापक पहुंच ।
- **डिजिटल समावेशन:** जेएएम **ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) ने** लीकेज को कम किया है, तथा समान संसाधन वितरण में सुधार किया है।

आईएलओ द्वारा चिन्हित चुनौतियाँ

रिपोर्ट में वैश्विक और राष्ट्रीय प्रगति में आने वाली प्रमुख बाधाओं पर भी प्रकाश डाला गया है:

- **बढ़ती असमानता:** सीमित पुनर्वितरण तंत्र के साथ, धन का अंतर लगातार बढ़ रहा है।
- **अनौपचारिक रोजगार: वैश्विक स्तर पर 58%** से अधिक श्रमिकों के पास औपचारिक सुरक्षा या श्रम अधिकार नहीं हैं।
- **लिंग और जन्म पूर्वाग्रह:** लगभग **71%** आय परिणाम अभी भी जन्म परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं।
- **संस्थागत विश्वास में कमी:** अनुचित शासन की धारणाएं लोकतांत्रिक वैधता के लिए खतरा हैं।
- **संक्रमण की चुनौतियाँ:** डिजिटल विभाजन, वृद्ध होती आबादी और जलवायु परिवर्तन के जोखिम असमानता को और बढ़ा सकते हैं।

आईएलओ की नीतिगत सिफारिशें

एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी विश्व की ओर बढ़ने के लिए, आईएलओ एक **बहुआयामी नीति ढांचे का प्रस्ताव करता है** :

1. **मुख्यधारा सामाजिक न्याय:** राजकोषीय, व्यापार, जलवायु और स्वास्थ्य नीतियों में समानता संबंधी विचारों को एकीकृत करना।

2. **संस्थाओं में विश्वास का पुनर्निर्माण:** पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को मजबूत करें।
3. **मानव पूंजी में निवेश करें:** शिक्षा, डिजिटल कौशल और आजीवन सीखने तक पहुंच को व्यापक बनाएं।
4. **सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण:** सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम आय, पोर्टेबल लाभ और उचित मजदूरी की गारंटी।
5. **निष्पक्ष परिवर्तन सुनिश्चित करें:** पुनः कौशलीकरण और सामाजिक सुरक्षा जाल के माध्यम से पर्यावरणीय और डिजिटल परिवर्तनों के दौरान श्रमिकों का समर्थन करें।
6. **वैश्विक सहयोग को बढ़ाना:** असमानता, प्रवासन और वैश्विक संकटों को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए बहुपक्षीय प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना।

निष्कर्ष

ILO **) की सामाजिक न्याय स्थिति 2025** एक दोहरी वास्तविकता प्रस्तुत करती है। जहाँ मानवता ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है, वहीं **असमानता और अविश्वास अभी भी प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं** । सामाजिक विकास का भविष्य नीति और शासन के हर पहलू में **निष्पक्षता, समावेशिता और पारदर्शिता को समाहित करने में निहित है।**

भारत और वैश्विक समुदाय दोनों के लिए , सच्चा सामाजिक न्याय तभी साकार होगा जब विकास **साझा सम्मान, समान अवसर और संस्थागत विश्वास में परिवर्तित होगा** , जो एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की स्थायी नींव है।

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु

प्रसंग

यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में *मरणासन्न रूप से बीमार वयस्कों (जीवन का अंत) विधेयक, 2025* पर हुई बहस ने सम्मानपूर्वक मृत्यु के अधिकार पर एक वैश्विक नैतिक चर्चा को पुनर्जीवित कर दिया है। भारत के लिए, मुद्दा सक्रिय इच्छामृत्यु को लागू करने का नहीं, बल्कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु के **मौजूदा ढाँचे को मज़बूत करने का है** - यह सुनिश्चित करना कि यह मानवीय, पारदर्शी और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सुलभ हो।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु

परिभाषा: निष्क्रिय इच्छामृत्यु का अर्थ है किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज़ के लिए **जीवन-रक्षक उपचार बंद कर देना या रोक देना,** जब उसका चिकित्सीय उपचार संभव न हो। इससे अनावश्यक पीड़ा से बचते हुए, स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है।

उद्देश्य: इस अवधारणा का उद्देश्य रोगी के **सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार की रक्षा करना है** , और उन मामलों में लंबे समय तक पीड़ा को रोकना है जहाँ जीवन रक्षक प्रणाली उपचारात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। यह स्वायत्तता और करुणा को चिकित्सा नैतिकता का मूल मानता है।

कानूनी विकास और प्रमुख निर्णय

प्रारंभिक स्थिति:

2011 तक, भारत में इच्छामृत्यु पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, और **आत्महत्या का प्रयास भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 309** के तहत दंडनीय था ।

अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011):

- सख्त न्यायिक निगरानी में **निष्क्रिय इच्छामृत्यु को** मान्यता दी गई ।
- **उच्च न्यायालय की मंजूरी** के अधीन, असाधारण मामलों में जीवन रक्षक प्रणाली को वापस लेने की अनुमति दी गई ।
- **सक्रिय (अवैध)** और **निष्क्रिय (सशर्त कानूनी)** इच्छामृत्यु के बीच अंतर ।
- इस बात की पुष्टि की गई कि **गरिमा के बिना जीवन** अनुच्छेद 21 के संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है।

कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018):

- घोषित किया गया कि **सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 - जीवन के अधिकार** का अभिन्न अंग है ।
- वैध **अग्रिम चिकित्सा निर्देश (लिविंग विल) को मंजूरी दी गई** , जिससे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंतिम निर्णय को दर्ज करने की अनुमति मिल गई।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु को अधिकृत करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश स्थापित किए गए।

वर्तमान कानूनी ढांचा

अग्रिम निर्देश (लिविंग विल):

- कोई भी स्वस्थ दिमाग वाला वयस्क व्यक्ति वसीयत तैयार कर सकता है, जिसमें यह बताया जा सके कि चिकित्सा उपचार कब रोका जाना चाहिए।
- इसे दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा **प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए** ।

मेडिकल बोर्ड मूल्यांकन:

- एक अस्पताल तीन वरिष्ठ डॉक्टरों का एक **प्राथमिक मेडिकल बोर्ड बनाता है** जो यह प्रमाणित करता है कि मरीज की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।
- इस निर्णय की समीक्षा जिले के **मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ)** के नेतृत्व में एक **द्वितीयक बोर्ड द्वारा की जाती है।**

मजिस्ट्रियल निरीक्षण:

- जेएमएफसी जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने से पहले लिविंग विल और चिकित्सा राय की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है ।

लिविंग विल के अभाव में:

- परिवार के सदस्य या उपचार करने वाले डॉक्टर अनुमति के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जहां भी दो स्तरीय चिकित्सा मूल्यांकन किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरलीकरण (जनवरी 2023):

- **जिला कलेक्टर की मंजूरी** की आवश्यकता को हटा दिया गया ।
- **अस्पताल स्तर की आचार समितियों को** निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया गया ।
- दुरुपयोग या जबरदस्ती को रोकने के लिए **दो-बोर्ड समीक्षा** को बरकरार रखा गया ।

वर्तमान प्रणाली क्यों कमज़ोर है?

- **प्रशासनिक विलम्ब:** बहुस्तरीय निकासी प्रक्रियाएं अक्सर गंभीर रूप से बीमार रोगियों को समय पर राहत प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर देती हैं।
- **कम जागरूकता:** आम जनता और कई चिकित्सक, दोनों ही लिविंग विल को दर्ज करने या लागू करने की प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहते हैं।
- **भावनात्मक और नैतिक बोझ:** परिवारों को नैतिक अपराधबोध और वित्तीय दबाव का अनुभव होता है, जो औपचारिक सहमति को हतोत्साहित करता है।
- **संस्थागत अंतराल:** कई अस्पतालों में कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए नैतिकता समितियों या प्रशिक्षित उपशामक देखभाल इकाइयों का अभाव है।
- **कानूनी अनिश्चितता:** डॉक्टर अक्सर आईपीसी या चिकित्सा लापरवाही कानूनों के तहत आपराधिक दायित्व के डर से कार्रवाई करने में हिचकिचाते हैं।

नैतिक और संवैधानिक आयाम

- **गरिमा का अधिकार: अनुच्छेद 21** की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या में लंबे समय तक पीड़ा से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीने और मरने का अधिकार शामिल है।
- **नैतिक संतुलन: निष्क्रिय इच्छामृत्यु स्वायत्तता** (रोगी की पसंद के प्रति सम्मान) और **गैर-हानिकारकता** (नुकसान से बचना)
  के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती है ।
- **न्यायिक सावधानी: न्यायालय " मरने की अनुमति देने "** और " **मृत्यु का कारण बनने "** के बीच एक स्पष्ट रेखा बनाए रखते हैं , जिससे नैतिक संयम सुनिश्चित होता है।
- **दार्शनिक स्वीकृति:** भारतीय आध्यात्मिक विचार मृत्यु को एक प्राकृतिक संक्रमण के रूप में देखता है, तथा नश्वरता को नकारने के बजाय सचेत स्वीकृति का समर्थन करता है।
- **राज्य का उत्तरदायित्व: अनुच्छेद 47** के तहत , राज्य का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के एक भाग के रूप में सुलभ
  उपशामक और जीवन के अंत की देखभाल सुनिश्चित करे।

तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

वैश्विक अनुभव:

- **नीदरलैंड** और **यूके** जैसे देशों में जीवन के अंत से संबंधित उन्नत कानून हैं, जो मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और नैतिक निगरानी द्वारा समर्थित हैं।
- भारत को, अपनी सीमित चिकित्सा अवसंरचना के साथ, सक्रिय इच्छामृत्यु पर विचार करने से पहले **प्रक्रियागत सरलता और नैतिक स्पष्टता को प्राथमिकता देनी चाहिए।**

भारतीय मार्ग:

- ध्यान **निष्क्रिय इच्छामृत्यु ढांचे को बेहतर बनाने पर केंद्रित होना चाहिए** - इसे प्रभावी, दयालु और नौकरशाही बाधाओं से मुक्त बनाना चाहिए।
- एक **संतुलित मॉडल** नैतिक सीमाओं को पार किए बिना सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को क्रियान्वित कर सकता है।

सुधार का रोडमैप

1. डिजिटल अग्रिम निर्देश:

- **आधार** से जुड़ा एक **राष्ट्रीय इच्छामृत्यु पोर्टल** बनाएं , जिससे नागरिक ऑनलाइन वसीयत पंजीकृत कर सकें, उसमें संशोधन कर सकें या उसे वापस ले सकें।
- बोझिल कागजी कार्रवाई के स्थान पर मानसिक क्षमता का चिकित्सा प्रमाणन और डिजिटल प्रमाणीकरण शामिल करें।

2. अस्पताल स्तरीय नैतिकता समितियाँ:

- प्रत्येक प्रमुख अस्पताल को वरिष्ठ चिकित्सकों, उपशामक विशेषज्ञों और एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की एक समिति स्थापित करने का आदेश दिया जाए।
- जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के संबंध में **48 घंटे के भीतर निर्णय लेने की अनुमति दी जाएगी** , जिससे गति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

3. पारदर्शी निरीक्षण:

- तदर्थ तंत्र को **राज्य स्तरीय स्वास्थ्य आयुक्तों** या डिजिटल निगरानी डैशबोर्ड से प्रतिस्थापित करें।
- विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए **यादृच्छिक ऑडिट** आयोजित करें और **वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित करें।**

4. सुरक्षा उपाय और परामर्श:

- अंतिम वापसी निर्णय से पहले **सात दिन की शांत अवधि** लागू करें ।
- रोगियों और परिवारों को उपशामक देखभाल विशेषज्ञों द्वारा **अनिवार्य परामर्श की** आवश्यकता है ।
- कमजोर व्यक्तियों को भावनात्मक या वित्तीय दबाव से बचाएं।

5. क्षमता निर्माण और जागरूकता:

- चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा में **जीवन के अंतिम चरण की नैतिकता को** एकीकृत करना ।
- **लिविंग विल** , **उपशामक देखभाल** और मरीजों के अधिकारों के बारे में बताते हुए सार्वजनिक अभियान चलाएं ।
- समुदायों में खुले संवाद को बढ़ावा देने के लिए **गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय स्वास्थ्य मिशनों** के साथ साझेदारी करें ।

निष्कर्ष

इच्छामृत्यु के मामले में भारत का सफ़र मृत्यु को वैध बनाने के बारे में नहीं, बल्कि **मरने की प्रक्रिया को मानवीय बनाने के बारे में** है। करुणा, स्वायत्तता और गरिमा से प्रेरित होकर, निष्क्रिय इच्छामृत्यु भारत के संवैधानिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप है। डिजिटल साधनों को अपनाकर, अस्पताल की आचार समितियों को सशक्त बनाकर और जन जागरूकता बढ़ाकर, देश निष्क्रिय इच्छामृत्यु को एक **प्रतीकात्मक कानूनी अधिकार से** एक **व्यावहारिक, मानवीय वास्तविकता में बदल सकता है** —यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान के साथ जीने का, बल्कि उसके साथ मरने का भी अधिकार है।

एच-1बी वीज़ा: विकास, सुधार और नीतिगत बदलाव

संदर्भ: यूनियनों, नियोक्ताओं और धार्मिक समूहों के एक गठबंधन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस प्रस्ताव को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया है जिसमें उच्च कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए नए **एच-1बी वीज़ा पर $100,000 का शुल्क** लगाने का प्रस्ताव है। इस कदम ने आव्रजन नीति, श्रम सुरक्षा और वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता पर बहस को फिर से छेड़ दिया है।

एच-1बी कार्य वीज़ा प्रणाली की उत्पत्ति

- एच **-1 वीज़ा श्रेणी को अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (1952)** के तहत विशेष व्यवसायों में विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया था।
- समय के साथ, यह कई श्रेणियों में विकसित हो गया - **एच-1बी, एच-2बी, एल1, ओ1, और ई1** - जो विभिन्न कौशल सेटों और नौकरी प्रोफाइलों को पूरा करते हैं।
- इनमें से **एच-1बी वीजा** सबसे प्रमुख बन गया, जो **STEM क्षेत्रों (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित)** में **अत्यधिक कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है** ।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **विशेष व्यवसायों** के लिए (जैसे, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आईटी)।
- आवेदकों के पास कम से कम **स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए** ।
- नियोक्ताओं को **अमेरिकी श्रम विभाग (डीओएल)** से **श्रम स्थिति आवेदन (एलसीए) प्राप्त करना होगा** , जिससे उचित वेतन सुनिश्चित हो सके और अमेरिकी श्रमिकों का विस्थापन न हो।

वैश्वीकरण और STEM प्रवास का उदय

- विकासशील देशों (विशेष रूप से **भारत, चीन और पाकिस्तान) में** इंटरनेट **बूम और आईटी क्रांति ने** कुशल स्नातकों का एक बड़ा समूह तैयार किया।
- अमेरिका **में किफायती तकनीकी प्रतिभा की मांग** और आपूर्ति **एक दूसरे के लिए लाभकारी प्रवासन पैटर्न का निर्माण कर रही थी** ।
- विशेष रूप से भारतीय आईटी पेशेवर एच-1बी कार्यक्रम के **सबसे बड़े लाभार्थी बने।**
- हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह प्रणाली **घरेलू मजदूरी को कम करती है** और **नवाचार को आउटसोर्स करती है** , जिससे आर्थिक मंदी के दौरान चक्रीय प्रतिबंध लगते हैं।

पुरानी लॉटरी-आधारित प्रणाली

- अमेरिकी सरकार प्रतिवर्ष **85,000 एच-1बी वीज़ा जारी करती है** :
  - **65,000 रु** .
  - उन्नत अमेरिकी डिग्री वाले आवेदकों के लिए **20,000 रुपये ।**
- नियोक्ताओं ने श्रमिकों के विवरण के साथ आवेदन पंजीकृत किए - जिसमें कार्य की प्रकृति, शिक्षा और मजदूरी शामिल थी।
- अधिक आवेदन के कारण, **वेतन स्तर या कौशल की कमी जैसे कारकों की अनदेखी करते हुए** , एक **यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली ने** चयन निर्धारित किया।
- इस प्रणाली की आलोचना इस बात के लिए हुई कि यह **कम वेतन वाली आउटसोर्सिंग फर्मों को लाभ पहुंचाती है** तथा **योग्यता या बाजार की मांग को पुरस्कृत करने में विफल रहती है** ।

नई वेतन-आधारित H-1B वीज़ा व्यवस्था

वेतन -**आधारित चयन मॉडल ने** पहले की लॉटरी प्रणाली का स्थान ले लिया, तथा **योग्यता-आधारित, बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाया** ।

प्रमुख परिवर्तन:

- **वेतन प्राथमिकता:**
  स्थानीय प्रचलित दरों के सापेक्ष उच्च वेतन की पेशकश करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है, यह मानते हुए कि उच्च वेतन उच्च कौशल को दर्शाता है।
- **कौशल-आधारित मूल्यांकन:**
  यह विचार किया जाता है कि क्या घरेलू श्रम पूल में समान कौशल मौजूद हैं, जो **अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा के लक्ष्य के साथ संरेखित है** ।
- **तर्क (यूएससीआईएस दृष्टिकोण):**
  वेतन **कौशल स्तर और मांग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है** , जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल **उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को** ही प्राथमिकता दी जाए।

प्रभाव:

- **उच्च मूल्य वाले रोजगार को** प्रोत्साहित करता है तथा कम वेतन वाली आउटसोर्सिंग को हतोत्साहित करता है।
- विकासशील देशों, विशेषकर भारत के **प्रवेश स्तर के पेशेवरों की** पहुंच सीमित हो सकती है ।

अन्य वीज़ा श्रेणियों का अवलोकन

वीजा का प्रकार	उद्देश्य	प्रमुख विशेषताऐं
एच 2 बी	अस्थायी गैर-कृषि कार्य	निर्माण, आतिथ्य, भू-दृश्य जैसे उद्योगों के लिए जहां अमेरिकी श्रम की कमी है।
एल1	अंतर-कंपनी स्थानांतरण	बहुराष्ट्रीय निगमों में स्थानांतरित अधिकारियों या प्रबंधकों के लिए; पिछले 3 वर्षों में 1 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
ओ1	असाधारण क्षमता वीज़ा	कला, विज्ञान, शिक्षा या एथलेटिक्स में सिद्ध उत्कृष्टता वाले व्यक्तियों के लिए।
ई 1	संधि व्यापारी वीज़ा	अमेरिकी व्यापार संधियों वाले देशों के नागरिकों के लिए, जो वस्तुओं/सेवाओं के बड़े पैमाने पर व्यापार में लगे हुए हैं।

आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ

- **अमेरिका के लिए:**
  - **घरेलू श्रम बाजारों की सुरक्षा** और **उचित मजदूरी सुनिश्चित करने का** प्रयास ।
  - नौकरी छूटने के कारण उत्पन्न राजनीतिक दबाव के साथ नवाचार की आवश्यकताओं को संतुलित करना।
- **भारत के लिए:**
  - **सबसे बड़े एच-1बी लाभार्थी (60-70%)** के रूप में , नीतिगत परिवर्तन सीधे तौर पर **भारत के आईटी क्षेत्र** और **प्रेषण को प्रभावित करते हैं** ।
  - प्रतिबंधात्मक वीज़ा व्यवस्था कम्पनियों को **दूरस्थ कार्य** और **अपतटीय विकास केंद्रों की ओर धकेलती है** ।
- **वैश्वीकरण के लिए:**
  - उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में **बढ़ते संरक्षणवाद** और **पुनर्स्थापन प्रवृत्तियों को** प्रतिबिंबित करता है ।
  - कुशल पेशेवरों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए **द्विपक्षीय वार्ता** की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया ।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **सुधारोन्मुख वार्ता:**
   कुशल प्रवासन हितों की रक्षा के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषदों के तहत भारत-अमेरिका सहयोग को मजबूत करना।
2. **कौशल उन्नयन:**
   भारतीय पेशेवरों को **एआई, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग** और वेतन-प्राथमिकता श्रेणियों के साथ संरेखित अन्य **उच्च-मांग वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करें।**
3. **विविधीकरण:**
   कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया में अवसरों का विस्तार करना , जिससे अमेरिकी नौकरी बाजार पर निर्भरता कम हो।
4. **डिजिटल प्रवासन मॉडल:**
   वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं के लिए

RACE IAS

दूरस्थ कार्य वीजा और **सीमा पार डिजिटल फ्रीलांसिंग ढांचे को** बढ़ावा देना ।

5. **संतुलित अमेरिकी नीति:**
किसी भी शुल्क या वेतन सुधार को **वास्तविक उच्च-कौशल प्रवासन को श्रम प्रतिस्थापन से अलग करना चाहिए** , तथा नवाचार-संचालित गतिशीलता की भावना को बनाए रखना चाहिए।

निष्कर्ष

एच **-1बी वीज़ा प्रणाली** वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता और अमेरिकी तकनीकी नेतृत्व की आधारशिला बनी हुई है। **लॉटरी-आधारित व्यवस्था से वेतन-प्राथमिकता वाली व्यवस्था** में बदलाव एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है - जिसका उद्देश्य आव्रजन को श्रम बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करना कि ऐसे सुधार नवाचार या वैश्विक ज्ञान आदान-प्रदान में बाधा न डालें, भारत और अमेरिका दोनों के लिए **डिजिटल युग में अपनी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा** ।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड

प्रसंग

15 सितंबर 2025 को , **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025-26** में की गई घोषणा को पूरा करते हुए, **बिहार के पूर्णिया** में **राष्ट्रीय मखाना बोर्ड** का शुभारंभ किया । इस पहल का उद्देश्य, विशेष रूप से
भारत के प्रमुख उत्पादक **बिहार** में, मखाना (फॉक्स नट) की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात को मज़बूत करना है।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के बारे में

उद्देश्य:
प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और बाजार पहुंच के माध्यम से किसानों को समर्थन देते हुए पूरे भारत में मखाना के **उत्पादन, नवाचार, मूल्य संवर्धन और विपणन को** बढ़ावा देना ।

कार्य:

- **उत्पादन दक्षता** और **कटाई के बाद प्रबंधन में** वृद्धि करना ।
- **उच्च उपज वाली किस्मों के अनुसंधान और अपनाने को** प्रोत्साहित करें ।
- **निर्यात अवसंरचना का** विकास करना तथा **मूल्य श्रृंखलाएं स्थापित करना** ।
- भारतीय मखाना के लिए एक **राष्ट्रीय ब्रांड पहचान** बनाएं ।
- प्रसंस्करण और पैकेजिंग में **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को** सुगम बनाना ।

मुख्यालय: पूर्णिया, बिहार

बिहार और भारत के लिए महत्व

- भारत के कुल मखाना उत्पादन में **बिहार का योगदान लगभग 90% है ।**
- प्रमुख उत्पादक जिले: **दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढी** - जो **मिथिलांचल क्षेत्र का निर्माण करते हैं**।
- उनमें से, **दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार** राज्य के कुल का लगभग **80% उत्पादन करते हैं।**

अन्य राज्य: असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा भी छोटे पैमाने पर मखाना की खेती करते हैं।
भारत के बाहर: इसकी खेती नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया में होती है ।

बोर्ड का महत्व

- **क्षेत्रीय असमानता को पाटना:** यद्यपि बिहार भारत का अधिकांश मखाना उगाता है, लेकिन बेहतर प्रसंस्करण और रसद के कारण **पंजाब और असम** वर्तमान में सबसे बड़े **निर्यातक हैं।**
- **बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना:** बिहार में **कार्गो सुविधाओं** और मजबूत **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अभाव है** , जिससे प्रत्यक्ष निर्यात सीमित हो जाता है।
- **उत्पादकता में सुधार:** यह फसल **श्रम-प्रधान है** , जिससे लागत बढ़ जाती है। **स्वर्ण वैदेही** और **सबौर मखाना-1 जैसी उच्च उपज देने वाली किस्मों का उपयोग** कम ही होता है।
- **किसानों की आय में वृद्धि:** बोर्ड मखाना की खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए **प्रशिक्षण** , **निर्यात तैयारी** और **प्रौद्योगिकी एकीकरण प्रदान करेगा।**

मखाना - मिथिला का "काला हीरा"।

वानस्पतिक नाम: *यूरीएल फेरोक्स* (कांटेदार जल लिली या गोरगन नट)
सामान्य नाम: फॉक्स नट / ब्लैक डायमंड
विवरण:

- **स्थिर मीठे पानी के तालाबों, आर्द्रभूमि या झीलों** में उगाई जाने वाली जलीय फसल ।
- यह अपने **बड़े, कांटेदार, गोलाकार पत्तों** और **बैंगनी-सफेद फूलों के लिए जाना जाता है** ।
- खाद्य बीज **काले-भूरे रंग के होते हैं** , जो भूनने या फुलाने के बाद हल्के नाश्ते में बदल जाते हैं जिन्हें **'लावा' के नाम से जाना जाता है** ।

पोषण संबंधी विवरण:
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आवश्यक खनिजों से भरपूर ; आयुर्वेद और आधुनिक आहार में **स्वास्थ्य और औषधीय गुणों** के लिए मूल्यवान ।

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग

- **मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग** प्राप्त हुआ , जो इसकी **विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान** और गुणवत्ता की पुष्टि करता है।
- **वैधता:** 10 वर्ष, उसके बाद नवीकरण योग्य।
- इस टैग से ब्रांडिंग को बढ़ावा मिला है और स्थानीय किसानों को नकली उत्पादों से बचाने में मदद मिली है।

जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ

पैरामीटर	आदर्श सीमा/स्थिति
फसल का प्रकार	जलीय, तालाबों, आर्द्रभूमि और झीलों में उगाया जाता है
पानी की गहराई	4–6 फीट
तापमान की रेंज	20° सेल्सियस – 35° सेल्सियस
नमी	50% – 90%
वार्षिक वर्षा	100–250 सेमी
जलवायु प्रकार	उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड

- **स्थापना:** जनवरी 2025
- **मुख्यालय:** निज़ामाबाद, तेलंगाना
- **उद्देश्य: 2030 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के** लक्ष्य के साथ हल्दी उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना ।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी **उत्पादक और निर्यातक है, जिसकी वैश्विक व्यापार में 62% से अधिक हिस्सेदारी है** ।
- **वित्त वर्ष 2023-24:** भारत ने **1.62 लाख टन निर्यात किया** , जिसका मूल्य **226.5 मिलियन अमरीकी डॉलर था** ।

महत्व:
हल्दी और मखाना बोर्ड का गठन कृषि विविधीकरण और निर्यात संवर्धन के लिए सरकार के **क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है।**

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **बुनियादी ढांचे का विकास:**
   उत्पादन क्षेत्रों से सीधे निर्यात को समर्थन देने के लिए बिहार में
   कार्गो टर्मिनल और **प्रसंस्करण केंद्र** स्थापित करना ।
2. **प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास:**
   कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से कटाई, **बीज सुधार** और **जल प्रबंधन में मशीनीकरण को** बढ़ावा देना ।
3. **कौशल एवं प्रशिक्षण:**
   खेती, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और निर्यात अनुपालन पर **किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम** लागू करें ।
4. **निवेश और ब्रांडिंग:**
   वैश्विक मखाना ब्रांडिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स में **निजी क्षेत्र की भागीदारी को** आकर्षित करना ।
5. **स्थिरता: मखाना पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए**
   पर्यावरण अनुकूल खेती , आर्द्रभूमि संरक्षण और जल-उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना ।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय **मखाना बोर्ड, पारंपरिक जलीय कृषि को पुनर्जीवित करने** और **ग्रामीण किसानों , विशेष रूप से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र** में , को सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल का प्रतिनिधित्व करता है । **वैज्ञानिक नवाचार, मूल्य संवर्धन और वैश्विक विपणन के** संयोजन से , भारत का लक्ष्य मखाना को एक क्षेत्रीय व्यंजन से एक **निर्यात-आधारित सुपरफूड में बदलना है** , और इसे हल्दी के साथ **कृषि-आधारित आर्थिक परिवर्तन** और **ग्रामीण समृद्धि के प्रतीक के रूप में स्थापित करना है** ।

नोबेल चिकित्सा पुरस्कार 2025

प्रसंग

2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मैरी **ई. ब्रुनको** , **फ्रेडरिक जे. राम्सडेल** और **शिमोन सकागुची** को संयुक्त रूप से **परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता** पर उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया गया है — एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रतिरक्षा प्रणाली को हानिकारक रोगजनकों और शरीर के अपने स्वस्थ ऊतकों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। उनके अग्रणी कार्य ने प्रतिरक्षा, स्वप्रतिरक्षा और चिकित्सीय हस्तक्षेपों की आधुनिक समझ को बदल दिया है।

चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में

फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जीवन विज्ञान में उपलब्धियों के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार **स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है** , और इसमें एक **स्वर्ण पदक और लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की पुरस्कार राशि शामिल होती है** । यह पुरस्कार उन खोजों को सम्मानित करता है जो मानव स्वास्थ्य और जैविक समझ को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाती हैं।

पुरस्कार विजेता

1. **शिमोन साकागुची** – ओसाका विश्वविद्यालय, जापान

2. **मैरी ई. ब्रुनको** - इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी, यूएसए
3. **फ्रेडरिक जे. रामस्डेल** – सोनोमा बायोथेरेप्यूटिक्स, यूएसए साथ में, उनके स्वतंत्र लेकिन परस्पर संबद्ध अनुसंधान ने यह स्थापित किया कि किस प्रकार विशिष्ट प्रतिरक्षा कोशिकाएं - जिन्हें **नियामक टी कोशिकाएं (Tregs) के रूप में जाना जाता है** - प्रतिरक्षा प्रणाली में संतुलन बनाए रखती हैं, तथा स्वप्रतिरक्षा के माध्यम से आत्म-विनाश को रोकती हैं।

उनकी खोजें

1. नियामक टी कोशिकाएं (Tregs) और प्रतिरक्षा संतुलन

1995 में, **शिमोन साकागुची ने** प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक अद्वितीय वर्ग की पहचान की, जिसे **रेगुलेटरी टी कोशिकाएं (Tregs) कहा जाता है** - जिसे अक्सर प्रतिरक्षा प्रणाली की *पुलिस बल के रूप में वर्णित किया जाता है।*

- ये कोशिकाएं अति-प्रतिक्रियाशील प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिविधि को दबा देती हैं जो अन्यथा शरीर के अपने ऊतकों पर हमला कर सकती हैं।
- प्रयोगों से पता चला कि जब शिशु चूहों से **थाइमस** (एक प्रतिरक्षा अंग) को हटा दिया गया, तो उनमें स्वप्रतिरक्षी रोग विकसित हो गए।
- हालांकि, जब सामान्य टी कोशिकाओं को पुनः पेश किया गया, तो चूहे ठीक हो गए - जिससे सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक विशिष्ट उपसमूह की उपस्थिति की पुष्टि हुई।

इस खोज ने पहला साक्ष्य प्रदान किया कि **प्रतिरक्षा स्व-सहिष्णुता** केवल विकास के दौरान (थाइमस में) ही स्थापित नहीं होती, बल्कि विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा जीवन भर सक्रिय रूप से बनाए रखी जाती है।

2. FOXP3 - ट्रेग्स का मास्टर जीन

2000 के दशक के प्रारंभ में, **मैरी ब्रुनको** और **फ्रेडरिक रामस्डेल ने FOXP3 जीन की** खोज की , जो Treg के गठन और कार्य को नियंत्रित करने वाले *मास्टर स्विच के रूप में कार्य करता है।*

- उत्परिवर्ती "स्कर्फी" चूहों पर उनके शोध - जो गंभीर स्वप्रतिरक्षी विकारों से पीड़ित थे - ने खुलासा किया कि FOXP3 जीन में एक दोष के कारण अनियंत्रित प्रतिरक्षा सक्रियण हुआ।
- इसी प्रकार, मनुष्यों में, **FOXP3 में उत्परिवर्तन IPEX सिंड्रोम (प्रतिरक्षा विकार, पॉलीएंडोक्रिनोपैथी, एंटरोपैथी, एक्स-लिंक्ड)** से जुड़ा हुआ था , जो एक दुर्लभ लेकिन घातक ऑटोइम्यून रोग है।
- इस प्रकार FOXP3 एक महत्वपूर्ण प्रतिलेखन कारक के रूप में उभरा जो सामान्य टी कोशिकाओं को **नियामक संरक्षक में बदल देता है** ।

आनुवंशिकी , **प्रतिरक्षा विनियमन** और **नैदानिक स्वप्रतिरक्षी विकारों** के बीच संबंध स्थापित किया , जिससे सटीक प्रतिरक्षा विज्ञान में एक नया आयाम खुल गया।

3. परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता

प्रतिरक्षा प्रणाली रक्षा और नियंत्रण की दो पंक्तियाँ बनाए रखती है:

- **केंद्रीय सहनशीलता** - **थाइमस में स्थापित होती है** , जहां विकास के दौरान स्व-प्रतिक्रियाशील प्रतिरक्षा कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं।
- **परिधीय सहनशीलता** - शरीर के ऊतकों में बनाए रखा जाता है, जहां Treg सक्रिय रूप से दुष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की सक्रियता को रोकते हैं।

टी.आर.जी. **परिधीय सहनशीलता के मुख्य प्रवर्तक हैं** , जो अनावश्यक सूजन को रोकने, प्रतिरक्षा संतुलन बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए शरीर में निरंतर गश्त करते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं-ऊतकों के विरुद्ध न हो जाए।

वैज्ञानिक और नैदानिक महत्व

साकागुची, ब्रुन्को और रामस्डेल की खोजों ने चिकित्सा को नया रूप दिया है, तथा अनेक रोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के नए तरीके प्रस्तुत किए हैं।

1. कैंसर चिकित्सा

- कई ट्यूमर **प्रतिरक्षा हमले से खुद को बचाने के लिए Treg का उपयोग करते हैं** ।
- लक्षित **या समाप्त करके** , शोधकर्ता शरीर की प्राकृतिक कैंसर-रोधी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **चेकपॉइंट अवरोधकों** और **सीएआर-टी सेल थेरेपी** की प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं ।

2. स्वप्रतिरक्षी रोग

- **FOXP3+ Treg का** विस्तार या इंजीनियरिंग **टाइप 1 मधुमेह** , **मल्टीपल स्केलेरोसिस** , **इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज (IBD)** और **ल्यूपस** जैसी स्थितियों में प्रतिरक्षा अतिसक्रियता को शांत करने का एक सटीक तरीका प्रदान करता है ।
- क्लिनिकल परीक्षण में व्यापक प्रतिरक्षा दमन के बिना प्रतिरक्षा सामंजस्य को बहाल करने के लिए अगली पीढ़ी के उपचार के रूप में
  Treg सेल थेरेपी की खोज की जा रही है।

3. प्रत्यारोपण और अंग सहनशीलता

- **, अंग या स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण** के बाद आजीवन प्रतिरक्षादमनकारी दवाओं की आवश्यकता को कम कर सकती है ।
- इससे संक्रमण का जोखिम कम हो सकता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, तथा ग्राफ्ट की उत्तरजीविता बढ़ सकती है।

4. निदान और बायोमार्कर

- FOXP3 अभिव्यक्ति और Treg-संबंधित आणविक हस्ताक्षर रोग वर्गीकरण और चिकित्सा प्रतिक्रिया भविष्यवाणी के लिए **बायोमार्कर के रूप में कार्य करते हैं।**
- ये जानकारियां **व्यक्तिगत इम्यूनोथेरेपी का मार्गदर्शन करती हैं** और नैदानिक परीक्षणों को डिजाइन करने में मदद करती हैं।

नैतिक और नैदानिक संतुलन

हालांकि ट्रेग्स में हेरफेर करने से बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक संतुलन की भी आवश्यकता होती है:

- **Treg को** बहुत आक्रामक तरीके से बाधित करने से **स्वप्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं शुरू हो सकती हैं** ।
- **Treg को** अत्यधिक बढ़ाने से **प्रतिरक्षा दमन हो सकता है** , जिससे रोगी संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं या ट्यूमर प्रतिरक्षा पहचान से बच सकते हैं।

इस प्रकार, चिकित्सा के लिए चुनौती **सटीक विनियमन प्राप्त करने में निहित है** - प्रतिरक्षा प्रणाली को केवल आवश्यकतानुसार और कड़ी निगरानी में मजबूत या नरम करना।

वैश्विक स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव

2025 का नोबेल पुरस्कार इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे **मौलिक प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधी खोजें** नैदानिक क्रांतियों को जन्म दे सकती हैं। Treg और FOXP3 की पहचान ने निम्नलिखित जैसे नए क्षेत्रों को प्रेरित किया है:

- **सेलुलर इम्यूनोथेरेपी**
- **प्रतिरक्षा मॉड्यूलेशन के लिए जीन संपादन**
- **व्यक्तिगत प्रतिरक्षा निदान**
  इन प्रगतियों ने चिकित्सा को **लक्षित, रोगी-केंद्रित देखभाल की ओर स्थानांतरित कर दिया है** , जिसमें चिकित्सीय नवाचार के साथ प्रयोगशाला अंतर्दृष्टि का सम्मिश्रण किया गया है।

निष्कर्ष

2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रतिरक्षा प्रणाली के आंतरिक संतुलन को समझने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का जश्न मनाता है। **साकागुची, ब्रुनकोव और रामस्डेल की खोजों के माध्यम से, विज्ञान ने यह उजागर किया है कि शरीर की प्रतिरक्षा शक्तियाँ भी संयम का अभ्यास कैसे करती हैं - जो जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनका काम सटीक प्रतिरक्षा चिकित्सा के** विकास का मार्गदर्शन करना जारी रखता है जो कैंसर, स्व-प्रतिरक्षी रोगों और अंग प्रत्यारोपण के लिए सुरक्षित उपचार का वादा करती है।

अंततः, इस वर्ष की नोबेल मान्यता जीव विज्ञान में एक शाश्वत सत्य को रेखांकित करती है - कि **जीवन की शक्ति केवल रक्षा में ही नहीं, बल्कि सामंजस्य में भी निहित है।**

ट्रेड वॉच त्रैमासिक रिपोर्ट

प्रसंग

नीति आयोग ने **वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही** के लिए अपने प्रमुख विश्लेषणात्मक प्रकाशन, **"ट्रेड वॉच क्वार्टरली" का चौथा संस्करण प्रकाशित किया है** । यह रिपोर्ट वस्तु और सेवा दोनों क्षेत्रों में भारत के व्यापार प्रदर्शन का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

ट्रेड वॉच त्रैमासिक रिपोर्ट क्या है?

परिभाषा:
एक आवधिक विश्लेषणात्मक दस्तावेज जो भारत के **त्रैमासिक व्यापार गतिशीलता का मूल्यांकन करता है** , निर्यात, आयात और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के डेटा-आधारित आकलन को एकीकृत करता है।

नीति आयोग **द्वारा प्रकाशित**

रिपोर्ट के उद्देश्य

1. **नीति मार्गदर्शन:**
   साक्ष्य-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करना जो व्यापार और औद्योगिक नीति निर्माण में सहायता करती है।
2. **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता:**
   भारत के व्यापार विकास को गति देने वाले उभरते क्षेत्रों और क्षेत्रों की पहचान करना।
3. **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी):**
   जीवीसी में भारत की भागीदारी का आकलन करना तथा मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए रणनीतियां सुझाना।
4. **विनिर्माण शक्ति:**
   व्यापार से जुड़े अवसरों और बाधाओं को उजागर करके *मेक इन इंडिया* और *आत्मनिर्भर भारत* के तहत पहलों का समर्थन करना ।

प्रमुख विशेषताऐं

- **व्यापक व्यापार कवरेज:**
  क्षेत्र और उत्पाद के आधार पर **माल और सेवा व्यापार** दोनों को ट्रैक करता है ।
- **डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि:**
  रणनीतिक निर्णय लेने के लिए **क्षेत्रवार, उत्पादवार और क्षेत्रीय विश्लेषण** प्रदान करता है ।
- **नीति प्रासंगिकता:**
  व्यापार सुधारों और निर्यात संवर्धन प्रयासों की नीति आयोग की चल रही निगरानी को सूचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

हालिया व्यापार रुझान (वित्त वर्ष 2024–25)

सूचक	कीमत	वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन	हाइलाइट

कुल व्यापार	**1.73 ट्रिलियन डॉलर**	**+6%**	यह महामारी के बाद व्यापार में सुधार और लचीलेपन को दर्शाता है।
निर्यात	**823 बिलियन डॉलर**	—	सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात द्वारा समर्थित।
आयात	**908 बिलियन डॉलर**	—	ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोने के आयात से प्रेरित।

सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

- **रिकॉर्ड सेवा निर्यात:**
  387.5 बिलियन डॉलर - **आईटी सेवाओं, विमानन और वित्तीय सेवाओं के नेतृत्व में** ।
- **उभरते योगदानकर्ता:**
  पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर परामर्श सेवाओं की मांग में पुनः वृद्धि देखी गई।

क्षेत्रीय व्यापार पैटर्न

- **उत्तरी अमेरिका:**
  भारत के शीर्ष निर्यात बाजार के रूप में उभरा (25% हिस्सेदारी, +25% वार्षिक)।
- **यूरोपीय संघ, जीसीसी और आसियान:**
  आंशिक रूप से वैश्विक मांग में मंदी के कारण **मध्यम वृद्धि** देखी गई ।
- **अफ्रीका और लैटिन अमेरिका:**
  फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी निर्यात में उभरती विविधता दर्ज की गई।

आयात शिफ्ट

- **यूएई:**
  भारत-यूएई सीईपीए के तहत **सोने के आयात** से प्रेरित होकर **भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता** बन गया ।
- **चीन:**
  इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी में निरंतर प्रभुत्व , मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात में वृद्धि।
- **रूस:**
  ऊर्जा प्रवाह में कमी और भुगतान तंत्र की बाधाओं के कारण संयुक्त अरब अमीरात से पीछे रह गया।

रिपोर्ट का महत्व

- **नीति बेंचमार्किंग:**
  मंत्रालयों, थिंक टैंकों और राज्य सरकारों के लिए संदर्भ डेटा प्रदान करता है।
- **व्यापार वार्ता सहायता:**
  नए व्यापार समझौतों (जैसे, सीईपीए, ईएफटीए) के तहत प्रदर्शन का आकलन करने में सहायता करता है।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली:**
  समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्यात क्षेत्रों में तनाव का पता लगाती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **निर्यात टोकरी का विविधीकरण:**
   इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित प्रौद्योगिकियों और प्रसंस्कृत खाद्य पर ध्यान केंद्रित करना।
2. **जी.वी.सी. एकीकरण को मजबूत करना:**
   रसद, सीमा शुल्क दक्षता और व्यापार वित्त को बढ़ाना।
3. **डिजिटल व्यापार सुविधा:**
   वैश्विक बाजारों तक पहुंच के लिए छोटे निर्यातकों के लिए ई-प्लेटफॉर्म का विस्तार करना।
4. **क्षेत्रीय रणनीति:**
   कुछ बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए अफ्रीका, आसियान और लैटिन अमेरिका के साथ जुड़ाव को गहरा करना।

निष्कर्ष

ट्रेड **वॉच त्रैमासिक रिपोर्ट** भारत की व्यापार नीति के लिए एक रणनीतिक दिशासूचक का काम करती है। **डेटा विश्लेषण को नीतिगत दूरदर्शिता के साथ जोड़कर, यह भारत के उभरते व्यापार लचीलेपन और सेवा-आधारित, उच्च-मूल्य वाले निर्यात की** ओर बदलाव को दर्शाती है । आगे चलकर, निरंतर सुधार और विविधीकरण**, 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की व्यापार अर्थव्यवस्था** के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे ।

भारत-यूके संबंध और व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)

संदर्भ:

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और ब्रेक्सिट के बाद व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के माध्यम से भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में नई गति का प्रतीक है।

यात्रा का अवलोकन

- लेबर पार्टी का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री स्टारमर, वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों सहित 125 सदस्यीय एक व्यापक प्रतिनिधिमंडल के साथ यहाँ पहुँचे। इस आयोजन का केंद्र भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित सीईटीए समझौते में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना है। दोनों नेताओं का लक्ष्य

"विजन 2035" रोडमैप के अनुरूप वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर ले जाना है, जो समझौते के तहत मजबूत सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।

- ब्रिटेन के लिए, यह साझेदारी यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद उसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक पहल है। सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व को दर्शाते हुए, ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने भविष्य में ब्रिटेन में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की घोषणा करने के लिए मुंबई के एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो का दौरा किया, जिससे सांस्कृतिक और रचनात्मक संबंधों को मजबूती मिली।

व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) की मुख्य विशेषताएँ:
भारत-यूके सीईटीए दोनों देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के सुचारू आवागमन को सक्षम करने के लिए एक प्रगतिशील व्यापार संरचना स्थापित करता है।

इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:

- चयनित वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ में कटौती करना या हटाना।
- प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा और अनुसंधान में संयुक्त नवाचार को बढ़ावा देना।
- व्यापार प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और उद्यमों के लिए पहुंच खोलना।
- सतत विकास, आविष्कारशील सहयोग और शैक्षिक संबंधों को प्रोत्साहित करना।
  उल्लेखनीय है कि इस समझौते में साख की पारस्परिक मान्यता, कुशल पेशेवरों के लिए बेहतर गतिशीलता और बौद्धिक संपदा के लिए मज़बूत सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जो तकनीक, फार्मा और डिज़ाइन क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

लाभ और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
सीईटीए से व्यापक आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

भारत के लिए:

- कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और विनिर्मित वस्तुओं जैसे प्रमुख निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में व्यापक, कम या शून्य शुल्क पहुंच।
- विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है, जिस पर रोल्स रॉयस जैसे उद्योग के नेताओं ने प्रकाश डाला है, जो भारत को वैश्विक विकास केंद्र मानते हैं।
- "मेक इन इंडिया" प्रयासों के माध्यम से भारत को वैश्विक विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना।

ब्रिटेन के लिए:

- तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अधिक अवसर।
- ऑटोमोबाइल, स्पिरिट्स, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में भागीदारी में वृद्धि।
- यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन की वैश्विक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की पुष्टि करता है।

पारस्परिक लाभ:

- सहयोग व्यापार से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और रक्षा तक फैला हुआ है।
- छात्र, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क को सुगम बनाता है।
- फिनटेक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नवाचार और डिजिटल साझेदारी को बढ़ावा देता है।
  उम्मीद है कि रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे और व्यावसायिक विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन ने 2028 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई है।

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को समझना:
एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर व्यापार बाधाओं को समाप्त या न्यूनतम करना होता है। एफटीए का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, लागत कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

एफटीए की मुख्य विशेषताएँ:

- दोनों बाजारों में वस्तुओं को सस्ता बनाने के लिए टैरिफ में कमी/हटाना।
- सरलीकृत रीति-रिवाज, व्यवसायों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना।
- बेहतर पहुँच, निर्यातकों और निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा।
  इसका मुख्य लाभ आयात सामर्थ्य में वृद्धि, उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहन, निर्यात वृद्धि और नवाचार है।

भारत का व्यापार समझौता परिदृश्य
भारत व्यापक वैश्विक एकीकरण के लिए नए व्यापार समझौतों की सक्रियता से तलाश कर रहा है।

हाल के या चल रहे समझौते:

- संयुक्त अरब अमीरात के साथ सीईपीए (2022), खाड़ी क्षेत्र के संबंधों को बढ़ावा देगा।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता (2022) ऊर्जा, खनन और शिक्षा पर केंद्रित है।
- बाजार विविधीकरण को लक्षित करते हुए आसियान और कनाडा के साथ साझेदारी।
- यूरोपीय संघ के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही है।

एफटीए के तहत भारतीय निर्यात की सफलता के चालकों में टैरिफ में कटौती, लचीले 'मूल के नियम', आसान खाद्य और स्वास्थ्य मानक, तथा बेहतर लॉजिस्टिक्स अवसंरचना शामिल हैं -

ये सभी भागीदार देशों के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन द्वारा समर्थित हैं।

सामरिक और कूटनीतिक महत्व

सीईटीए के अंतर्गत भारत-ब्रिटेन सहयोग व्यापार से आगे बढ़कर कूटनीतिक और सुरक्षा आयामों को भी शामिल करता है।

- यह समझौता वैश्विक आर्थिक प्रणालियों और एशिया-यूरोप व्यापार संबंधों में भारत की भूमिका को बढ़ाता है।
- ब्रिटेन के लिए, यह ब्रेक्सिट के बाद एक महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है।
- दोनों देश जलवायु, सुरक्षा, तकनीकी नवाचार के साथ-साथ शैक्षिक और अनुसंधान आदान-प्रदान, विशेष रूप से नए संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं।

निष्कर्ष:

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो पारस्परिक विकास के लिए आर्थिक हितों और रणनीतिक सहयोग को एक साथ लाता है। हालाँकि, भविष्य की दिशा नियामक बाधाओं को दूर करने, निष्पक्षता को बढ़ावा देने और दोनों समाजों के लिए समावेशी लाभ सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है।

रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025: धातु-कार्बनिक फ्रेमवर्क (MOFs)

प्रसंग

रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार धातु-कार्बनिक फ्रेमवर्क (एमओएफ) को दिया जाएगा, जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, जिन्हें कार्बन को पकड़ने, जल संचयन करने, प्रदूषकों को हटाने तथा स्वच्छ ऊर्जा और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पुरस्कार विजेता और उनका योगदान

इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिक अग्रदूतों को सम्मानित करता है:

- **उमर एम. याघी (जॉर्डनियन-अमेरिकी):** ऊर्जा और पर्यावरण अनुप्रयोगों के लिए मजबूत, उच्च क्षमता वाले एमओएफ आर्किटेक्चर तैयार करने के लिए जाने जाते हैं।
- **रिचर्ड रॉबसन (ऑस्ट्रेलिया)** : 20वीं सदी के अंत में धातु-कार्बनिक क्रिस्टल के अपने अध्ययन के साथ MOF संरचनाओं के लिए प्रारंभिक वैचारिक आधार तैयार किया।
- **सुसुमु कितागावा (जापान):** MOFs को अणुओं के गतिशील भंडारण और वितरण में सक्षम लचीली प्रणालियों में विकसित किया।

उनकी सामूहिक प्रगति ने MOFs को असाधारण रूप से अनुकूलन योग्य पदार्थों के वर्ग के रूप में स्थापित किया, जिसने लचीलेपन और परमाणु-स्तरीय परिशुद्धता के नए मानक स्थापित किए।

धातु-कार्बनिक ढाँचे (MOFs) को समझना

एमओएफ कार्बनिक लिंकर्स द्वारा जुड़े धातु आयनों से बने होते हैं, जो नैनो आकार के गुहाओं से समृद्ध जटिल नेटवर्क बनाते हैं।

- उनकी संरचना छिद्रयुक्त और असाधारण रूप से हल्की, फिर भी मजबूत होती है; यहां तक कि एक ग्राम का सतह क्षेत्र भी एक पूरे फुटबॉल पिच से मुकाबला कर सकता है।
- एमओएफ इंजीनियर्ड परमाणु "स्पंज" की तरह व्यवहार करते हैं, जो लक्षित अणुओं को फंसाने, संग्रहीत करने और छोड़ने में सक्षम होते हैं।

विकास और प्रगति

- रॉबसन (1970-1980): पहली धातु-कार्बनिक संरचनाओं का निर्माण किया, जिससे उनकी संभावना पर प्रकाश डाला गया, लेकिन अस्थिरता के कारण वे सीमित थीं।
- कितागावा (1990 के दशक): लचीलेपन और आणविक भंडारण के लिए तंत्र प्रस्तुत किया, जिससे MOFs को अनुकूली गुण प्राप्त हुए।
- यागी (2000 का दशक): स्थिर, उच्च-क्षमता वाले एमओएफ विकसित किए, और जानबूझकर और व्यवस्थित सामग्री डिज़ाइन के लिए "रेटिकुलर केमिस्ट्री" अवधारणा को प्रस्तुत किया।

इस तिकड़ी के योगदान ने अनुकूलित, वास्तविक दुनिया में उपयोगिता के लिए निर्मित सामग्रियों की एक नई पीढ़ी की शुरुआत की है।

अनुप्रयोग और वास्तविक दुनिया पर प्रभाव

एमओएफ अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर हैं:

1. जलवायु और पर्यावरण:
   - वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और संग्रहीत करने में प्रभावी, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक रणनीतिक उपकरण प्रदान करता है।
   - वायु और जल स्रोतों से खतरनाक गैसों और लगातार प्रदूषकों को हटाने में सक्षम।
2. जल सुरक्षा:
   - कुछ जल संसाधन मंत्रालय परिवेशी वायु से जल निकालते हैं, जिससे रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी जल की कमी का समाधान हो जाता है।
3. ऊर्जा:

- उनकी संरचना हाइड्रोजन भंडारण के लिए आदर्श है, जो नवीकरणीय ईंधन सेल प्रौद्योगिकी में प्रगति को सुगम बनाती है।

4. स्वास्थ्य:
   - नियंत्रित दवा रिलीज और लक्षित वितरण, उपचार दक्षता बढ़ाने और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है।
5. औद्योगिक उपयोग:
   - एमओएफ खतरनाक पदार्थों के लिए सेंसर के रूप में और विनिर्माण में चयनात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे ऊर्जा की खपत और अपशिष्ट में कमी आती है।

एमओएफ बनाम जिओलाइट्स

विशेषता	धातु-कार्बनिक फ्रेमवर्क (MOFs)	जिओलाइट्स
संघटन	धातु आयन और कार्बनिक लिंकर्स	अकार्बनिक: Si, Al, O
संरचना	लचीला, अत्यधिक ट्यूनेबल	कठोर, कम अनुकूलनीय
अनुकूलन	विशिष्ट उपयोगों के लिए आसानी से अनुकूलित	सीमित प्राकृतिक रूप
मुख्य अनुप्रयोग	पर्यावरण, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी	निस्पंदन, मानक उत्प्रेरण

एमओएफ अपनी संरचनात्मक और रासायनिक ट्यूनेबिलिटी के कारण लचीलेपन और बहुमुखी प्रतिभा में जिओलाइट्स से आगे निकल जाते हैं।

निष्कर्ष

याघी, रॉबसन और कितागावा को दिया जाने वाला 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विज्ञान और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी अध्याय का प्रतीक है। धातु-कार्बनिक ढाँचे इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे मनुष्य दुनिया की तात्कालिक चुनौतियों के लिए आणविक स्तर पर पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं—रासायनिक कल्पना को वास्तविक, मापनीय प्रगति में बदल सकते हैं।

भारत की सौर पहल

प्रसंग

भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, जहाँ प्रमुख सौर परियोजनाएँ घरेलू ज़रूरतों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के माध्यम से, को पूरा करने के लिए हैं। सरकार ऊर्जा की पहुँच बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन-तटस्थ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पीएम-कुसुम और पीएम-सूर्य घर जैसे सफल सौर कार्यक्रमों का अफ्रीकी और द्वीपीय देशों तक विस्तार करने की योजना बना रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) इन प्रयासों का समन्वय करता है।

A. पीएम-कुसुम योजना

(प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान)

- **लॉन्च और उद्देश्य:**
  2019 में शुरू किया गया, पीएम-कुसुम सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंपों की सुविधा प्रदान करके कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है, डीजल और बिजली की खपत को कम करने में मदद करता है, किसानों को स्वच्छ ऊर्जा और पूरक आय के साथ सशक्त बनाता है।
- **बजट और सब्सिडी:**
  ₹34,000 करोड़ आवंटित, जिसमें 60% सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाएगी। शेष राशि किसान ऋण या व्यक्तिगत निधियों के माध्यम से प्रदान करेंगे।
- **ज़रूरी भाग:**
  - *घटक ए:* बंजर/कृषि योग्य भूमि पर विकेन्द्रीकृत सौर संयंत्र (लक्ष्य: 10,000 मेगावाट; प्रगति ~ 6%) जिससे किसान अधिशेष बिजली डिस्कॉम को बेच सकेंगे।
  - *घटक बी:* डीजल पंपों के स्थान पर एकल सौर पंप (लक्ष्य: 17.5 लाख पंप; प्रगति ~70%)।
  - *घटक सी:* ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरीकरण (प्रगति ~16-25%), जिससे सिंचाई के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजा जा सकेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय विस्तार:**
  कम बिजली की उपलब्धता को दूर करने, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सुधार लाने के लिए आईएसए के तहत अफ्रीका में सौर पंप मॉडल पेश किए जा रहे हैं।

बी. पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

- **उद्देश्य:**
  रूफटॉप सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य आवासीय घरों में 1 करोड़ सौर रूफटॉप प्रणालियां स्थापित करना, घरों को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और ऊर्जा बिलों को कम करना है।
- फ़ायदे:
  - घरों के लिए निःशुल्क स्वच्छ बिजली उत्पादन।
  - अतिरिक्त आय के लिए अधिशेष सौर ऊर्जा बेचना।

- सौर प्रणाली स्थापना और रखरखाव में 3 लाख से अधिक हरित नौकरियों का सृजन।
- राष्ट्रीय ग्रिड पर दबाव कम हुआ।

- **कार्यान्वयन:**
  ऑनलाइन पंजीकरण, सब्सिडी वितरण, तथा सुचारू स्थापना और कनेक्टिविटी के लिए राज्य विद्युत बोर्डों और शहरी निकायों के साथ साझेदारी द्वारा वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान:**
  मार्च 2026 तक भारत के 348 गीगावाट सौर क्षमता के लक्ष्य और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लिए व्यापक प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण, जो पेरिस समझौते के अनुरूप है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के माध्यम से वैश्विक विस्तार

आईएसए के माध्यम से भारत का नेतृत्व अफ्रीका और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में इन योजनाओं को दोहराने में मदद करता है, जिससे निम्नलिखित को बढ़ावा मिलता है:

- ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में बिजली की पहुंच।
- सौर उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण आय।
- कार्बन पदचिह्न में कमी.
- प्रौद्योगिकी साझाकरण और क्षमता निर्माण।
  यह SDG 7 (सस्ती स्वच्छ ऊर्जा) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) को आगे बढ़ाते हुए एक नवीकरणीय ऊर्जा भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।

भारत के लिए सामरिक महत्व

- जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है।
- विकेन्द्रीकृत ऊर्जा पहुंच के माध्यम से ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और हरित रोजगार के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ भारत के जलवायु नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष

पीएम-कुसुम और पीएम-सूर्य घर भारत के सौर मिशन के स्तंभ हैं, जो कृषि और घरेलू ऊर्जा परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। ये दोनों मिलकर, सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच, पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देते हैं - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आईएसए सहयोग के माध्यम से।

जलकुंभी

परिचय

जलकुंभी (*आइचोर्निया क्रैसिप्स*), जिसे जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका का एक आक्रामक जलीय पौधा है, जो औपनिवेशिक भारत में लाया गया था। अब यह 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फैल चुका है और विशेष रूप से केरल, पश्चिम बंगाल और असम में पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और आजीविका को प्रभावित कर रहा है।

विशेषताएँ और उत्पत्ति

- सामान्य नाम: जलकुंभी या जलकुंभी
- वैज्ञानिक नाम: *इचोर्निया क्रैसिपेस*
- भौतिक वर्णन: मोटी, चमकदार पत्तियों और आकर्षक बैंगनी फूलों वाला तैरता हुआ पौधा, जो पानी की सतह पर मोटी चटाई बनाता है।
- मूल उत्पत्ति: अमेज़न बेसिन, दक्षिण अमेरिका।
- भारत का परिचय: ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा सजावटी उद्देश्यों के लिए लाया गया।
- विस्तार: राष्ट्रीय स्तर पर 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित, केरल की वेम्बनाड झील, पश्चिम बंगाल की नदियाँ, असम की आर्द्रभूमि, तथा विश्व स्तर पर केन्या की नैवाशा झील जैसे स्थानों पर इसका व्यापक प्रभाव।

जलकुंभी के प्रसार के प्रभाव

1. **पर्यावरणीय क्षति:**
   - घने मैट पानी के नीचे के पौधों तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण अक्षम हो जाता है।
   - ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवों का दम घुटता है, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है और जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है।
2. **जलवायु परिवर्तन में योगदान:**
   - सड़ते हुए जलकुंभी से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नामक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं।
   - जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) बढ़ जाती है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक नुकसान पहुंचता है।
3. **कृषि चुनौतियाँ:**
   - सिंचाई चैनलों को अवरुद्ध करता है, जिससे फसलों के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, विशेष रूप से केरल और असम में धान के लिए।
   - किसानों को खरपतवार नियंत्रण में उच्च लागत और श्रम का सामना करना पड़ता है।
4. **मछुआरा समुदायों पर प्रभाव:**
   - नावों को बाधित करता है और जालों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मछलियों की पकड़ कम होती है और मछुआरों की आय को नुकसान पहुंचता है।

5. **पर्यटन और नौवहन पर प्रभाव:**
    - इससे सौंदर्यात्मक आकर्षण कम हो जाता है, तथा पर्यटक हतोत्साहित होते हैं।
    - परिवहन और मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले जलमार्गों को अवरुद्ध करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है।

सिफारिशों

1. **वर्तमान उपयोग:**
    - ओडिशा के स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्प, चटाई और फर्नीचर का उत्पादन करते हैं।
    - असम और पश्चिम बंगाल इसका उपयोग बायोगैस, खाद और कागज के लिए करते हैं।
2. **राष्ट्रीय नीति की आवश्यकताएं:**
    - खरपतवार प्रबंधन और निगरानी के लिए एक समर्पित प्राधिकरण बनाएं।
    - संक्रमण, हटाने के तरीकों और पुनर्वास पर डेटा को केंद्रीकृत करें।
    - प्रकरणिक समाशोधन के बजाय दीर्घकालिक स्थायी नियंत्रण को वित्तपोषित करें।
3. **वैज्ञानिक समाधान:**
    - *नियोचेटिना इचोर्निया* जैसे कीटों का उपयोग करके जैविक नियंत्रण ।
    - बड़े पैमाने पर निष्कासन के लिए यांत्रिक कटाई।
    - बायोमास को जैव ईंधन, खाद या बायोचार में परिवर्तित करने पर अनुसंधान।
4. **आर्थिक अवसर:**
    - स्टार्टअप्स और एसएचजी के माध्यम से पर्यावरण-उद्यमिता को बढ़ावा देना।
    - ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को मूल्यवर्धित जलकुंभी उत्पादों का प्रशिक्षण देना।
    - प्रयासों को एनआरएलएम जैसे आजीविका मिशनों से जोड़ें।

आगे का रास्ता

- शीघ्र पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से रोकथाम महत्वपूर्ण है।
- प्रभावी नियंत्रण के लिए यांत्रिक, जैविक और उपयोग विधियों को एकीकृत करें।
- जागरूकता और भागीदारी के लिए स्थानीय समुदायों और शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करें।
- तकनीकी नवाचार के लिए अनुसंधान निकायों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग करना।
- खरपतवार प्रबंधन को आर्द्रभूमि संरक्षण, मत्स्य पालन और जलवायु अनुकूलन नीतियों के साथ संरेखित करें।

निष्कर्ष

जलकुंभी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक सौम्य दिखने वाला पौधा अनियंत्रित होने पर व्यापक पर्यावरणीय नुकसान पहुँचा सकता है। हालाँकि, एक एकीकृत राष्ट्रीय नीति, वैज्ञानिक प्रबंधन और समुदाय-संचालित आर्थिक उपयोग के साथ, भारत इस आक्रामक खतरे को एक स्थायी संसाधन में बदल सकता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को भी बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन कार्यक्रम

प्रसंग

भारत अपना पहला **राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू कर रहा है** , जो देशी पौधों और जानवरों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक पहल है। यह आईयूसीएन रेड लिस्ट की तरह भारत की अपनी **रेड डेटा बुक स्थापित करेगा, जिससे राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण को बल मिलेगा।**

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि

भारत, 17 **विशाल विविधता वाले देशों में से एक है** , जिसमें **47,000 से अधिक पौधों** और **100,000 पशु प्रजातियां पाई जाती हैं** , जो चार हॉटस्पॉट - हिमालय, इंडो-बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड (निकोबार द्वीप समूह) में **वैश्विक जैव विविधता का लगभग 7-8% प्रतिनिधित्व करती हैं।**

आईयूसीएन **रेड डेटा बुक** प्रजातियों को खतरे के स्तर के अनुसार वर्गीकृत करती है, सबसे कम चिंताजनक से लेकर विलुप्त तक। भारत की पहल का उद्देश्य स्वदेशी संरक्षण संबंधी अंतर्दृष्टि के लिए इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना है।

उद्देश्य

आईयूसीएन की विश्व स्तर पर स्वीकृत पद्धति का उपयोग करते हुए देशी प्रजातियों की जोखिम स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक **राष्ट्रीय रेड डाटा बुक विकसित करना, जिससे भारत के डेटा और निगरानी अंतराल को भरा जा सके।**

भारत की राष्ट्रीय रेड लिस्ट पहल

दायरा और कवरेज

इस कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में पौधों और जानवरों सहित लगभग **11,000 प्रजातियों का मूल्यांकन करना है** , जिससे घरेलू संरक्षण प्राथमिकताओं के लिए एक एकीकृत संदर्भ उपलब्ध होगा।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और भारतीय **वनस्पति सर्वेक्षण (BSI)** संयुक्त रूप से मूल्यांकन करेंगे।

कार्यान्वयन ढांचा

- **नोडल मंत्रालय:** MoEF&CC

- **समय-सीमा: 2030** तक पूरा होने का लक्ष्य
- **बजट:** ₹95 करोड़
- **मानक:** वैश्विक तुलना के लिए IUCN वर्गीकरण के अनुरूप

संवैधानिक और कानूनी संदर्भ

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) लिंकेज

वन्यजीव **(संरक्षण) अधिनियम, 1972 में** कानूनी संरक्षण हेतु प्रजातियों की सूची तो दी गई है, लेकिन इसमें विलुप्त होने के जोखिम का वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं है। राष्ट्रीय रेड लिस्ट इस कमी को पूरा करेगी और संरक्षण प्रयासों को WPA तंत्रों के साथ संरेखित करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ

यह पहल भारत के निम्नलिखित दायित्वों का समर्थन करती है:

- **जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी)** - संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
- **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (सीओपी 15)** - " **30 बाय 30** " लक्ष्य को प्राप्त करना (2030 तक 30% भूमि और महासागर की रक्षा करना)।
- **राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य** - भारत के जैव विविधता सूचकांकों और प्रगति रिपोर्टों को अद्यतन करने में सहायता करना।

तर्क और महत्व

राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता

भारत में देशी प्रजातियों की स्थिति का आकलन और अद्यतन करने के लिए एक समेकित, वैज्ञानिक प्रणाली का अभाव है। लाल सूची नीति-निर्माण, अनुसंधान और वन्यजीव प्रबंधन के लिए **साक्ष्य-आधारित जानकारी प्रदान करेगी।**

वैश्विक आईयूसीएन रेड लिस्ट के विपरीत, भारत का संस्करण विशेष रूप से **देशी पारिस्थितिकी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा** , तथा क्षेत्रीय प्रासंगिकता के लिए **स्थानीय पारिस्थितिक डेटा को शामिल करेगा।**

जन जागरण

इससे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और नागरिकों के बीच प्रजातियों की संवेदनशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ेगी तथा संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियां

- **डेटा संग्रहण:** 11,000 से अधिक प्रजातियों के मानचित्रण के लिए व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण और समन्वय की आवश्यकता होती है।
- **तकनीकी विशेषज्ञता:** वर्गीकरण सटीकता और मानकीकरण सुनिश्चित करना जटिल बना हुआ है।
- **वित्तपोषण एवं क्षमता:** सतत वित्तीय एवं संस्थागत समर्थन आवश्यक है।
- **गतिशील खतरे:** जलवायु परिवर्तन, आवास की हानि, प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियां समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन की मांग करती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जेडएसआई, बीएसआई, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों** के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा नियमित निगरानी के लिए राज्यों में जैव विविधता केंद्रों को मजबूत करना।
- **तकनीकी और डिजिटल उपकरण**

  वास्तविक समय में प्रजातियों की ट्रैकिंग और भविष्यवाणी के लिए एक **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-सक्षम जैव विविधता डेटाबेस** बनाएँ । पारदर्शिता और नागरिकों की पहुँच के लिए एक **सार्वजनिक रेड लिस्ट पोर्टल शुरू करें।**
- **नीति एकीकरण WPA, वन संरक्षण अधिनियम** और **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के ढाँचों** के साथ संरेखित करें । संरक्षण निधि और आवास पुनर्स्थापन के लिए मार्गदर्शन हेतु डेटा का उपयोग करें।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय **रेड लिस्ट मूल्यांकन कार्यक्रम** भारत के जैव विविधता प्रशासन में एक मील का पत्थर है। घरेलू रेड डेटा बुक तैयार करके, भारत प्रजातियों की सुरक्षा रणनीतियों को परिष्कृत करेगा और वैश्विक संरक्षण में अग्रणी के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत करेगा। वैज्ञानिक मूल्यांकन, सहयोग और डिजिटल नवाचार के माध्यम से, यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि देश की पारिस्थितिक संपदा भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे।

साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025

प्रसंग

साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 , छह नोबेल श्रेणियों में से एक, इस वर्ष घोषित चौथा पुरस्कार था। यह पुरस्कार हंगरी के लेखक **लास्ज़लो क्रास्ज़्नाहोरकाई को दिया जाता है** , जो सभ्यता की नाज़ुकता और अराजकता के बीच रचनात्मकता की स्थिरता की खोज करने वाले अपने दूरदर्शी और दार्शनिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं।

नोबेल पुरस्कारों के बारे में

संस्थापक और मूल

अल्फ्रेड नोबेल (1833-1896) की वसीयत के तहत स्थापित ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को मान्यता देते हैं जो "मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ" पहुंचाते हैं।

प्रथम पुरस्कार और दायरा

प्रथम नोबेल पुरस्कार **1901 में प्रदान किये गये थे** और तब से वे विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में विश्व के सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार बन गये हैं।

पुरस्कार श्रेणियाँ (2025)

- **फिजियोलॉजी या मेडिसिन** - 2025 में घोषित
- **भौतिकी** - 2025 में घोषित
- **रसायन विज्ञान** - 2025 में घोषित
- **साहित्य** - घोषित 2025
- **शांति** - अभी घोषित होना बाकी है
- **आर्थिक विज्ञान** - अभी घोषित किया जाना बाकी है

पुरस्कार समारोह

यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, **10 दिसंबर** को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है । अधिकांश पुरस्कार **स्टॉकहोम, स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं** , सिवाय **शांति पुरस्कार के , जो ओस्लो, नॉर्वे** में दिया जाता है ।
प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक **स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और नकद पुरस्कार मिलता है** । पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जा सकते, और अधिकतम तीन व्यक्ति एक पुरस्कार साझा कर सकते हैं।

भारतीय कनेक्शन

प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता

रवींद्रनाथ टैगोर को *गीतांजलि* के लिए **साहित्य में नोबेल पुरस्कार (1913)** मिला , जो सार्वभौमिक आध्यात्मिकता को समाहित करने वाला एक काव्य संग्रह था।

पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता

मदर टेरेसा को भारत के गरीबों के बीच उनके मानवीय कार्यों के लिए **1979 में नोबेल शांति पुरस्कार** मिला । नोबेल पुरस्कार की विरासत से भारत का जुड़ाव साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में उपलब्धियों के लिए प्रेरणा देता रहा है।

2025 साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता

विजेता: लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई (हंगरी)

पुरस्कार प्रशस्ति पत्र:
मानवीय लचीलेपन और रचनात्मकता की जांच करते हुए पतन के कगार पर खड़े समाजों को चित्रित करने वाले " **सम्मोहक और दूरदर्शी आख्यानों " के लिए सम्मानित किया गया।**

साहित्यिक योगदान

लेखन शैली:
दार्शनिक गद्य, सघन आख्यानों और असाधारण रूप से लंबे वाक्यों के लिए जाने जाने वाले क्रासज़्नहोरकाई ने निराशा को बुद्धिमत्ता के साथ मिश्रित किया है, तथा अक्सर व्यवस्था और अराजकता के बीच तनाव की खोज की है।

निष्कर्ष

नोबेल **पुरस्कार 2025** अनिश्चितता और परिवर्तन के बीच मानवीय परिस्थितियों के गहन अन्वेषण के लिए **लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को** समर्पित है । उनका लेखन **दर्शन, कला और यथार्थवाद को जोड़ता है** , और मानवता को प्रतिबिंबित और पुनर्परिभाषित करने की साहित्य की शक्ति की पुष्टि करता है।
इस तरह के सम्मान के माध्यम से, **स्वीडिश अकादमी** उन आवाज़ों को सम्मानित करती रहती है जो धारणाओं को चुनौती देती हैं, सत्य की खोज करती हैं, और दुनिया भर के पाठकों के नैतिक और बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करती हैं।

श्रम शक्ति नीति 2025

प्रसंग

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए **राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति - श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा** जारी किया है । इसका उद्देश्य तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में सभी श्रमिकों के लिए **सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर** सुनिश्चित करके भारत के श्रम परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करना है ।

नीति के बारे में

यह क्या है?

श्रम शक्ति नीति 2025, भारत की **पहली एकीकृत राष्ट्रीय श्रम एवं रोज़गार नीति है, जो 2047 तक विकसित भारत** के दृष्टिकोण के अनुरूप है । यह **डिजिटलीकरण और हरित बदलावों** के युग में रोज़गार सृजन, श्रमिक कल्याण और भविष्य की तैयारी को एकीकृत करती है ।

उद्देश्य

समावेशिता, निष्पक्षता और लचीलेपन को बढ़ावा देकर **भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण करना** - यह सुनिश्चित करना कि सभी श्रमिक, औपचारिक और अनौपचारिक, राष्ट्रीय विकास में सुरक्षा, उत्पादकता और भागीदारी से लाभान्वित हों।

प्रमुख विशेषताऐं

1. एकीकृत दृष्टि और मिशन

नीति में सात मुख्य उद्देश्यों द्वारा निर्देशित **, सम्मान, सुरक्षा और अवसर पर आधारित कार्य की दुनिया की कल्पना की गई है** :

- सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH)
- लिंग और युवा सशक्तिकरण
- अनुपालन और औपचारिकता में आसानी
- भविष्य के लिए तैयार कार्यबल
- हरित एवं टिकाऊ नौकरियाँ
- सहभागी शासन

2. रोजगार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई)

राष्ट्रीय **कैरियर सेवा (एनसीएस)** एक राष्ट्रीय रोजगार डीपीआई के रूप में विकसित होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- एआई-आधारित नौकरी मिलान और करियर परामर्श
- कौशल सत्यापन और क्रेडेंशियल प्रमाणीकरण
- राज्य स्तरीय नौकरी एक्सचेंजों के साथ एकीकरण यह **डेटा-संचालित श्रम नियोजन** और वास्तविक समय ट्रैकिंग को सक्षम करेगा ।

3. सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा

अनौपचारिक और गिग श्रमिकों सहित **पोर्टेबल, इंटरऑपरेबल और आजीवन कवरेज** के लिए **ईपीएफओ, ईएसआईसी, पीएम-जेएवाई** और **ई-श्रम डेटाबेस को** एकीकृत करते हुए एक **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा खाता (यूएसएसए)** का निर्माण।

4. महिला एवं युवा सशक्तिकरण

2030 तक 35% महिला श्रम भागीदारी का लक्ष्य :

- लचीले कार्य विकल्प (दूरस्थ, हाइब्रिड, अंशकालिक)
- बाल देखभाल और मातृत्व सहायता
- उद्यमिता और नेतृत्व पहल
- युवाओं के लिए कौशल-आधारित व्यावसायिक मार्ग

5. अनुपालन और औपचारिकता में आसानी

एकल खिड़की डिजिटल अनुपालन पोर्टल का शुभारंभ, जिसमें शामिल हैं:

- जोखिम-आधारित स्व-प्रमाणन
- ऑनलाइन शिकायत निवारण
- पारदर्शी निरीक्षण
  उद्देश्य: अनुपालन बोझ को कम करना और औपचारिकता के लिए
  विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना।

6. प्रौद्योगिकी और हरित परिवर्तन

यह एआई-सक्षम सुरक्षा प्रणालियों , डिजिटल कौशल उन्नयन और नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ कृषि में **हरित रोज़गार** सृजन को बढ़ावा देता है । यह **पेरिस समझौते के** लक्ष्यों और **मिशन लाइफ़ के अनुरूप है** ।

7. अभिसरण और सुशासन

तीन स्तरीय संरचना स्थापित की गई है - राष्ट्रीय, राज्य और जिला श्रम मिशन - जो **डेटा डैशबोर्ड** और प्रदर्शन और पारदर्शिता के लिए **श्रम और रोजगार नीति मूल्यांकन सूचकांक (LEPEI) द्वारा समर्थित है।**

8. श्रम और रोजगार स्टैक

एक एकीकृत डिजिटल आधार जो एकीकृत करता है:

- श्रमिक आईडी (आधार-लिंक्ड, ई-श्रम)
- नियोक्ता और उद्यम डेटाबेस
- सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी और कौशल पात्रता रिकॉर्ड **कागज रहित, पोर्टेबल, जवाबदेह शासन को** सक्षम बनाता है ।

9. त्रिपक्षीय वार्ता और सहकारी संघवाद

सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच परामर्श को संस्थागत बनाना , **सामंजस्यपूर्ण श्रम सुधारों** और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने को बढ़ावा देना।

चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना (2025–2047)

चरण समय	प्रमुख फोकस क्षेत्र
I (2025–2027)	संस्थागत व्यवस्था, डिजिटल पायलट, कल्याणकारी प्रणालियों का एकीकरण
द्वितीय (2027–2030)	सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत, एआई-आधारित नौकरी उपकरण
तृतीय (2030–2047)	डिजिटल अभिसरण, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, पूर्ण कार्यकर्ता पोर्टेबिलिटी

महत्व

- **समग्र दृष्टिकोण:** रोजगार सृजन, संरक्षण और शासन को एक ढांचे के अंतर्गत जोड़ता है।
- **भविष्य की तैयारी:** स्वचालन, गिग अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को संबोधित करता है।
- **समावेशिता:** विकास नियोजन में अनौपचारिक, गिग और महिला श्रमिकों को केन्द्र में रखना।
- **डिजिटल गवर्नेंस:** पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और दक्षता को बढ़ाता है।

आगे की चुनौतियां

- **कार्यान्वयन जटिलता:** मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वय।
- **डेटा गोपनीयता:** डिजिटल एकीकरण और श्रमिक डेटा संरक्षण में संतुलन।
- **वित्तीय स्थिरता:** सार्वभौमिक कवरेज के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित करना।
- **कौशल अंतराल:** शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करना।
- **अनौपचारिक क्षेत्र एकीकरण:** भारत के 80% से अधिक कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

RACE IAS

आगे बढ़ने का रास्ता

- राष्ट्रीय श्रम प्रशासन परिषद के माध्यम से **केंद्र-राज्य समन्वय को** मजबूत करना ।
- **डेटा सुरक्षा मानकों** और कर्मचारी सहमति ढांचे को सुनिश्चित करें ।
- डिजिटल कौशल और रोजगार सृजन में **पीपीपी मॉडल को** बढ़ावा देना ।
- वैश्विक बेंचमार्किंग के लिए **श्रम नीति सूचकांक को** नियमित रूप से अद्यतन करें ।
- अनौपचारिक और प्रवासी समावेशन के लिए **समुदाय-आधारित जागरूकता अभियान** चलाएं ।

निष्कर्ष

मसौदा - **श्रम शक्ति नीति 2025, गरिमापूर्ण, डिजिटल और समावेशी कार्य पारिस्थितिकी तंत्र** की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है । सामाजिक सुरक्षा को तकनीकी नवाचार और सहभागी शासन के साथ जोड़कर, यह भारत के कार्यबल को **भविष्य के लिए तैयार और लचीला बनाने का प्रयास करता है**। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह **विकासशील भारत @2047 की आधारशिला बन सकता है** , जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत की आर्थिक प्रगति प्रत्येक श्रमिक के लिए न्याय, सुरक्षा और अवसर पर आधारित हो।

लिंग-पुष्टि देखभाल (जीएसी)

संदर्भ:

एक हालिया लेख भारत में लिंग-पुष्टि देखभाल (जीएसी) की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, तथा ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों के लिए सम्मान, समानता और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है।

लिंग-पुष्टि देखभाल क्या है?

जीएसी में **चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी हस्तक्षेप शामिल हैं** जो व्यक्तियों को उनकी लिंग पहचान को उनके शरीर और सामाजिक मान्यता के साथ संरेखित करने में मदद करते हैं।

- **सामाजिक हस्तक्षेप:** सही नाम, सर्वनाम और संस्थागत मान्यता।
- **मनोवैज्ञानिक सहायता:** लिंग डिस्फोरिया के प्रबंधन के लिए परामर्श और सहकर्मी नेटवर्क।
- **चिकित्सा देखभाल:** वांछित लिंग विशेषताओं की पुष्टि के लिए हार्मोन थेरेपी और सर्जरी।
- **कानूनी सहायता:** स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों में संस्थागत समावेशन।

डब्ल्यूएचओ ने जीएसी को **चिकित्सकीय रूप से आवश्यक** माना है , न कि वैकल्पिक, क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

भारत में जीएसी की आवश्यकता

- **मानसिक स्वास्थ्य संकट:** 31% से अधिक ट्रांस व्यक्तियों ने आत्महत्या का प्रयास किया है, जिनमें से कई ने 20 वर्ष की आयु से पहले ही आत्महत्या का प्रयास किया है।
- **स्वास्थ्य लाभ:** जी.ए.सी. तक पहुंच से अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति कम हो जाती है (जे.ए.एम.ए., 2023)।
- **संवैधानिक अधिकार:** अनुच्छेद 21 स्वास्थ्य सेवा तक गरिमा और पहुंच सुनिश्चित करता है।
- **सामाजिक समावेशन:** स्वीकृति, रोजगार और समानता को सक्षम बनाता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता:** *ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019* के तहत अनिवार्य ।

जीएसी में बाधाएं

- **खराब चिकित्सा अवसंरचना:** प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी, राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का अभाव।
- **उच्च लागत:** सर्जरी (₹2-8 लाख); हार्मोन थेरेपी (₹50,000-70,000 प्रतिवर्ष)।
- **कमजोर नीति कार्यान्वयन:** आयुष्मान भारत टीजी प्लस का अभी भी कम उपयोग हो रहा है।
- **कलंक और भेदभाव:** दुर्व्यवहार का डर देखभाल लेने से रोकता है।
- **असुरक्षित विकल्प:** स्व-चिकित्सा से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।

उपेक्षा के परिणाम

- मानसिक स्वास्थ्य खराब होना और आत्महत्या का खतरा बढ़ जाना।
- सामाजिक और आर्थिक हाशिये पर डालना।
- अनियमित उपचार से शारीरिक नुकसान।
- डेटा अंतराल के कारण नीति अदृश्यता।
- मानव एवं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **आयुष्मान भारत** और सरकारी अस्पतालों में एकीकृत किया जाएगा।
- चिकित्सा कर्मचारियों को लिंग संवेदनशीलता के बारे में **प्रशिक्षित करें ।**
- आउटरीच के लिए ट्रांस-नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ **साझेदारी करें ।**
- **सुधार करें** और राष्ट्रीय जीएसी दिशानिर्देश बनाएं।
- साक्ष्य-आधारित नीति के लिए **डेटा एकत्र करें ।**
- कलंक से निपटने के लिए **जागरूकता अभियान ।**

उदाहरण: तमिलनाडु के जेंडर क्लीनिक और केरल का ट्रांसजेंडर सेल सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में कार्य करते हैं।

निष्कर्ष:

लिंग-पुष्टि देखभाल एक **मानवाधिकार है** , जो सम्मान, स्वास्थ्य और समानता के लिए आवश्यक है। इसकी उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने से भारत वास्तविक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य समानता के और करीब पहुँचेगा।

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) संघर्ष

पृष्ठभूमि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर चीन रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है, तो चीनी वस्तुओं पर 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका-चीन के बीच इस नए व्यापारिक तनाव ने वैश्विक बाज़ार में अस्थिरता बढ़ा दी है और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को बाधित किया है।

चीन की जवाबी कार्रवाई

अमेरिकी टैरिफ धमकियों के जवाब में, चीन ने प्रमुख खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता है। यह कदम अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र की चीनी REE पर निर्भरता को लक्षित करता है, जो भू-राजनीतिक लाभ के लिए "व्यापार के हथियारीकरण" का एक उदाहरण है।

दुर्लभ पृथ्वी तत्व

- दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) में स्कैंडियम, यिट्रियम, तथा लैंथेनम (La) से लेकर ल्यूटेटियम (Lu) तक 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं।
- हल्के REEs (La–Eu) और भारी REEs (Gd–Lu) में वर्गीकृत, स्कैंडियम और यिट्रियम को समान गुणों के लिए भारी REEs के साथ समूहीकृत किया गया।
- आरईई सघन होते हैं, इनमें उच्च गलनांक, चालकता और तापीय चालकता होती है, तथा ये त्रिसंयोजी आवेश (+3) और समान आयनिक त्रिज्या साझा करते हैं।
- मुख्य स्रोतों में बास्टनेसाइट, ज़ेनोटाइम, लोपेराइट और मोनाजाइट शामिल हैं, जो अक्सर आग्नेय चट्टानों या खनिज रेत जमा में पाए जाते हैं।
- सीरियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला REE है, जिसकी मात्रा तांबे के बराबर है; कुछ REE खनिजों में थोरियम और यूरेनियम भी पाया जाता है।

शोधन और प्रसंस्करण में प्रभुत्व:

चीन **REE प्रसंस्करण में निर्विवाद नेता है, जो दुनिया के** लगभग 90% REE धातुओं और खनिजों का शोधन करता है ।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला:

इन परिष्कृत खनिजों की आपूर्ति दुनिया भर में की जाती है - जिसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और यूरोपीय संघ शामिल हैं** - जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ऊर्जा उद्योगों में एक महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग:

- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** स्मार्टफोन, कंप्यूटर हार्डवेयर, हेडफोन।
- **रक्षा:** मिसाइल प्रणाली, ड्रोन, रडार घटक।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** एमआरआई स्कैनर, एक्स-रे और पीईटी इमेजिंग।
- **ऊर्जा और गतिशीलता:** इलेक्ट्रिक वाहन, विमानन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ।
- **चुम्बक:** उच्च शक्ति वाले चुम्बक (जैसे, नियोडिमियम, सैमेरियम-कोबाल्ट) आधुनिक गैजेट्स और स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं।

"दुर्लभ" मिथ्या नाम:

"दुर्लभ" शब्द का अर्थ **प्रसंस्करण की कठिनाई** है, न कि भूवैज्ञानिक कमी। REE भंडार विश्व स्तर पर वितरित हैं, जिनमें **भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं** ।

विशिष्ट निर्यात प्रतिबंध: पाँच प्रमुख REE लक्षित

चीन ने वैश्विक प्रौद्योगिकी विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण पांच REEs पर **कड़े नियंत्रण और आंशिक निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं:**

1. **होल्मियम:**
   - अनुप्रयोग: अर्धचालक चिप्स और लेजर सर्जिकल उपकरण।
   - क्षेत्र: स्वास्थ्य सेवा और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स।
2. **एर्बियम:**
   - अनुप्रयोग: फाइबर-ऑप्टिक संचार और वाई-फाई नेटवर्क।
   - क्षेत्र: दूरसंचार।
3. **थुलियम:**
   - अनुप्रयोग: लेजर प्रणाली, एक्स-रे उपकरण, माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी।
   - क्षेत्र: रक्षा और स्वास्थ्य सेवा।
4. **यूरोपियम:**
   - अनुप्रयोग: परमाणु रिएक्टरों और प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किया जाता है।
   - विशेषता: सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील REEs में से एक।
5. **यटरबियम:**
   - अनुप्रयोग: एक्स-रे मशीन, परमाणु चिकित्सा और धातु विज्ञान।
   - क्षेत्र: चिकित्सा और ऊर्जा उद्योग।

विस्तारित नियंत्रण: रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन ने कुल मिलाकर 12 REE पर प्रतिबंध लगा दिए हैं , जिससे अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला और प्रौद्योगिकी निर्यात बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं।

कृत्रिम (प्रयोगशाला में विकसित) हीरों पर निर्यात प्रतिबंध

नया प्रतिबंध क्षेत्र: चीन ने सिंथेटिक या प्रयोगशाला में विकसित हीरों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जो **उच्च दबाव उच्च तापमान (एचपीएचटी)** और **रासायनिक वाष्प जमाव (सीवीडी)** जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं ।

दोहरा उपयोग:
हालांकि इन हीरों का उपयोग **आभूषणों में किया जाता है, लेकिन ये औद्योगिक और रक्षा उद्देश्यों** के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं , जिनमें अर्धचालक, रडार प्रणाली और लेजर उपकरण शामिल हैं।

सामरिक महत्व: इस कदम को अमेरिकी उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति को नियंत्रित करने के एक और प्रयास के रूप में देखा जा रहा है ।

भारत के लिए निहितार्थ

व्यापार संतुलन अधिनियम:
भारत को **संयुक्त राज्य अमेरिका (इसका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य)** और **चीन (आयात का सबसे बड़ा स्रोत) के बीच संबंधों को संतुलित करने में एक जटिल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है - विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों** के क्षेत्र में ।

क्षेत्रवार निर्भरता:
भारत के **ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग** , मैग्नेट और बैटरी घटकों सहित **REE-आधारित सामग्रियों के लिए चीन से आयात** पर बहुत अधिक निर्भर हैं ।

रणनीतिक विविधीकरण की आवश्यकता:

- भारतीय ऑटो क्षेत्र ने पहले ही सरकार से एक **व्यापक महत्वपूर्ण खनिज रणनीति तैयार करने का आग्रह किया है** ।
- चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को **क्वाड के महत्वपूर्ण खनिज पहल** जैसे ढांचे के तहत **जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसे **वैकल्पिक भागीदारों** के साथ सहयोग करना चाहिए ।
- घरेलू अन्वेषण, शोधन प्रौद्योगिकी और पुनर्चक्रण में निवेश से भारत की आत्मनिर्भरता और मजबूत हो सकती है।

निष्कर्ष

अमेरिका-चीन के बीच टैरिफ़ को लेकर नए सिरे से टकराव वैश्विक भू-राजनीति में **दुर्लभ मृदा तत्वों** के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है । शोधन और निर्यात नियंत्रण में चीन के प्रभुत्व ने दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) को **आर्थिक शासन-कौशल के एक उपकरण में बदल दिया है। भारत जैसे देशों के लिए, यह संकट आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने , तकनीकी क्षमता** निर्माण और **लचीली व्यापार साझेदारियाँ विकसित करने की** तात्कालिक आवश्यकता की याद दिलाता है । राष्ट्रीय औद्योगिक हितों की रक्षा करते हुए प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच संतुलन बनाना, उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करेगा।

सक्सम ड्रोन सिस्टम

प्रसंग:

भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी ड्रोन-रोधी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सक्सम ड्रोन प्रणाली तैनात की है।

सक्षम का अर्थ: *काइनेटिक सॉफ्ट और हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट के लिए स्थितिजन्य* जागरूकता ।

उद्देश्य: इसे ड्रोन-रोधी प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, यह झुंड हमलों सहित शत्रुतापूर्ण हवाई प्रणालियों का पता लगा सकता है, उनकी निगरानी कर सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है।

महत्व: यह आधुनिक संघर्षों में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जहां खतरों में निगरानी इकाइयां, हथियारबंद ड्रोन और विस्फोटकों से लदे कामिकेज़ ड्रोन शामिल हैं।

विकास: भारतीय सेना द्वारा परिचालन उपयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा निर्मित।

लौह युग की उत्पत्ति पर बहस

प्रसंग

तमिलनाडु के पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि लौह युग लगभग 3300 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, जो उत्तर भारत की 1100-800 ईसा पूर्व की समयरेखा से बहुत पहले था, जो स्थापित ऐतिहासिक कालक्रम को चुनौती देता है, जैसा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है।

भारत में लौह युग की प्रारंभिक समझ

पारंपरिक सिद्धांत:

- इतिहासकारों का मानना था कि लौह युग की शुरुआत उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में लगभग 1100 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसका संबंध चित्रित धूसर मृदभांड और प्रारंभिक वैदिक स्थलों से था, तथा दक्षिण भारत ने लौह प्रौद्योगिकी को बहुत बाद में अपनाया।

प्रारंभिक मान्यताओं का आधार:

- प्राथमिक साक्ष्य **उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुए हैं** ।

- इन खोजों में लोहे के औजार, कृषि उपकरण और प्रारंभिक धातु विज्ञान के साक्ष्य शामिल थे।

तमिलनाडु का प्रारंभिक लौह युग

- हाल ही में हुए उत्खनन से पता चलता है कि **तमिलनाडु में लोहे का उपयोग** लगभग **3300 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था** , जो उत्तर भारत के लौह युग से भी पहले का है।
- निष्कर्षों से पता चलता है कि लगभग 5,300 वर्ष पहले **उन्नत धातु विज्ञान था** , जिससे भारत के प्रारंभिक कालक्रम में संशोधन होता है।
- मुख्यमंत्री **एमके स्टालिन का दावा है कि तमिल क्षेत्र प्रारंभिक लौह प्रौद्योगिकी का उद्गम स्थल** रहा होगा ।

तमिलनाडु के प्रमुख पुरातात्विक स्थल

तमिलनाडु में लौह युग के प्रमुख स्थलों में दफन कलाकृतियों वाला तिरुमलापुरम, आदिचनलुर के कलश दफन, शिवकलाई के मिट्टी के बर्तन और उपकरण, किलाडी की शहरी बस्तियां और कोडुमनाल के औद्योगिक और व्यापार साक्ष्य शामिल हैं।

तिरुमलापुरम उत्खनन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष

दफ़नाने के साक्ष्य:
तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन किए गए तिरुमलापुरम स्थल से एक **विशाल दफ़नाने का परिसर मिला है** जिसमें सुव्यवस्थित अंत्येष्टि अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया गया है। अवशेषों के पास सावधानीपूर्वक रखी गई कलाकृतियाँ पाई गईं, जो **परलोक में विश्वास** और सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाती हैं।

लौह वस्तुएँ: 85
से अधिक **लौह कलाकृतियाँ** मिलीं, जिनमें शामिल हैं:

- **चाकू, तीर, छेनी, कुल्हाड़ी और अंगूठियां**
  ये उपकरण **उन्नत धातु कौशल प्रदर्शित करते हैं** , जो एक सक्रिय लौह युग संस्कृति के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं।

मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी संस्कृति:

- उत्खनन से **काले और लाल रंग के बर्तन** और **सफेद रंग के बर्तन मिले हैं** , जो लौह युग के विशिष्ट चिह्न हैं।
- इन डिजाइनों की निरंतरता पीढ़ियों के बीच **तकनीकी स्थिरता और कलात्मक विकास का संकेत देती है।**

कलश और प्रतीकात्मक कला:

- दफ़नाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले अनेक **कलश पाए गए।**
- कुछ कलशों पर मानव, पहाड़ी हिरण और कछुओं की **आकृतियां उत्कीर्ण थीं** - जो समुदाय के प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक जीवन की झलकियां प्रस्तुत करती थीं।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व

उत्तरी कालक्रम को चुनौती:
ये खोजें लंबे समय से चली आ रही इस धारणा पर सवाल उठाती हैं कि **भारत में सभ्यतागत प्रगति उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई** । इसके बजाय, ये खोजें बताती हैं कि लौह प्रगलन जैसे **तकनीकी नवाचार** तमिलनाडु में **स्वतंत्र रूप से या उससे भी पहले उभरे होंगे।**

सांस्कृतिक इतिहास पर प्रभाव:

- साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि उत्तर भारत में शहरी केंद्रों के उदय से बहुत पहले दक्षिण भारत में **तकनीकी रूप से उन्नत और सामाजिक रूप से संगठित समाज था ।**
- ये निष्कर्ष तमिल सभ्यता के **नवपाषाण** , **महापाषाण** और **संगम चरणों** के बीच **की खाई को पाटने में सहायक हो सकते हैं।**

वैज्ञानिक सत्यापन की आवश्यकता:
हालांकि ये दावे आशाजनक हैं, लेकिन **रेडियो-कार्बन डेटिंग और धातुकर्म विश्लेषण** सटीक समय-सीमा निर्धारित करने और यह पुष्टि करने के लिए आवश्यक हैं कि क्या लौह युग वास्तव में दावे के अनुसार ही शुरू हुआ था।

निष्कर्ष

तमिलनाडु के पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त साक्ष्य भारत के **आद्य-ऐतिहासिक काल** की समझ में एक परिवर्तनकारी चरण का प्रतीक हैं । यदि इनका सत्यापन हो जाए, तो ये निष्कर्ष **प्रारंभिक धातु विज्ञान की वैश्विक कथा को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं और दक्षिण भारत को** लौह प्रौद्योगिकी के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं । क्षेत्रीय गौरव से परे, यह शोध भारत के प्राचीन इतिहास को **बहु-केंद्रित के** रूप में देखने की आवश्यकता पर बल देता है , जो इसके विशाल भूगोल में विविध सांस्कृतिक और तकनीकी नवाचारों द्वारा आकार लेता है।

जनसांख्यिकी मिशन

संदर्भ:
प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ से निपटने और संतुलित विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सतत विकास के लिए भारत की उभरती जनसंख्या प्रवृत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की।

उद्देश्य:

- प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रवासन और जनसंख्या वितरण की निगरानी और विश्लेषण करना।
- जनसांख्यिकीय बदलावों के विरुद्ध सीमा क्षेत्र की लचीलापन को मजबूत करना।
- नीति और शासन के लिए जनसांख्यिकीय खुफिया प्रणाली का निर्माण करें।

प्रमुख विशेषताऐं:

- जनसांख्यिकीय और प्रवासन प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय आयोग।
- डिजिटल जनगणना, उपग्रह मानचित्रण और उन्नत विश्लेषण का उपयोग।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, वृद्धावस्था और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करें।
- सीमा सुरक्षा को सामाजिक-आर्थिक नियोजन से जोड़ें।

महत्त्व:

- घटती प्रजनन क्षमता, क्षेत्रीय असंतुलन और वृद्ध होती जनसंख्या।
- आंतरिक और सीमापार प्रवासन पहचान और अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहा है।
- संसाधनों तक असमान पहुंच जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए खतरा बन रही है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ से सुरक्षा जोखिम।

चुनौतियाँ:

- एकीकृत अद्यतन डेटा का अभाव।
- जनसांख्यिकीय बहस में राजनीतिक संवेदनशीलता.
- मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी।
- प्रवासी अधिकारों और सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाना।
- टिकाऊ वृद्ध देखभाल प्रणालियों की आवश्यकता।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- सभी राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से जनसांख्यिकीय डेटा को एकीकृत करें।
- एक स्पष्ट राष्ट्रीय प्रवासन नीति विकसित करें।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल अवसंरचना को मजबूत करना।
- मुद्दे के राजनीतिकरण को कम करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा दें।
- जनसांख्यिकी अनुसंधान और नीति के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान बनाएं।

निष्कर्ष:
जनसांख्यिकी मिशन एक समावेशी, डेटा-संचालित ढांचा होना चाहिए जो मानव पूंजी को बढ़ाते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करे, वृद्धावस्था की समस्या का समाधान करे, तथा भारत को जनसांख्यिकीय स्थिरता और समान विकास की ओर ले जाए।

2024-25 में माइक्रोफाइनेंस ऋण चूक में वृद्धि

संदर्भ: सा-धन द्वारा
भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार , भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ऋण चूक में भारी वृद्धि देखी गई, जो कम आय वाले उधारकर्ताओं के बीच बढ़ते पुनर्भुगतान तनाव और वित्तीय भेद्यता को दर्शाती है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **विलंबता में वृद्धि:** 30 दिनों से अधिक समय से बकाया ऋण (**पीएआर 30+**) बढ़कर **6.2% हो गया** , जो वित्त वर्ष 2023-24 में **2.1% था।**
- **बढ़ते एनपीए:** गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (**90 दिनों से अधिक की बकाया राशि**) पिछले वर्ष के **1.6%** की तुलना में तेजी से बढ़कर **4.8% हो गईं।**
- **क्षेत्रीय स्नैपशॉट: बिहार** में बकाया सूक्ष्म ऋणों की संख्या 57,712 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जिसमें **7.2% ऋण 30 दिनों से अधिक विलंबित थे** तथा **4.6% ऋण 90 दिनों से अधिक विलंबित थे** ।
- **ग्रामीण संकट:** ग्रामीण सूक्ष्म ऋणों में 2.3 लाख करोड़ रुपये में से **6.4% अतिदेय थे** , जो शहरी और अर्ध-शहरी स्तरों से अधिक है, जो ग्रामीण वित्तीय तनाव को और अधिक दर्शाता है।

कारण:

- महामारी के बाद आय में ठहराव और मुद्रास्फीति का दबाव।
- कई ऋण चैनलों के कारण अधिक उधार लेना।
- कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों में जलवायु-प्रेरित आजीविका व्यवधान।
- सीमित वित्तीय साक्षरता और कमजोर ऋण निगरानी प्रणाली।

आशय:

- बढ़ती चूक से **माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (एमएफआई) की वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो रहा है** ।
- **वित्तीय समावेशन के लाभ** , विशेषकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए, उलट हो सकते हैं ।
- **एनबीएफसी-एमएफआई और छोटे ऋणदाताओं** पर दबाव से इस क्षेत्र में समेकन को बढ़ावा मिल सकता है।

चुनौतियाँ:

- कमजोर उधारकर्ता जोखिम मूल्यांकन और अपर्याप्त क्रेडिट ब्यूरो एकीकरण।
- उधारकर्ताओं के बीच विविध आय स्रोतों का अभाव।
- माइक्रोफाइनेंस ऋण पुनर्गठन में नीतिगत देरी।
- कमजोर उधारकर्ताओं के लिए सीमित बीमा या सामाजिक सुरक्षा जाल।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- **ऋण मूल्यांकन और उधारकर्ता प्रोफाइलिंग** प्रणालियों को मजबूत करना ।
- ऋण निगरानी के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग करते हुए **प्रारंभिक चेतावनी ढांचे को** लागू करना ।
- **वित्तीय साक्षरता और आजीविका विविधीकरण** कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।
- जिम्मेदार ऋण देने के लिए **बैंकों, एमएफआई और नियामकों** के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ।
- संकट के दौरान पुनर्भुगतान संबंधी झटकों को कम करने के लिए **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का** विस्तार करें ।

निष्कर्ष:

माइक्रोफाइनेंस डिफॉल्ट में वृद्धि भारत के बुनियादी ऋण पारिस्थितिकी तंत्र की कमज़ोरी को उजागर करती है। वित्तीय समावेशन की रक्षा करते हुए माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, **मज़बूत जोखिम प्रबंधन** , **उधारकर्ता समर्थन** और **नीतिगत सुधारों को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।**

दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी)

संदर्भ

अक्टूबर 2025 में, भारत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के नौ वर्ष पूरे कर लेगा। यह एक बड़ा सुधार था जिसने देश की ऋण और ऋण वसूली प्रणाली को नया रूप दिया। अपनी स्थापना के बाद से, IBC ने ₹26 लाख करोड़ मूल्य के ऋणों के समाधान को संभव बनाया है, जिससे ऋण अनुशासन, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व और निवेशक विश्वास मज़बूत हुआ है।

पृष्ठभूमि और विकास

2016 में लागू, IBC ने SARFAESI अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs) और रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (SICA) जैसे कई ऋण वसूली कानूनों को एक संरचित और समयबद्ध ढाँचे में एकीकृत किया। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना, लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करना और कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करना था।

2016 और 2025 के बीच, IBC तंत्र के माध्यम से ₹26 लाख करोड़ से अधिक के ऋण का समाधान किया गया। ₹13.78 लाख करोड़ मूल्य के लगभग 30,310 मामले प्रवेश से पहले ही निपटा दिए गए, जबकि 1,314 मामलों का समाधान प्रवेश के बाद किया गया और धारा 12A के तहत आपसी समझौते के बाद 1,919 मामले वापस ले लिए गए। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) वित्त वर्ष 2017-18 के 10.9% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 2.3% हो गईं, जबकि शुद्ध NPA केवल 0.5% रहा। ऋण की अतिदेय अवधि भी 200 दिनों से अधिक से घटकर 90 दिनों से कम हो गई।

शासन और निवारण सुधार

प्रमुख प्रावधानों ने जवाबदेही और निवारण को मजबूत किया।

- **धारा 29ए:** चूककर्ता प्रमोटरों को अपनी परिसंपत्तियों के लिए पुनः बोली लगाने से रोकता है।
- **धारा 32:** दिवालियापन से पहले अपराधों के लिए प्रतिरक्षा को हटाता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- तरजीही और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के विरुद्ध प्रावधान ऋणदाता के हितों की रक्षा करते हैं।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा:

आईबीसी, दक्षता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर आर्थिक न्याय के संविधान के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह ऋणदाताओं की प्रधानता और कर्मचारियों तथा निवेशकों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

विधायी उपलब्धियाँ:

- 2017: नैतिक जवाबदेही के लिए धारा 29ए पेश की गई।
- 2018: गृह खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता के रूप में मान्यता दी गई।
- 2019: समाधान समयसीमा पर 330 दिन की सीमा।
- 2020: कोविड-19 महामारी के दौरान नए दिवालियापन मामलों का अस्थायी निलंबन।
- 2021: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी का शुभारंभ।
- 2024: डिजिटल फाइलिंग प्रणाली और बेहतर परिहार लेनदेन नियम।

न्यायिक भूमिका - राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) दिवालियेपन और पुनर्गठन के मामलों में मुख्य निर्णायक निकाय है। इसने ₹4 लाख करोड़ से अधिक के संयुक्त समाधान मूल्य वाली 3,700 से अधिक कंपनियों को पुनर्जीवित किया है, नौकरियों की सुरक्षा की है और व्यवहार्य फर्मों के परिसमापन को रोका है। पूर्वानुमानित और समयबद्ध परिणामों ने ऋण अनुशासन में सुधार किया है।

आर्थिक प्रभाव

आईबीसी ने तरलता, ऋण प्रवाह और निवेशक विश्वास को बढ़ावा दिया है।

- समाधान के बाद
  औसत **बिक्री में 76% की वृद्धि हुई।**
- **पूंजीगत व्यय में** 130% की वृद्धि हुई, जो निवेशकों के नये विश्वास को दर्शाता है।
- **तरलता** में 80% सुधार हुआ, जिससे व्यापार पुनरुद्धार में सहायता मिली।
- **रोजगार और मजदूरी में** 50% की वृद्धि हुई, विशेष रूप से इस्पात, बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में।
- **बाजार पूंजीकरण** ₹2 लाख करोड़ से तीन गुना बढ़कर ₹6 लाख करोड़ हो गया।

सामूहिक रूप से, ये परिणाम दर्शाते हैं कि किस प्रकार आईबीसी ने टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण लचीले और पारदर्शी कॉर्पोरेट वातावरण को बढ़ावा दिया है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

अपनी उपलब्धियों के बावजूद, कई संरचनात्मक मुद्दे अभी भी बने हुए हैं:

1. **बुनियादी ढांचे का अभाव:** कई एनसीएलटी बेंचों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिसके कारण लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं।
2. **जनशक्ति की कमी:** सीमित स्थायी कर्मचारी और तदर्थ सदस्य निरंतरता में बाधा डालते हैं।
3. **लंबित मामले:** देरी से एक विशेष दिवालियापन प्रभाग की आवश्यकता का संकेत मिलता है।
4. **केस प्रबंधन:** राष्ट्रीय केस प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस) का अभाव दक्षता को सीमित करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** एनसीएलटी के भीतर एक समर्पित आईबीसी प्रभाग बनाएं और एमएसएमई के लिए फास्ट-ट्रैक बेंच बनाएं।
2. **डिजिटल उन्नयन:** कागज रहित ई-कोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैकिंग, तथा भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के बीच बेहतर समन्वय की शुरुआत।
3. **एमएसएमई समर्थन:** मुकदमेबाजी की लागत को कम करने के लिए पूर्व-निर्धारित ढांचे को व्यापक बनाएं और प्रक्रियाओं को सरल बनाएं।
4. **क्षमता निर्माण:** पेशेवरों, समाधान व्यवसायियों और विश्लेषकों को प्रशिक्षित करना; दिवालियापन शिक्षा को बढ़ावा देना।
5. **व्यक्तिगत दिवालियापन विस्तार:** बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए IBC कवरेज को व्यक्तियों और साझेदारियों तक विस्तारित करना।

निष्कर्ष:

नौ वर्षों में, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता भारत के आर्थिक सुधार एजेंडे की आधारशिला बनकर उभरी है। इसने डूबते ऋणों को कम किया है, व्यवसायों को पुनर्जीवित किया है और वित्तीय प्रणाली में विश्वास बहाल किया है। आगे बढ़ते हुए, डिजिटल परिवर्तन, संस्थागत क्षमता और समावेशी पहुँच पर ज़ोर यह सुनिश्चित करेगा कि IBC, **विकसित भारत 2047 के तहत भारत के सतत विकास और वित्तीय लचीलेपन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता रहे** ।

यूनेस्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय

संदर्भ:

स्पेन के बार्सिलोना में सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर विश्व सम्मेलन (MONDIACULT 2025) में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने दुनिया का पहला **चोरी की सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय लॉन्च किया** । डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को चोरी या अवैध रूप से व्यापार की गई सांस्कृतिक कलाकृतियों के बारे में दुनिया को ट्रैक करने, दस्तावेज करने और शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विरासत संरक्षण और प्रत्यावर्तन में सहयोग को बढ़ावा देता है।

पहल के बारे में

: 2025 में शुरू किया गया यह आभासी संग्रहालय, सांस्कृतिक संरक्षण में डिजिटल नवाचार के अनुप्रयोग में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसका उद्देश्य प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रों को उनकी विस्थापित विरासत से जोड़ना, नैतिक संग्रहालय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और सांस्कृतिक संपदा की पुनर्प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना है।

उद्देश्य

परियोजना के तीन मुख्य लक्ष्य हैं:

1. **अवैध तस्करी का मुकाबला:** सांस्कृतिक संपत्ति का पता लगाने और उसे पुनः प्राप्त करने में संग्रहालयों, सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए चुराई और लूटी गई कलाकृतियों का एक वैश्विक डेटाबेस तैयार करना।
2. **सांस्कृतिक पुनःसंयोजन:** समुदायों को उनकी खोई हुई विरासत से पुनः जोड़ने के लिए आभासी पुनर्स्थापना उपकरणों का उपयोग करें तथा राष्ट्रों को डिजिटल प्रतिनिधित्व के माध्यम से ऐतिहासिक आख्यानों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाएं।
3. **शिक्षा और जागरूकता:** पुनर्स्थापन नैतिकता और विरासत संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गहन शिक्षण अनुभव, विशेषज्ञ वार्ता और डिजिटल प्रदर्शनियां प्रदान करें।

आभासी संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं

1. **डिजिटल प्लेटफॉर्म:** संग्रहालय 46 देशों से चुराई गई 240 से अधिक कलाकृतियों को पुनः बनाने के लिए 3डी मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और वर्चुअल रियलिटी (वीआर) का उपयोग करता है।
2. **इंटरैक्टिव गैलरी:**
   - *चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं की गैलरी में* गुम हुई कलाकृतियों के डिजिटल पुनर्निर्माण को मूल उत्पत्ति विवरण के साथ प्रदर्शित किया गया है।
   - *इस ऑडिटोरियम* में पुनर्स्थापन और विरासत न्याय पर वैश्विक संवाद आयोजित किए जाते हैं।

- *वापसी और पुनर्स्थापन कक्ष में* सफलतापूर्वक बरामद खजाने को प्रदर्शित किया जाता है।

3. **एआई पुनर्निर्माण:** जिन कलाकृतियों में चित्र नहीं होते, उनके लिए एआई पुरातात्विक और ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके यथार्थवादी मॉडल तैयार करता है।
4. **शैक्षिक एकीकरण:** यह मंच कलाकृतियों की उत्पत्ति, प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी पर 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अध्ययन सामग्री प्रदान करता है।

भारत का प्रतिनिधित्व:

वर्चुअल संग्रहालय में भारत के संग्रह में छत्तीसगढ़ के पाली स्थित महादेव मंदिर से 9वीं शताब्दी की नटराज (ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में भगवान शिव) और ब्रह्मा की दो बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ शामिल हैं, जिन्हें औपनिवेशिक काल के दौरान चुरा लिया गया था। इनका समावेश सांस्कृतिक पुनर्स्थापन, तकनीकी दस्तावेज़ीकरण और वैश्विक विरासत सहयोग में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।

वैश्विक महत्व

1. **अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करना:** यह मंच देशों को कलाकृतियों के अवैध व्यापार से संयुक्त रूप से निपटने, सांस्कृतिक कूटनीति और सामूहिक विरासत जिम्मेदारी को मजबूत करने के लिए एक साथ लाता है।
2. **पारदर्शिता बढ़ाना:** गुम हुई कलाकृतियों का सत्यापित रिकॉर्ड बनाकर, संग्रहालय अवैध कला व्यापार को हतोत्साहित करता है और संस्थानों द्वारा नैतिक अधिग्रहण को प्रोत्साहित करता है।
3. **न्याय के लिए डिजिटल नवाचार:** एआई और आभासी वास्तविकता का उपयोग दर्शाता है कि कैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक न्याय और वैश्विक शिक्षा का समर्थन कर सकती है।
4. **सांस्कृतिक निरंतरता का संरक्षण:** आभासी पुनर्संयोजन समुदायों को भौतिक क्षति के बावजूद सांस्कृतिक स्मृति और पहचान पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
5. **कानूनी ढांचे का समर्थन:** यह पहल 1995 के UNIDROIT कन्वेंशन और 1970 के UNESCO कन्वेंशन जैसे वैश्विक सम्मेलनों का पूरक है, तथा जवाबदेही और वैध प्रतिपूर्ति को बढ़ावा देती है।

दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली में **दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया** । इस मिशन का उद्देश्य दिसंबर 2027 तक भारत को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और 2030-31 तक एक सुदृढ़ एवं समावेशी दलहन क्षेत्र का निर्माण करना है। यह दलहन उत्पादन और उपभोग के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु प्रौद्योगिकी, खरीद सुधारों और किसान सशक्तिकरण को एकीकृत करता है।

मिशन के बारे में इसे

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी कहा जाता है , इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना और मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण के माध्यम से किसान कल्याण में सुधार करना है।

- **घोषणा:** केंद्रीय बजट 2025-26 में
- **कैबिनेट की मंजूरी:** 1 अक्टूबर, 2025
- **अवधि:** 2025–26 से 2030–31
- **नोडल मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- **प्रमुख साझेदार:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और नीति आयोग।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म:** SATHI (भारत के लिए बीज प्रमाणीकरण और ट्रेसेबिलिटी हब) पोर्टल, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है।

मिशन का लक्ष्य **2030-31 तक**

350 लाख टन दालों का उत्पादन करना है, तथा 2027 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य तुअर (अरहर), उड़द और मसूर के आयात को कम करना, चावल की परती भूमि सहित **310 लाख हेक्टेयर तक खेती का विस्तार करना** और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए अंतरफसल को बढ़ावा देना है।

यह चार वर्षों के भीतर प्रमुख दालों के लिए **100% न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर** खरीद सुनिश्चित करता है और पारदर्शी डिजिटल खरीद प्रणाली शुरू करता है। लगभग **88 लाख बीज किट** और **126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज** वितरित किए जाएँगे, जिससे **दो करोड़ से ज़्यादा किसानों को** बेहतर उत्पादकता और आय स्थिरता का लाभ मिलेगा।

मिशन की मुख्य विशेषताएं

1. **प्रौद्योगिकी और बीज नवाचार:**
   - वास्तविक समय बीज ट्रैकिंग और गुणवत्ता आश्वासन के लिए SATHI पोर्टल का शुभारंभ।
   - आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के माध्यम से कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास।
2. **मूल्य श्रृंखला विकास:**
   - फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए **1,000 प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों** की स्थापना ।

- मूल्य संवर्धन के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आधारित एकत्रीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन।

3. **संस्थागत ढांचा:**
   - आईसीएआर के नेतृत्व में राज्य-विशिष्ट बीज उत्पादन योजनाएँ।
   - मूल्य आश्वासन के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के साथ तालमेल।
   - कृषि सचिव और महानिदेशक, आईसीएआर की सह-अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संचालन समिति के माध्यम से निगरानी।
4. **क्लस्टर-आधारित मॉडल:**
   - पता लगाने योग्य बीज वितरण के लिए "एक ब्लॉक - एक बीज गांव" मॉडल।
   - क्षेत्र-विशिष्ट फसल समूह - मध्य प्रदेश और राजस्थान में चना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तुअर, तथा तमिलनाडु में उड़द।
5. **पोषण एकीकरण:**
   - प्रोटीन सेवन बढ़ाने और कुपोषण को दूर करने के लिए **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)** , **एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)** और **मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) योजनाओं** में दालों को शामिल करना ।

परिचालन रणनीति:
राज्य आईसीएआर और राज्य बीज निगमों के सहयोग से पंचवर्षीय बीज उत्पादन योजनाएँ तैयार करेंगे। **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई, संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक संशोधनों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा। मशीनीकरण, विस्तार सेवाएँ और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन प्रौद्योगिकी को अपनाना सुनिश्चित करेंगे। ई-नाम और उत्पादन डैशबोर्ड** जैसे डिजिटल उपकरण बाज़ार की पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी में सुधार लाएँगे।

अपेक्षित परिणाम

- **2027 तक आत्मनिर्भरता:** 15,000 करोड़ रुपये के वार्षिक आयात का अंत और स्थिर घरेलू कीमतें।
- **किसानों की आय में वृद्धि:** उत्पादकता में वृद्धि, सुनिश्चित खरीद और जोखिम में कमी।
- **पोषण सुरक्षा:** कमजोर आबादी के लिए बेहतर प्रोटीन पहुंच।
- **पर्यावरणीय लाभ:** दालों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा उर्वरता में सुधार होता है तथा जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलता है।

महत्व:
आर्थिक रूप से, यह मिशन आयात पर निर्भरता कम करते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं और ग्रामीण उद्यमिता को मज़बूत करता है। सामाजिक रूप से, यह महिलाओं के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (FPO) सहित छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाता है। पोषण की दृष्टि से, यह प्रोटीन की कमी को दूर करता है, और पारिस्थितिक रूप से, यह स्थायी मृदा प्रबंधन और विविध फसल प्रणालियों को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:
दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अनुसंधान-संचालित नवाचार, संस्थागत सुधार और कल्याण एकीकरण के संयोजन से, भारत सतत दलहन उत्पादन में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए तैयार है। यह पहल भारत की **आयात निर्भरता से आत्मनिर्भरता की यात्रा को बदल देगी**, जिससे आने वाले दशकों में आर्थिक सशक्तिकरण, पोषण संबंधी कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।

डूरंड रेखा

संदर्भ
हाल ही में, डूरंड रेखा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार संघर्ष में 80 से अधिक सैनिक हताहत हुए, जिससे विवादित सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया।

डूरंड रेखा के बारे में:
डूरंड रेखा अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगभग 2,640 किलोमीटर (1,640 मील) लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा है। यह 1893 में ब्रिटिश भारत और अफ़ग़ानिस्तान अमीरात के बीच सहमत हुए प्रभाव क्षेत्रों का सीमांकन करती है, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है।

जगह:

- यह चीन के निकट उत्तर-पूर्व में काराकोरम पर्वतमाला से लेकर ईरान के निकट दक्षिण-पश्चिम में रेगिस्तान रेगिस्तान तक फैला हुआ है।
- यह मार्ग रणनीतिक खैबर दर्रे और स्पिन घर (श्वेत पर्वत) से होकर गुजरता है।
- यह 12 अफगान प्रांतों और 3 पाकिस्तानी प्रांतों को विभाजित करता है: खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित-बाल्टिस्तान।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- इसकी स्थापना 1893 में सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड (ब्रिटिश भारत) और अमीर अब्दुर रहमान खान (अफगानिस्तान) के बीच डूरंड रेखा समझौते के माध्यम से हुई थी।
- इसका उद्देश्य प्रभाव के संबंधित क्षेत्रों को परिभाषित करना तथा ग्रेट गेम के दौरान रूसी विस्तार से ब्रिटिश भारत को बचाना था।

- यह समझौता केवल एक पृष्ठ लंबा था और बाद में मामूली समायोजन के साथ इसे अनुमोदित कर दिया गया।
- 1947 के बाद, पाकिस्तान को यह रेखा विरासत में मिली, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी, जिसका आंशिक कारण पश्तून जनजातीय क्षेत्रों का विभाजन था।

भौतिक और भू-राजनीतिक विशेषताएं

- यह सीमा पर्वतीय श्रृंखलाओं (काराकोरम, हिंदू कुश, स्पिन घर) से लेकर रेगिस्तान और मैदानों (रेगिस्तान, बलूच पठार) तक विविध भूभागों को पार करती है।
- इसमें खैबर दर्रा (व्यापार और आक्रमणों के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण) और वाखान कॉरिडोर जैसे रणनीतिक दर्रे शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में जातीय रूप से पश्तून जनजातियों का प्रभुत्व है, जिनके सीमा के दोनों ओर मजबूत सांस्कृतिक और रिश्तेदारी संबंध हैं।
- पश्तून जनजातियों के विभाजन ने स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया है तथा सीमा पार लगातार अशांति बनी हुई है।
- सीमा छिद्रपूर्ण बनी हुई है, जिससे उग्रवादी और विद्रोही गतिविधियों के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

समकालीन मुद्दों

- अफगानिस्तान डूरंड रेखा को अस्वीकार करता है तथा इसे एक थोपी गई सीमा मानता है जो जातीय समूहों और क्षेत्र को अनुचित तरीके से विभाजित करती है।
- पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है।
- यह सीमा दक्षिण एशिया की सबसे अस्थिर सीमाओं में से एक है, जहां अक्सर झड़पें, आतंकवादी गतिविधियां और जटिल भू-राजनीतिक तनाव देखने को मिलते हैं।

निष्कर्ष

डूरंड रेखा एक शताब्दी पुरानी औपनिवेशिक विरासत है जो अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंधों को आकार दे रही है, तथा इस खतरनाक सीमा पर अनसुलझे विवाद, जातीय विभाजन और सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं।

मिस ऋषिकेश विवाद

संदर्भ

उत्तराखंड में मिस ऋषिकेश सौंदर्य प्रतियोगिता का विरोध करने वाले दक्षिणपंथी समूहों ने इस आधार पर बाधा डाली कि आधुनिक पोशाक पहनकर रैंप पर चलने वाली प्रतिभागी "संस्कृति को बर्बाद कर रही थीं।"

सामाजिक दोहरे मापदंड

- जबकि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय महिलाओं की जीत का व्यापक रूप से जश्न मनाया जाता है, स्थानीय आयोजनों को सांस्कृतिक संरक्षण के नाम पर विरोध का सामना करना पड़ता है।
- यह दोहरे मापदंड को दर्शाता है, जहां वैश्विक स्वीकृति का जश्न मनाना, घरेलू स्तर पर समान अभिव्यक्तियों के प्रति प्रतिरोध के विपरीत है।

नाजुक संस्कृति की आलोचना

- जिस सहजता से एक छोटी सी घटना बड़े विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे देती है, वह ऐसी संस्कृति की लचीलेपन और मूल्य पर प्रश्नचिह्न लगाती है, जिसे कथित रूप से संरक्षित किया जा रहा है।
- इससे पता चलता है कि इतनी नाजुक संस्कृति को सामाजिक निगरानी के माध्यम से आक्रामक बचाव की आवश्यकता नहीं है।

मौलिक अधिकार और चुनाव की स्वतंत्रता

- यह विवाद मूल संवैधानिक अधिकारों को छूता है, विशेष रूप से:
  - **अनुच्छेद 19:** अभ्यास, पेशे, व्यापार या व्यवसाय से संबंधित स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
  - **अनुच्छेद 21** : व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसमें जीवन का आनंद लेने और व्यक्तिगत चुनाव करने का अधिकार भी शामिल है।

पाखंड और सामाजिक द्वैत

- चयनात्मक नैतिकता का उदाहरण निम्नलिखित में स्पष्ट है:
  - गौ संरक्षण पर सतर्कता बनाम उपेक्षा, प्लास्टिक खाने से शहरों में गायों की मौत।
  - पश्चिमी संस्कृति (भोजन, वस्त्र) की आंशिक स्वीकृति, लेकिन फैशन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में पश्चिमी प्रभाव की अस्वीकृति।

निष्कर्ष

- मिस ऋषिकेश विवाद भारत में परंपरावाद और आधुनिकता के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।
- भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखता है, जिनकी सामाजिक असहिष्णुता और चयनात्मक सांस्कृतिक पुलिसिंग के विरुद्ध रक्षा की जानी चाहिए।

भू-राजनीतिक और सामरिक मामले

A. म्यांमार और कोको द्वीप समूह

संदर्भ:

म्यांमार ने भारत को आश्वासन दिया है कि कोको द्वीप समूह पर चीन की कोई उपस्थिति नहीं है, जिससे क्षेत्रीय तनाव के बीच कुछ चिंताएँ कम हुई हैं। हालाँकि, म्यांमार ने अभी तक भारतीय नौसेना के द्वीपों के दौरे के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध को मंज़ूरी नहीं दी है, जिससे रणनीतिक अस्पष्टता बनी हुई है।

जगह:

- कोको द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में है।
- इस द्वीपसमूह में ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप शामिल हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से किलिंग द्वीप भी कहा जाता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

- ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोको द्वीप समूह ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गये।
- 1882 में, अंग्रेजों ने कोको द्वीप समूह को आधिकारिक तौर पर बर्मा (अब म्यांमार) में मिला लिया।

वर्तमान स्थिति:

- कोको द्वीप समूह म्यांमार का संप्रभु क्षेत्र है।
- म्यांमार ने हाल ही में राजनयिक वार्ता के दौरान इन द्वीपों पर किसी भी चीनी सैन्य या नागरिक उपस्थिति का दावा नहीं किया।

भारत के लिए रणनीतिक चिंता:

- ये द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार कमान के नजदीक स्थित हैं, जिससे वहां चीनी निगरानी और खुफिया सुविधाएं स्थापित होने की आशंका बढ़ गई है।
- उपग्रह डेटा विस्तारित बुनियादी ढांचे का संकेत देता है - जिसमें 2,300 मीटर की हवाई पट्टी, 1,500 से अधिक कर्मियों के लिए बैरक और द्वीपों को जोड़ने के लिए चल रहे निर्माण शामिल हैं - जिससे संभावित सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (ELINT) ऑपरेशन के बारे में भारतीय चिंता बढ़ गई है।
- कोको द्वीप समूह की स्थिति भारतीय नौसेना की गतिविधियों, मिसाइल परीक्षणों (जैसे बालासोर और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के पास) और पूर्वी समुद्र तट से पनडुब्बी गतिविधियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है।
- मलक्का जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों से निकटता इसके सामरिक महत्व को बढ़ाती है।

भारत की रक्षा स्थिति:

- भारत इस क्षेत्र पर निरंतर निगरानी रखने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक त्रि-सेवा कमान (सेना, नौसेना, वायु सेना) रखता है।
- भारत लगातार कोको द्वीपसमूह पर नौसेना के दौरे के लिए राजनयिक मंजूरी मांग रहा है, जिसे म्यांमार ने नहीं दिया है।

B. भारत-अफगानिस्तान संबंध (तालिबान)

हालिया यात्रा:

तालिबान शासन के अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने 10 अक्टूबर से एक सप्ताह के लिए भारत का दौरा किया, जिसमें उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की।

भारत का रुख - मध्य मार्ग:

- भारत राष्ट्रीय हित के अनुरूप व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रहा है, तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने से बच रहा है, लेकिन सामान्य राजनयिक संपर्क बहाल कर रहा है।
- अफगानिस्तान में दूतावास को पुनः खोलने की योजना बनाई गई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इससे न केवल तालिबान नेतृत्व को बल्कि अफगान लोगों को भी लाभ होगा।

ऐतिहासिक सद्भावना:

- तालिबान ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय विकास परियोजनाओं, जैसे कि जरंज-डेलाराम राजमार्ग और सलमा (मैत्री) बांध, की रक्षा की है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि वैश्विक संघर्षों के बावजूद भारतीय कार्य जारी रहें।

रणनीतिक अनिवार्यता:

- भारत की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियां (रूस, चीन, ईरान, मध्य एशिया) पहले से ही अफगानिस्तान में शामिल हैं।
- भारत अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच चाहता है, जिसमें दुर्लभ खनिज भी शामिल हैं।

नैतिक दुविधा:

- तालिबान की दमनकारी नीतियों, विशेषकर महिलाओं के प्रति, के बावजूद भारत रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है।
- भारत का रुख पश्चिमी देशों के पाखंड को उजागर करता है जो संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों के साथ संबंध बनाए रखते हैं।

अफगान आश्वासन:

- अफगानिस्तान ने भारत को आश्वासन दिया है कि उसके भू-भाग का उपयोग भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

- चर्चा में व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं (भारत में चिकित्सा उपचार के लिए आसान वीज़ा मानदंडों सहित) और मानवीय सहायता सहयोग में सुधार पर भी चर्चा हुई।

निष्कर्ष

कोको द्वीप समूह और अफ़ग़ानिस्तान से जुड़े घटनाक्रम भारत की उभरती भू-राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाते हैं, जो प्रतिक्रियात्मक कूटनीति से सक्रिय रणनीतिक प्रबंधन की ओर एक बदलाव है। समुद्री सुरक्षा सतर्कता को व्यावहारिक महाद्वीपीय जुड़ाव के साथ मिलाकर, भारत परिवर्तनशील क्षेत्रीय गतिशीलता के इस युग में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करना चाहता है।

भारत की नीली अर्थव्यवस्था

प्रसंग

"भारत की नीली अर्थव्यवस्था - गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन के लिए रणनीति" रिपोर्ट जारी की , जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी प्रथाओं के माध्यम से समुद्री संसाधनों का स्थायी रूप से विस्तार करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा दी गई।

रिपोर्ट के बारे में:

भारत का विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड), जिसकी संभावित उपज 7.16 मिलियन टन है, अभी भी पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ रहा है। ईईजेड मत्स्य पालन अधिनियम के अभाव, कमजोर संस्थागत समन्वय और सीमित बंदरगाह एवं पोत अवसंरचना के कारण, गहरे पानी में भारतीय ध्वज वाले कुछ ही जहाज संचालित होते हैं। इन बाधाओं ने इस क्षेत्र के विकास और निगरानी क्षमताओं को धीमा कर दिया है।

आर्थिक और सामरिक क्षमता

- **निर्यात वृद्धि:**
  गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के विकास से वार्षिक समुद्री निर्यात 60,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है, जिससे भारत की वैश्विक समुद्री खाद्य हिस्सेदारी बढ़ सकती है।
- **आजीविका के अवसर:**
  आधुनिक जहाज प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये तक कमा सकते हैं - जो पारंपरिक तटीय आय से दस गुना अधिक है - जिससे रोजगार सृजन होगा और तटीय आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।
- **पारिस्थितिक संतुलन:**
  अपतटीय मछली पकड़ने से तटीय पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव कम होता है, जिससे मछली भंडार को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **संसाधन विविधीकरण:**
  लैंटर्नफिश, स्क्विड और गहरे समुद्र में पाई जाने वाली झींगा जैसी अप्रयुक्त प्रजातियां मूल्यवर्धित प्रसंस्करण और निर्यात विविधीकरण के लिए नए अवसर प्रदान करती हैं।
- **समुद्री ताकत:**
  एक मजबूत अपतटीय बेड़ा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सागर (SAGAR) दृष्टिकोण के तहत भारत के समुद्री प्रभाव को बढ़ाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **नीतिगत और कानूनी अंतराल:**
  अतिव्यापी अधिदेश और एकीकृत ईईजेड मत्स्य पालन कानून की कमी से अकुशलता और नियामक अस्पष्टता पैदा होती है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:**
  भारत के 90 मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों में से केवल कुछ ही आधुनिक जहाजों को संभाल सकते हैं; कमजोर शीत श्रृंखला और प्रसंस्करण सुविधाएं निर्यात मूल्य को कम करती हैं।
- **उच्च लागत:**
  गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जहाजों और ईंधन में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे संस्थागत समर्थन के बिना छोटे पैमाने के मछुआरे हतोत्साहित होते हैं।
- **सीमित अनुसंधान:**
  अपर्याप्त सर्वेक्षण और डेटा स्टॉक आकलन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को प्रतिबंधित करते हैं।
- **पर्यावरणीय जोखिम:**
  बॉटम ट्रॉलिंग जैसी असंवहनीय प्रथाएं जैव विविधता के लिए खतरा हैं, जिससे इस पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल मिलता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **नीति सुधार:**
  एजेंसियों में लाइसेंसिंग, अधिकार क्षेत्र और निगरानी को स्पष्ट करने के लिए ईईजेड मत्स्य पालन अधिनियम लागू करें।
- **बुनियादी ढांचे का उन्नयन:**
  बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, शीत-श्रृंखला क्षमता का विस्तार, तथा प्रसंस्करण और निर्यात में निजी निवेश को बढ़ावा देना।
- **क्षमता निर्माण:**
  सुरक्षित अपतटीय परिचालन के लिए तटीय मछुआरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर उन्हें प्रशिक्षित करना और उनका समर्थन करना।
- **स्थिरता प्रथाएँ:**
  चयनात्मक गियर, सख्त पर्यावरणीय मानदंड और एआई-आधारित निगरानी प्रणाली लागू करें।

RACE IAS

- **संस्थागत एकीकरण:**
  नीति आयोग, मत्स्य मंत्रालय और राज्य सरकारों को जोड़ते हुए एक राष्ट्रीय समन्वय प्राधिकरण बनाएं।

निष्कर्ष

भारत की गहरे समुद्र में मत्स्य पालन रणनीति एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नीति, प्रौद्योगिकी और शासन में सुधारों के साथ, देश अपने मत्स्य पालन क्षेत्र को एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार और आजीविका बढ़ाने वाले उद्यम में बदल सकता है।

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा में अस्पष्ट स्थान

प्रसंग

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वैश्विक साइबर सुरक्षा में एक बड़ी कमज़ोरी की चेतावनी दी है, जो कि बिजली ग्रिड, परिवहन और जल नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का प्रबंधन करने वाली परिचालन प्रौद्योगिकी (OT) प्रणालियों के बढ़ते जोखिम के कारण है। स्पेन-पुर्तगाल ब्लैकआउट जैसी हालिया घटनाएँ साइबर-भौतिक व्यवधानों के बढ़ते जोखिमों को उजागर करती हैं।

परिचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) को समझना

- **परिभाषा:**
  परिचालन प्रौद्योगिकी में वे हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर शामिल हैं जो औद्योगिक और भौतिक प्रक्रियाओं - टर्बाइन, वाल्व और पाइपलाइनों - को नियंत्रित करते हैं। डेटा को संभालने वाली आईटी प्रणालियों के विपरीत, ओटी प्रणालियाँ सीधे मशीनरी और आवश्यक सेवाओं का संचालन करती हैं।
- **बढ़ता जोखिम:**
  पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट से अलग ("एयर-गैप्ड") होते थे। लेकिन स्वचालन और डिजिटल एकीकरण के साथ, अब वे आईटी नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, जिससे साइबर कमजोरियाँ बढ़ जाती हैं। एक भी उल्लंघन उत्पादन को रोक सकता है, सार्वजनिक उपयोगिताओं को बाधित कर सकता है, और मानव सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

बढ़ती भेद्यता के कारण

1. **ओटी-आईटी अभिसरण:**
   डिजिटल प्रणालियों के साथ एकीकरण, एक बार अलग-थलग पड़े औद्योगिक नियंत्रणों को बाहरी नेटवर्क से जोड़कर जोखिम को बढ़ाता है।
2. **राज्य प्रायोजित खतरे:**
   राष्ट्र-राज्यों द्वारा साइबर हमले बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं, जैसा कि यूक्रेन की नोटपेट्या घटना में देखा गया, जिससे बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न होता है।
3. **पुरानी प्रणालियाँ:**
   कई सुविधाएं पुराने SCADA नेटवर्क पर निर्भर हैं जिनमें एन्क्रिप्शन और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का अभाव है।
4. **असमान निवेश:**
   जबकि आईटी सुरक्षा को प्रमुख वित्त पोषण प्राप्त होता है, ओटी सुरक्षा अक्सर कम संसाधनों वाली और खराब तरीके से प्रबंधित रहती है।
5. **कम दृश्यता:**
   ओटी नेटवर्क में अक्सर वास्तविक समय पर पता लगाने या लॉगिंग उपकरणों का अभाव होता है, जिससे घुसपैठ अनदेखे रूप से जारी रहती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **कमजोर पहचान:**
  आधे से अधिक ओटी नेटवर्क घुसपैठ की पहचान के बिना ही संचालित होते हैं, जिससे साइबर खतरों का पता नहीं चल पाता।
- **विनियामक विखंडन:**
  कोई भी वैश्विक साइबर सुरक्षा मानक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नियंत्रित नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप असंगत सुरक्षा स्तर होते हैं।
- **कार्यबल की कमी:**
  बहुत कम साइबर सुरक्षा पेशेवरों के पास ओटी विशेषज्ञता है, जिससे उद्योगों में कुशल रक्षकों की कमी हो रही है।
- **आरोपण में कठिनाई:**
  तकनीकी त्रुटियाँ और साइबर घटनाएँ अक्सर एक जैसी प्रतीत होती हैं, जिससे फोरेंसिक जांच जटिल हो जाती है।
- **उच्च उन्नयन लागत:**
  उन्नत सुरक्षा के साथ पुरानी प्रणालियों का आधुनिकीकरण करने से वित्तीय तनाव उत्पन्न होता है, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में।

ओटी साइबर हमलों के परिणाम

- **परिचालन में व्यवधान:**
  एक भी हमला बिजली आपूर्ति या विनिर्माण को रोक सकता है, जिससे प्रति घंटे 1 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है।
- **आर्थिक नुकसान:**
  बुनियादी ढांचे से संबंधित साइबर घटनाओं से दुनिया भर में होने वाली क्षति प्रतिवर्ष 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम:**
  साइबर तोड़फोड़ रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जल प्रणालियों को निष्क्रिय कर सकती है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

- **विश्वास का क्षरण:**
  बार-बार व्यवधान से सरकारों और उपयोगिता प्रदाताओं में जनता का विश्वास कम हो जाता है।

WEF की सिफारिशें

1. **वास्तविक समय निगरानी:**
   अमेरिका में FERC द्वारा उपयोग की जाने वाली सतत नेटवर्क निगरानी और विसंगति का पता लगाना
2. **एकीकृत शासन:**
   सरकारों को ओ.टी. सुरक्षा को राष्ट्रीय रक्षा और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन के लिए केंद्रीय मानना चाहिए।
3. **तकनीकी निवेश:**
   त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एआई-संचालित निगरानी, डिजिटल फोरेंसिक और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण का उपयोग करें।
4. **सार्वजनिक-निजी समन्वय:**
   ऊर्जा, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को जोड़ने वाले सूचना-साझाकरण प्लेटफॉर्म का निर्माण करना।
5. **कौशल विकास:**
   ओटी साइबर सुरक्षा में इंजीनियरों और ऑपरेटरों के लिए वैश्विक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा, जो कभी भौतिक अलगाव द्वारा सुरक्षित था, अब दूरगामी परिणामों वाले डिजिटल खतरों का सामना कर रहा है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) देशों से वैश्विक सहयोग, रणनीतिक निवेश और सुदृढ़ शासन के माध्यम से इस साइबर सुरक्षा संबंधी अंधेपन को दूर करने का आग्रह करता है। अति-संयोजित युग में राष्ट्रीय स्थिरता, आर्थिक लचीलापन और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए ओटी सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी

प्रसंग

लिसा सिंह और तुषार जोशी द्वारा लिखित संपादकीय में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते सहयोग की पड़ताल की गई है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना और महत्वपूर्ण खनिजों तथा नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना है।

साझा लक्ष्य और रणनीतिक निर्भरता

- **साझा दृष्टिकोण** : दोनों देश महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को साझा करते हैं।
  - भारत: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता का लक्ष्य।
  - ऑस्ट्रेलिया: 2035 तक 62-70% उत्सर्जन में कमी और 2050 तक नेट-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य।
- **चीन पर निर्भरता:**
  - चीन 90% से अधिक दुर्लभ मृदा तत्वों का शोधन करता है तथा वैश्विक सौर मॉड्यूलों का 80% से अधिक उत्पादन करता है।
  - ऑस्ट्रेलिया लिथियम, निकल और कोबाल्ट का खनन करता है लेकिन प्रसंस्करण के लिए चीन पर निर्भर है।
- **रणनीतिक आवश्यकता:** अत्यधिक निर्भरता आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा जोखिम पैदा करती है। संयुक्त सहयोग को स्रोतों में विविधता लाने और स्वच्छ ऊर्जा सामग्रियों में आत्मनिर्भरता बनाने की एक शमन रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी

- **शुभारंभ:** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी द्वारा संयुक्त रूप से 2024 में आरंभ किया जाएगा।
- **सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:**
  - सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) विनिर्माण
  - हरित हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण
  - ऊर्जा भंडारण और बैटरी प्रणालियाँ
  - वृत्ताकार अर्थव्यवस्था और पुनर्चक्रण
  - निवेश, क्षमता निर्माण और कौशल विकास

तालमेल और रणनीतिक महत्व

- भारत के लाभ:
  - घरेलू स्वच्छ ऊर्जा बाजार का विस्तार
  - बड़ी संख्या में युवा कार्यबल और विनिर्माण प्रोत्साहन (ईवी, सौर घटक)
- ऑस्ट्रेलिया के लाभ:
  - प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण खनिज भंडार (लिथियम, कोबाल्ट, निकल, दुर्लभ मृदा)
  - खनन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में विशेषज्ञता
- पारस्परिक लाभ:
  - हरित विनिर्माण और स्वच्छ रोजगार सृजन को बढ़ावा
  - उन्नत तकनीकी सहयोग और निर्यात अवसर
  - साझा सतत विकास के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया

कार्यान्वयन और आगे का रास्ता

- वर्तमान प्रगति: ऑस्ट्रेलियाई जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन की भारत यात्रा (अक्टूबर 2025) परियोजना कार्यान्वयन और संयुक्त नीति डिजाइन में तेजी लाने पर केंद्रित है।
- चुनौतियाँ: प्रौद्योगिकी और निवेश अंतराल, नीति समन्वय मुद्दे, और बुनियादी ढांचे की तैयारी।
- अनुशंसाएँ:
  - बड़े पैमाने पर हरित परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करें
  - स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के नवाचार के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास में निवेश करें
  - तेजी से अपनाने और समान विकास के लिए समन्वित नीति निर्माण सुनिश्चित करना

निष्कर्ष

भारत-ऑस्ट्रेलिया स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी आर्थिक और पर्यावरणीय तालमेल का प्रतीक है। साझा जलवायु महत्वाकांक्षाओं और पूरक शक्तियों के साथ, दोनों देश चीनी आपूर्ति प्रभुत्व को कम कर सकते हैं, अपने ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आकार दे सकते हैं।

मैत्री-2

प्रसंग

भारत अंटार्कटिका में अपना चौथा अनुसंधान केंद्र, मैत्री-2, स्थापित कर रहा है, जो ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल अंटार्कटिक संधि प्रणाली और वैश्विक जलवायु अनुसंधान प्रयासों के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

मैत्री-2 का विवरण

- स्थिति: अंटार्कटिका में चौथा भारतीय अनुसंधान केंद्र।
- स्थान: पूर्वी अंटार्कटिक क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध।
- समय-सीमा एवं लागत: जनवरी 2029 तक सात वर्षों में पूरा किया जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा 2,000 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय स्वीकृत किया जाएगा।
- उद्देश्य: पुराने हो चुके मैत्री-1 (1989) को एक आधुनिक, पर्यावरण-स्थायी सुविधा से प्रतिस्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो जलवायु, भूवैज्ञानिक और हिमनद संबंधी अनुसंधान पर केंद्रित है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।

सामरिक और वैज्ञानिक महत्व

- जलवायु अनुसंधान: बर्फ पिघलने, तापमान में परिवर्तन और समुद्र-स्तर में वृद्धि का निरंतर अवलोकन संभव बनाता है, जो भारत के तटों पर जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यक है।
- पर्यावरण निगरानी: समुद्री धाराओं, वायुमंडलीय संरचना और ध्रुवीय जैव विविधता पर दीर्घकालिक डेटा संग्रह का समर्थन करता है।
- भू-राजनीतिक प्रासंगिकता: चीन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ अंटार्कटिका में भारत की उपस्थिति और प्रभाव को बनाए रखता है।
- भविष्य की संभावना: यदि वैश्विक अंटार्कटिका नियम विकसित होते हैं तो संभावित संसाधन अन्वेषण अधिकारों के लिए भारत की पात्रता को बनाए रखा जाएगा।

भारत के अंटार्कटिक स्टेशन

1. **दक्षिण गंगोत्री (1983):** भारत का पहला स्टेशन; अब बर्फ के नीचे दबा हुआ है लेकिन आपूर्ति बेस के रूप में कार्य करता है।
2. **मैत्री-1 (1989):** परिचालन अनुसंधान स्टेशन, जिसका स्थान मैत्री-2 लेगा।
3. **भारती (2012):** पूर्णतः कार्यात्मक, समुद्र विज्ञान और जलवायु अध्ययन का समर्थन।
4. **मैत्री-2** (2029 तक प्रस्तावित): टिकाऊ अनुसंधान अवसंरचना, उन्नत लॉजिस्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

निष्कर्ष

मैत्री-2 परियोजना ध्रुवीय विज्ञान, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन और वैश्विक पर्यावरणीय सहयोग के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। यह अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक नेतृत्व को सुदृढ़ करती है और साथ ही आने वाले दशकों के लिए एक स्थायी और तकनीकी रूप से उन्नत अनुसंधान उपस्थिति सुनिश्चित करती है।

लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता, उन्नति और प्रदर्शन शील्ड (LEAPS) 2025

प्रसंग

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता, उन्नति और प्रदर्शन शील्ड (लीप्स) 2025 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य बेंचमार्किंग, नवाचार और प्रदर्शन उत्कृष्टता के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाना है।

LEAPS 2025 के बारे में

- **लॉन्च तिथि:** अक्टूबर 2025

- **आयोजन निकाय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
- **उद्देश्य:** भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, उत्कृष्टता और नेतृत्व को मान्यता देना, तथा उद्योग प्रथाओं को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) और पीएम गतिशक्ति पहल के साथ संरेखित करना।
- **विजन:** आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का समर्थन करते हुए एक एकीकृत, टिकाऊ और लचीला लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का निर्माण करना।

प्रमुख विशेषताऐं

- **राष्ट्रीय बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क:** लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता, दक्षता और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देता है।
- **श्रेणियाँ (कुल 13):** कवरिंग
  - वायु, रेल, सड़क और समुद्री माल संचालक
  - भंडारण (औद्योगिक और कृषि)
  - एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षा जगत
  - ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और नवाचार-संचालित फर्में
- **फोकस थीम:**
  - ईएसजी अनुपालन और हरित रसद प्रथाएँ
  - डिजिटल एकीकरण और टिकाऊ बुनियादी ढाँचा
  - सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग

महत्व

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को प्रोत्साहित करता है।
- कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स मॉडल विकसित करने वाले उद्यमों के लिए एक मान्यता मंच के रूप में कार्य करता है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत होगी तथा व्यापार करने में आसानी होगी।
- मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता के लक्ष्यों को सुदृढ़ करता है।

पंजीकरण

LEAPS 2025 के लिए आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (awards.gov.in) के माध्यम से खुले हैं, जिसमें भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विभिन्न खिलाड़ियों से भागीदारी आमंत्रित की गई है।

निष्कर्ष

LEAPS 2025, लॉजिस्टिक्स दक्षता को स्थिरता और नवाचार के साथ एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पीएम गतिशक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत हितधारकों को एकजुट करके, इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी)

संदर्भ:

भारत **-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** एक **बहु-मॉडल संपर्क पहल है** जिसे भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को एकीकृत **समुद्री, रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन** में शुरू किए गए IMEC को भारत, **अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। इस गलियारे का उद्देश्य** तीन महाद्वीपों में **व्यापार दक्षता, बुनियादी ढाँचे के एकीकरण और क्षेत्रीय संपर्क को** बढ़ाना है ।

परिभाषा और संरचना

दो मुख्य मार्गों पर आधारित है :

1. **पूर्वी गलियारा:** यह मुंद्रा, कांडला और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जैसे **भारतीय बंदरगाहों को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी बंदरगाहों से** जोड़ता है , जिससे समुद्री व्यापार में तेजी आती है।
2. **उत्तरी गलियारा:** यह मध्य पूर्व से **जॉर्डन होते हुए हाइफा बंदरगाह, इजराइल तक फैला है** , तथा आगे शिपिंग के माध्यम से **पिरियस बंदरगाह, ग्रीस तक फैला है, जो यूरोपीय बाजारों** में माल परिवहन को एकीकृत करता है ।

समुद्री, रेल और सड़क संपर्क का यह संयोजन एक **लचीला और सुदृढ़ व्यापार नेटवर्क सुनिश्चित करता है** जो मौजूदा समुद्री मार्गों का पूरक है।

उद्देश्य और भू-राजनीतिक महत्व

- **लागत और समय दक्षता:** स्वेज नहर मार्ग की तुलना में IMEC से
  रसद लागत में 30% तक और **पारगमन समय में 40% तक की कमी आने** की उम्मीद है ।
- **रणनीतिक विकल्प: स्वेज नहर के लिए** एक सुरक्षित बाईपास प्रदान करता है , जो क्षेत्रीय संघर्षों और भीड़भाड़ से जोखिम का सामना करता है।
- **आर्थिक विकास: औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को** प्रोत्साहित करता है , जिसमें बिजली के केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क शामिल हैं।
- **भू-राजनीतिक लाभ: यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रति संतुलन** के रूप में कार्य करता है , पाकिस्तान को दरकिनार करता है, तथा **मध्य पूर्व,**

यूरोप और अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करता है ।

- **ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना का एकीकरण:** पूरे गलियारे में **ऊर्जा, व्यापार और संचार नेटवर्क को** जोड़कर आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन प्रदान करता है।

चुनौतियां

मजबूत राजनीतिक समर्थन के बावजूद, कई बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं:

- **भू-राजनीतिक अस्थिरता: इजरायल-गाजा तनाव** जैसे संघर्षों से **हाइफा बंदरगाह** जैसे प्रमुख बंदरगाहों को खतरा है , जिससे निर्माण में देरी हो रही है।
- **स्वेज नहर के साथ प्रतिस्पर्धा:** स्वेज मार्ग **परिचालन और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रमुख बना हुआ है** , जिसके लिए IMEC को यातायात को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **वित्तीय आवश्यकताएं:** अनुमानित **परियोजना लागत 3 बिलियन डॉलर से 8 बिलियन डॉलर के बीच है, जिसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)** सहित नवीन वित्तपोषण की आवश्यकता है ।
- **मानकीकरण और संभार-तंत्र:** निर्बाध परिचालन के लिए **कुशल सीमा-पार प्रक्रियाएं, सीमा-शुल्क एकीकरण और सुसंगत परिवहन मानकों को** सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** व्यवहार्यता प्रदर्शित करने और प्रारंभिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए **महत्वपूर्ण नोड्स और पोर्ट उन्नयन को** प्राथमिकता दें।
- **संघर्ष जोखिम शमन:** भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रबंधन के लिए **वैकल्पिक मार्गों और बीमा तंत्रों का** पता लगाना ।
- **नवप्रवर्तन के लिए वित्तपोषण:** वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **बहुपक्षीय ऋण, निजी निवेश और सरकारी सहायता** का संयोजन जुटाना ।
- **डिजिटल और ऊर्जा एकीकरण:** कॉरिडोर दक्षता को अधिकतम करने के लिए **स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, ट्रैकिंग सिस्टम और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को** शामिल करना ।
- **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय: राजनीतिक प्रतिबद्धता, नियामक संरेखण और विवाद समाधान तंत्र** सुनिश्चित करने के लिए भागीदार देशों के बीच नियमित संवाद ।

निष्कर्ष

भारत **-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) अंतरमहाद्वीपीय व्यापार और बुनियादी ढाँचे के एकीकरण** के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है । पारंपरिक समुद्री मार्गों के लिए एक **रणनीतिक, लागत-कुशल और सुरक्षित विकल्प प्रदान करके, इसमें भारत के आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव को मज़बूत करने** , **क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति देने** और **एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाने की क्षमता है** । हालाँकि, **भू-राजनीतिक तनाव, वित्तीय माँगें और परिचालन मानकीकरण** प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं जो इस गलियारे के सफल कार्यान्वयन को निर्धारित करेंगी।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005

संदर्भ

: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दो दशक पूरे होने के साथ, इसके घटते प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। नागरिक समाज और पारदर्शिता के पैरोकार आगाह करते हैं कि संस्थागत कमज़ोरी, रिक्तियाँ और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए), 2023 के प्रतिबंधात्मक प्रावधान इस कानून के मूल लोकतांत्रिक उद्देश्य के लिए ख़तरा हैं।

आरटीआई अधिनियम के बारे में

2005 में लागू किया गया आरटीआई अधिनियम नागरिकों को न्यूनतम लागत पर सरकारी अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसकी परिकल्पना पारदर्शी, जवाबदेह और सहभागी शासन के एक स्तंभ के रूप में की गई थी।

मुख्य विशेषताएं:

- **त्रिस्तरीय संरचना:** लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, और केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग (सीआईसी/एसआईसी)।
- **अनिवार्य प्रकटीकरण:** धारा 4 में सरकारी आंकड़ों के सक्रिय प्रकाशन की आवश्यकता है।
- **समयबद्ध प्रक्रिया:** 30 दिनों के भीतर, या अत्यावश्यक मामलों के लिए 48 घंटों के भीतर उत्तर।
- **जुर्माना:** देरी या इनकार के लिए ₹25,000 तक।
- **लोकतांत्रिक पहुंच:** संसद को उपलब्ध जानकारी नागरिकों के लिए भी खुली होनी चाहिए।

प्रभाव और उपलब्धियां

20 वर्षों में, आरटीआई अधिनियम ने राज्य-नागरिक संबंधों को नया रूप दिया है:

- **नागरिकों को सशक्त बनाना:** 2.5 करोड़ से अधिक आरटीआई आवेदनों से सहभागी लोकतंत्र को मजबूती मिली।
- **भ्रष्टाचार पर अंकुश:** 2जी, राष्ट्रमंडल खेल और आदर्श हाउसिंग जैसे घोटालों का पर्दाफाश।
- **बेहतर शासन:** निर्णय लेने और निधि उपयोग में पारदर्शिता को प्रोत्साहित किया गया।

- **न्यायिक समर्थन:** न्यायालयों ने राजनीतिक दलों और पीएमओ को आरटीआई के अंतर्गत शामिल करने की पुष्टि की।
- **समावेशी पहुंच:** हाशिए पर पड़े समूहों को कल्याण और अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

अपनी उपलब्धियों के बावजूद, आरटीआई ढांचे को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:

- **रिक्तियां और विलंब:** लंबे समय तक लंबित कार्य प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं।
- **स्वायत्तता में कमी:** 2019 के संशोधन ने निश्चित कार्यकाल और वेतन समानता को हटा दिया, जिससे कार्यकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई।
- **कमजोर प्रवर्तन:** केवल 1% चूककर्ता अधिकारियों को ही दंड का सामना करना पड़ता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** नियुक्तियों में अक्सर पारदर्शिता का अभाव होता है।
- **कानूनी बाधाएं:** डीपीडीपीए की "व्यक्तिगत डेटा" प्रकटीकरण की सीमाएं सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता को बाधित करती हैं।
- **अस्पष्टता और निष्क्रियता:** डेटा रोकना और न्यायिक प्रतिबंध गैर-अनुपालन को बढ़ावा देते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

आरटीआई की जीवंतता को बहाल करने के लिए सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए:

- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** सीआईसी/एसआईसी रिक्तियों को शीघ्र भरें।
- **स्वायत्तता बहाली:** स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निश्चित कार्यकाल और समानता को बहाल करना।
- **कानूनी सामंजस्य:** गोपनीयता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने के लिए डीपीडीपीए में संशोधन करें।
- **डिजिटल आधुनिकीकरण:** ऑनलाइन ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए एकीकृत आरटीआई पोर्टल का विस्तार।
- **नागरिक सतर्कता:** सूचना के अधिकार की रक्षा के लिए नागरिकों, मीडिया और न्यायालयों को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष:

20 वर्षों के बाद भी, सूचना का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सुरक्षा कवच बना हुआ है, लेकिन संस्थागत उपेक्षा और प्रतिबंधात्मक कानूनों से ग्रस्त है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वतंत्र निगरानी और नागरिक सहभागिता की आवश्यकता है। पारदर्शिता शासन के केंद्र में बनी रहनी चाहिए, जिससे जवाबदेही और जनता का विश्वास सुनिश्चित हो।

ईपीएफ नए निकासी नियम 2025: सरलीकरण और लचीलापन

संदर्भ:

2025 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने **ईपीएफओ 3.0 लॉन्च किया** , जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों के लिए निकासी को आसान बनाने हेतु बड़े सुधार पेश किए गए। यह कदम एक पारदर्शी, डिजिटल और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों की अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतों और दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

सुधारों के बारे में

पृष्ठभूमि:

नए नियम 13 निकासी उद्देश्यों को **तीन श्रेणियों में मिलाते हैं** - *आवश्यक आवश्यकताएँ* (बीमारी, शिक्षा, विवाह), *आवास आवश्यकताएँ* और *विशेष परिस्थितियाँ*। इस सरलीकरण से कागजी कार्रवाई कम हो जाती है, दस्तावेज़ीकरण मानकीकृत हो जाता है और पात्रता सरल हो जाती है, जिससे देरी और अस्वीकृति कम हो जाती है।

उद्देश्य:

सुधारों का उद्देश्य निधि पहुंच को आधुनिक बनाना, वित्तीय लचीलेपन में सुधार करना और सरलीकृत डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से विश्वास को मजबूत करना है।

ईपीएफओ 3.0 की मुख्य विशेषताएं

- **एकीकृत श्रेणियाँ:** तीव्र एवं स्पष्ट प्रसंस्करण के लिए निकासी प्रयोजनों को समेकित किया गया।
- **लचीली निकासी सीमाएँ:**
  - *शिक्षा* - अधिकतम 10 निकासी की अनुमति।
  - *विवाह* - 5 निकासी तक, पहले यह सीमा 3 थी।
- **न्यूनतम शेष राशि का नियम:** सदस्यों को सेवानिवृत्ति बचत को सुरक्षित रखने तथा ब्याज की निरंतर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए
  कुल राशि का 25% अपने पास रखना होगा।
- **कम सेवा अवधि:**
  - *आवास/विशेष आवश्यकताएं* - न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 12 महीने कर दी गई।
  - *विवाह/शिक्षा* - घटाकर 7 वर्ष कर दिया गया।
- **पूर्ण निकासी विकल्प:** निर्दिष्ट शर्तों के तहत पात्र शेष राशि (कर्मचारी + नियोक्ता शेयर) के 100% तक पहुंच।
- **डिजिटल परिवर्तन:**
  - क्लाउड-आधारित एकीकरण के माध्यम से अंत-से-अंत तक कागज रहित निपटान।
  - समावेशिता के लिए बहुभाषी स्वयं-सेवा पोर्टल।

- **विश्वास योजना:** यह दंड समाधान को सुव्यवस्थित करती है तथा मुकदमेबाजी को कम करके स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है।

सुधारों का महत्व

ये परिवर्तन भविष्य निधि प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव दर्शाते हैं - सरलता, गति और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं:

- **वित्तीय सशक्तिकरण:** नौकरशाही बाधाओं के बिना आपात स्थिति के दौरान धन तक त्वरित पहुंच।
- **समावेशिता:** बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों और आय समूहों तक पहुंच का विस्तार करते हैं।
- **पारदर्शिता और विश्वास:** स्वचालित ट्रैकिंग मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करती है।
- **राष्ट्रीय संरेखण:** फिनटेक को सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ एकीकृत करके *डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को* आगे बढ़ाना ।

आगे बढ़ने का रास्ता

ईपीएफओ 3.0 की सफलता को बनाए रखने के लिए:

- **जागरूकता अभियान:** सदस्यों को नए नियमों, सीमाओं और डिजिटल दावों के बारे में शिक्षित करें।
- **साइबर सुरक्षा:** डेटा सुरक्षा और सिस्टम अखंडता को मजबूत करना।
- **उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया:** डिजिटल प्लेटफॉर्म को परिष्कृत करने के लिए एनालिटिक्स का लाभ उठाएं।
- **साझेदारियां:** वास्तविक समय निपटान के लिए बैंकों और फिनटेक के साथ सहयोग को गहरा करना।

निष्कर्ष:

ईपीएफ **के नए निकासी नियम 2025** लचीलेपन और वित्तीय अनुशासन का संयोजन करते हैं। पहुँच को सरल बनाकर, डिजिटल दक्षता को सक्षम बनाकर और न्यूनतम बचत सुनिश्चित करके, **ईपीएफओ 3.0** दीर्घकालिक सुरक्षा को बनाए रखते हुए भारत के कार्यबल को सशक्त बनाता है। यह सामाजिक कल्याण प्रशासन के लिए एक आधुनिक, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी)

संदर्भ:

भारत को 2026-2028 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के लिए निर्विरोध चुना गया है, जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने वाले इस वैश्विक निकाय में उसका सातवाँ कार्यकाल है। यह जीत भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता और वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों पर बहुपक्षीय जुड़ाव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के बारे में

पृष्ठभूमि:

2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60/251 के तहत गठित, UNHRC ने पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंतर-सरकारी निकाय है।

मुख्यालय और सहयोग:

जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित यह परिषद विषयगत और देश-विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) के साथ मिलकर काम करती है।

कार्य और अधिदेश

परिषद वैश्विक मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए कई प्रमुख कार्य करती है:

- **सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर):** प्रत्येक चार से पांच वर्ष में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है।
- **विशेष प्रक्रियाएं:** महिला अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयगत या देश-आधारित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिवेदकों और विशेषज्ञों की नियुक्ति करती है।
- **तथ्य-खोज मिशन:** जांच आयोगों के माध्यम से कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना।
- **संकल्प और सिफारिशें:** संकटों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए उपाय अपनाना।
- **संवाद मंच:** साझा मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के बीच चर्चा को प्रोत्साहित करता है।

चुनाव प्रक्रिया

यूएनएचआरसी में **47 सदस्य देश हैं** , जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तथा एक तिहाई सीटों का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाता है।

क्षेत्रीय आवंटन:

- अफ्रीका: 13 | एशिया-प्रशांत: 13 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन: 8 | पश्चिमी यूरोप: 7 | पूर्वी यूरोप: 6

पात्रता और मानदंड:

सदस्य लगातार दो कार्यकाल तक सेवा कर सकते हैं और उनसे मानवाधिकारों के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और परिषद की कार्यवाही में रचनात्मक रूप से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

भारत की सदस्यता और ट्रैक रिकॉर्ड

भारत का पुनः निर्वाचित होना उसके **सातवें कार्यकाल का प्रतीक है** , जो उसके लोकतांत्रिक मूल्यों और रचनात्मक कूटनीति की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है।

पिछले कार्यकाल: 2006–2007, 2011–2014, 2014–2017, 2017–2020, 2022–2024, और अब 2026–2028।

प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- **मानव गरिमा और समानता:** मानवाधिकार लक्ष्यों के रूप में समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना।
- **लिंग सशक्तिकरण:** महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर की वकालत करना।
- **डिजिटल और डेटा अधिकार:** गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन स्वतंत्रता पर संतुलित वैश्विक मानदंडों का समर्थन करना।
- **वैश्विक दक्षिण सहयोग:** मानवाधिकार बहसों में विकासशील देशों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

भारत के चुनाव का महत्व

- **कूटनीतिक समर्थन:** निर्विरोध चुनाव भारत की भूमिका में व्यापक वैश्विक समर्थन और विश्वास का संकेत देता है।
- **संतुलन की आवाज:** संवाद और आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है।
- **सुधार के प्रति प्रतिबद्धता:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के भीतर अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की अपेक्षा।
- **राष्ट्रीय संरेखण:** समानता, न्याय और मानव गरिमा के भारत के संवैधानिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है।

निष्कर्ष:

2026-2028 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भारत का चुनाव मानवाधिकारों, सतत विकास और वैश्विक सहयोग के लिए समर्पित एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उसकी स्थिति को मज़बूत करता है। **1 जनवरी, 2026 से अपना कार्यकाल शुरू करते हुए, भारत का लक्ष्य एक संतुलित, समावेशी और संवाद-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है - वैश्विक दक्षिण** के लिए एक ज़िम्मेदार वैश्विक आवाज़ के रूप में अपने नेतृत्व को मज़बूत करना ।

चूना पत्थर

संदर्भ

अक्टूबर 2025 में, खान मंत्रालय ने चूना पत्थर के सभी रूपों को **प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया** , जिससे इसका प्रमुख और गौण, दोनों का दोहरा दर्जा समाप्त हो गया। इस कदम का उद्देश्य खनन विनियमन को सुव्यवस्थित करना, नौकरशाही संबंधी भ्रम को कम करना और भारत के खनिज क्षेत्र में **व्यापार को सुगम बनाना है।**

पृष्ठभूमि:

पहले, चूना पत्थर का वर्गीकरण उसके अंतिम उपयोग पर निर्भर करता था। चूना उत्पादन या निर्माण सामग्री के लिए इसे *गौण खनिज माना जाता था, और सीमेंट, इस्पात या उर्वरक उद्योगों में उपयोग के लिए इसे प्रमुख खनिज* माना जाता था। इस द्वैधता के कारण राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्रों के बीच ओवरलैप होता था, जिससे अनुमोदन में देरी होती थी और अनुपालन संबंधी विवाद उत्पन्न होते थे।

2025 की अधिसूचना *खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)* के अंतर्गत **सभी चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित करके इस अस्पष्टता को दूर करती है** । यह एकरूप व्यवहार प्रशासन को सरल बनाता है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और भारत के खनन सुधार एजेंडे के अनुरूप है।

सुधार की मुख्य विशेषताएं

- **अंतिम उपयोग का भेद समाप्त:** चूना पत्थर को अब एक प्रमुख खनिज माना जाएगा, चाहे इसका उद्देश्य कुछ भी हो।
- **पट्टा रूपांतरण:** मौजूदा लघु खनिज पट्टे, परिचालन या स्वामित्व अधिकारों को प्रभावित किए बिना, प्रमुख खनिज पट्टों में परिवर्तित हो जाएंगे।
- **उपयोग की स्वतंत्रता:** पट्टाधारक प्रतिबंधात्मक अनुमोदन के बिना किसी भी औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए चूना पत्थर का उपयोग या बिक्री कर सकते हैं।
- **निर्बाध पारगमन:**
  - पंजीकरण और अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई।
  - अनुमोदित खनन योजनाओं की वैधता बनाए रखी गई।
  - 2027 के मध्य तक चुनिंदा फाइलिंग और दंड से अस्थायी छूट।
- **डिजिटल निगरानी:** ऑनलाइन पंजीकरण, ट्रैकिंग और पारदर्शिता के लिए *माइन डेवलपर पोर्टल* के साथ एकीकरण ।

सुधार का महत्व

- **सरलीकरण और स्पष्टता:** वर्गीकरण संबंधी भ्रम को दूर करता है, स्थिरता और तीव्र मंजूरी सुनिश्चित करता है।
- **औद्योगिक विकास:** सीमेंट और संबद्ध उद्योगों में विस्तार को प्रोत्साहित करता है, जो बुनियादी ढांचे के विकास का एक प्रमुख चालक है।
- **आर्थिक वृद्धि:** मुक्त व्यापार और चूना पत्थर के उपयोग से ग्रामीण रोजगार, राज्य राजस्व और लघु उद्यम भागीदारी बढ़ सकती है।

- **नीति संरेखण:** *आत्मनिर्भर भारत* और भारत के सतत संसाधन प्रबंधन के प्रयासों का समर्थन करता है ।
- **संस्थागत समन्वय:** राज्यों और उद्योग के साथ हितधारक परामर्श के बाद नीति आयोग के तहत एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सुव्यवस्थित लाइसेंसिंग:** राज्यों को तीव्र अनुमोदन के लिए एमएमडीआर ढांचे के अंतर्गत नियमों को अद्यतन करना चाहिए।
- **डिजिटल अनुपालन:** पारदर्शिता में सुधार के लिए ई-अनुमति और उपग्रह-आधारित खदान निगरानी का व्यापक उपयोग।
- **क्षमता निर्माण:** छोटे खनिकों के लिए नए दस्तावेज़ीकरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- **सतत खनन:** केंद्रीय निगरानी में खनन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल निष्कर्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

समस्त चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करना भारत के खनन सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत पुराने भेदभावों को दूर करके और एकरूपता सुनिश्चित करके, सरकार ने नियामक स्पष्टता, निवेश विश्वास और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को मज़बूत किया है। इस सुधार से **सीमेंट क्षेत्र के विकास, बुनियादी ढाँचे के विस्तार और रोज़गार सृजन में तेज़ी आने की उम्मीद है** , जिससे खनिज-आधारित उद्योगों में भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।

मेडागास्कर

संदर्भ:

मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट के साथ-साथ जेन-जेड के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के प्रति जनता के गुस्से के बीच राष्ट्रपति के अचानक गायब होने से शुरू हुए हैं। यह अशांति राजनीतिक नेतृत्व और आर्थिक कुप्रबंधन के प्रति गहरे असंतोष का संकेत देती है।

पृष्ठभूमि

- **राजनीतिक अस्थिरता:** विरोध प्रदर्शन तेज होने के कारण राष्ट्रपति छिप गए, जिससे सत्ता में शून्यता पैदा हो गई।
- **युवाओं की भागीदारी:** प्रदर्शन मुख्यतः भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सीमित अवसरों से निराश जनरेशन जेड नागरिकों द्वारा संचालित होते हैं।
- **सैन्य भूमिका:** एक विशिष्ट इकाई ने प्रमुख सरकारी संस्थानों और बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे लोकतांत्रिक निरंतरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

प्रमुख घटनाक्रम

- **बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन:** प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जवाबदेही, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और राजनीतिक सुधार की मांग करते हैं।
- **सैन्य हस्तक्षेप:** सैनिकों ने रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया है, जो वास्तविक अधिग्रहण का संकेत है।
- **सरकारी प्रतिक्रिया:** नागरिक नेतृत्व की अनुपस्थिति से दीर्घकालिक अस्थिरता की आशंका बढ़ जाती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय चिंता:** क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारक स्थिति पर नजर रख रहे हैं तथा संवैधानिक व्यवस्था की वापसी का आग्रह कर रहे हैं।

महत्व

- **युवा लामबंदी:** यह संकट युवा पीढ़ी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को रेखांकित करता है।
- **शासन संकट:** मेडागास्कर में लगातार भ्रष्टाचार, कमजोर संस्थाओं और पारदर्शिता की कमी पर प्रकाश डालता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** राजनीतिक उथल-पुथल हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार, सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **बातचीत द्वारा परिवर्तन:** कानून और व्यवस्था बनाए रखते हुए अंतरिम नागरिक प्रशासन की स्थापना करना।
- **भ्रष्टाचार विरोधी सुधार:** दीर्घकालिक स्थिरता के लिए संस्थाओं और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है।
- **युवा सहभागिता:** शासन में युवा नेताओं को शामिल करने से विश्वास का पुनर्निर्माण हो सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समर्थन:** क्षेत्रीय निकाय और संयुक्त राष्ट्र लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए संवाद को सुगम बना सकते हैं और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

मेडागास्कर का संकट सैन्य हस्तक्षेप और युवाओं द्वारा संचालित नागरिक अशांति के एक जटिल मिश्रण को दर्शाता है, जिसकी जड़ें शासन की विफलताओं में हैं। आने वाले सप्ताह संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने, सुधारों को लागू करने और युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, अन्यथादी र्घकालिक अस्थिरता का जोखिम उठाना पड़ेगा।

भारत में नगर पालिकाओं की राजकोषीय संरचना

संदर्भ:

भारत का शासन तीन स्तरों पर संचालित होता है: संघ, राज्य और

स्थानीय। शहरी स्थानीय निकायों के रूप में नगरपालिकाएँ नियोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे की देखरेख करती हैं। शहरी क्षेत्रों का **सकल घरेलू उत्पाद में 65% से अधिक योगदान होने के बावजूद** , नगरपालिकाएँ **कर राजस्व के 1% से भी कम को नियंत्रित करती हैं** , जिससे वे राज्य और केंद्र के हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर हो जाती हैं। यह राजकोषीय असंतुलन स्वायत्तता को सीमित करता है और प्रभावी सेवा वितरण में बाधा डालता है।

नगरपालिकाओं के वित्त पर जीएसटी का प्रभाव:
जीएसटी (2017) से पहले, नगरपालिकाएँ चुंगी, स्थानीय उपकरों और अधिभारों के माध्यम से राजस्व जुटाती थीं। जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत तो किया, लेकिन कई स्थानीय राजस्व स्रोतों को समाप्त कर दिया, जिससे नगरपालिकाओं की आय में **19% की कमी आई** । केंद्र सरकार द्वारा वादा किया गया मुआवज़ा सीधे नगरपालिकाओं के बजाय राज्यों के माध्यम से प्रवाहित होता है, जिससे राजकोषीय निर्भरता बढ़ती है और स्थानीय निर्णय लेने और बुनियादी ढाँचे में निवेश सीमित होता है।

समाधान:
म्युनिसिपल बॉन्ड शहरी निकायों के लिए बाज़ार-आधारित वित्तपोषण तंत्र प्रदान करते हैं। नीति आयोग के दिशानिर्देश, स्मार्ट सिटी मिशन और वित्त आयोग जैसी पहल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करती हैं।

चुनौतियाँ:

- सीमित स्वयं-स्रोत राजस्व के कारण कमजोर ऋण-योग्यता।
- राज्य और केन्द्रीय अनुदान पर भारी निर्भरता।
- निवेशकों का कम विश्वास होने के कारण सीमित खरीद हो रही है।

संभावना:
वित्तीय स्थिति को मजबूत करके, क्रेडिट रेटिंग में सुधार करके, तथा अनुदान को नियमित आय मानकर, नगरपालिका बांड बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित कर सकते हैं तथा शहरी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

संवैधानिक और नीतिगत ढांचा

- **74वां संविधान संशोधन (1992):** शहरी स्थानीय निकायों को संस्थागत बनाया गया, कर लगाने और शासन कार्य करने की शक्तियां प्रदान की गईं।
- **अनुच्छेद 243W-243Y:** नगरपालिकाओं को कर एकत्र करने, वित्त का प्रबंधन करने और राज्य वित्त आयोगों से हस्तांतरण प्राप्त करने का अधिकार देना।
- **15वां वित्त आयोग (2021-2026):** राजकोषीय विकेंद्रीकरण पर जोर देते हुए स्थानीय निकायों को ₹4.36 लाख करोड़ आवंटन की सिफारिश की गई।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव
डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश प्रासंगिक मॉडल प्रदान करते हैं:

- स्थानीय सरकारें प्रत्यक्ष करों के माध्यम से पर्याप्त राजस्व जुटाती हैं, जिससे केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता कम हो जाती है।
- राजकोषीय स्वायत्तता पूर्वानुमानित बजट, कुशल सेवा वितरण और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निवेश को सुनिश्चित करती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **अनुदानों की कानूनी मान्यता:** पूर्वानुमान और ऋण-योग्यता में सुधार के लिए राज्य और केंद्रीय अनुदानों को नियमित नगरपालिका राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए।
- **स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व का विस्तार करें:** स्वायत्तता बढ़ाने के लिए जीएसटी के अनुकूल स्थानीय करों को पुनः लागू करें या पुनः डिजाइन करें।
- **म्यूनिसिपल बांड को प्रोत्साहित करें:** निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और लेखांकन मानकों को मजबूत करें।
- **क्षमता निर्माण:** वित्तीय नियोजन, ऋण प्रबंधन और राजस्व जुटाने में नगरपालिका अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
- **राजकोषीय न्याय की मानसिकता:** नगरपालिकाओं को राष्ट्रीय समृद्धि के चालक के रूप में मान्यता देना, तथा न्यायसंगत राजकोषीय संरचना सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:
अपने आर्थिक योगदान के बावजूद, भारत की नगरपालिकाओं को पर्याप्त धन नहीं मिल पाता, जिससे शहरी सेवा वितरण और विकास सीमित हो जाता है। सशक्त स्थानीय शासन के निर्माण के लिए वित्तीय स्वायत्तता, नगरपालिका बांड और अनुदान मान्यता में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने से कार्यकुशलता, बुनियादी ढाँचे का विकास और नागरिक कल्याण में वृद्धि हो सकती है, जिससे समावेशी और सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

भारत में जैव प्रौद्योगिकी का उदय और इसके विस्तार की चुनौतियाँ

संदर्भ
भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तारित हुआ है - 2018 में लगभग 500 स्टार्टअप से 2025 तक 10,000 से अधिक तक - बायोई 3 पहल जैसी नीतियों और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य द्वारा समर्थित।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:
भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र जेनेरिक उत्पादन से उच्च तकनीक

नवाचार की ओर बढ़ रहा है, तथा किफायती अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल एकीकरण और वैश्विक बाजार विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

विकास चालक:

- स्टार्टअप बूम: बायोटेक उद्यमों में बीस गुना वृद्धि (2018-2025), 25 राज्यों में 90 से अधिक इनक्यूबेटरों द्वारा समर्थित।
- कम लागत वाले अनुसंधान का लाभ: भारत का किफायती अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत STEM आधार नवाचार को आकर्षित करता है।
- एआई एकीकरण: स्टार्टअप दवा खोज और निदान के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं।
- वैश्विक टीकाकरण केंद्र: भारत वैश्विक टीकाकरण खुराक का लगभग 60% आपूर्ति करता है, जिससे इसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है।
- बायोई3 नीति (2025): इसका उद्देश्य जैव विनिर्माण, जैव ऊर्जा और बायोफार्मा को एकीकृत करना है, जो स्थिरता और आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

प्रमुख सरकारी पहल

- बीआईआरएसी: अनुदान, इनक्यूबेशन और फंडिंग (बीआईजी, एसबीआईआरआई) की सुविधा प्रदान करता है, 6,000 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करता है।
- बायोफार्मा के लिए पीएलआई: कच्चे माल के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देता है और आयात पर निर्भरता को कम करता है।
- 100% एफडीआई नीति: विदेशी निवेश और वैश्विक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी को प्रोत्साहित करती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- स्केल-अप चरण में वित्तपोषण अंतराल: प्रारंभिक वित्तपोषण उपलब्ध है, लेकिन बाद के दौर (श्रृंखला बी/सी) दुर्लभ हैं, जिससे बाजार का विस्तार अवरुद्ध हो रहा है।
- खंडित अवसंरचना: अधिकांश इनक्यूबेटरों में साझा जीएमपी और पायलट-स्केल सुविधाओं का अभाव है; स्टार्टअप एक उत्पाद चक्र को पूरा करने के लिए कई शहरों में काम करते हैं।
- विनियामक विलंब: जीन संपादन, CRISPR, और AI-आधारित चिकित्सा विज्ञान के लिए पुराने ढांचे वैश्विक सहयोग और IP संरक्षण में देरी करते हैं।
- प्रतिभा पलायन: सीमित घरेलू अवसरों और कमजोर पोस्ट-डॉक फंडिंग के कारण लगभग 40% बायोटेक पीएचडी धारक विदेश चले जाते हैं।
- सीमित वैश्विक पहुंच: अमेरिका और यूरोपीय संघ के विनियामक मानकों के साथ गलत संरेखण उच्च मूल्य वाले जैविक उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित करता है।

क्षेत्र	प्रस्तावित सुधार
पारिस्थितिकी तंत्र विकास	साझा सुविधाओं के लिए जीनोम वैली और मुंबई-पुणे में "बायो कॉमन्स" जैसे जैव प्रौद्योगिकी क्लस्टर स्थापित करना।
वित्तपोषण तंत्र	मिश्रित वित्त और उद्यम ऋण मॉडल का उपयोग करके एक राष्ट्रीय जैव-उद्यम निधि बनाएं।
नैदानिक अनुसंधान	एम्स और प्रमुख संस्थानों में एकीकृत नैतिकता समितियों के साथ अंतिम चरण के क्लिनिकल परीक्षण केंद्र विकसित करना।
प्रतिभा प्रतिधारण	CRISPR और AI-बायोस्टैटिस्टिक्स में कर-प्रोत्साहित रिवर्स ब्रेन ड्रेन और माइक्रो-क्रेडेंशियल प्रशिक्षण शुरू करना।
नियामक आधुनिकीकरण	तेजी से अनुमोदन के लिए यूरोपीय संघ और अमेरिकी ढांचे से प्रेरित अनुकूली, जोखिम-आधारित प्रणालियां लागू करना।

आगे बढ़ने का रास्ता

- एकीकृत क्लस्टर: दोहराव और लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे को समेकित करना, सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- समर्पित वित्तपोषण: इक्विटी, पेंशन और बीमा पूंजी को मिलाकर एक राष्ट्रीय बायोटेक फंड की स्थापना करना।
- अनुकूली विनियम: नवाचार अनुमोदन में तेजी लाने के लिए घरेलू नियमों को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करें।
- प्रतिभा रणनीतियाँ: प्रत्यक्ष अनुदान और स्थानांतरण सहायता के माध्यम से कुशल पेशेवरों की वापसी को प्रोत्साहित करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी संस्थानों के बीच अनुसंधान एवं विकास संबंधों को मजबूत करना।

RACE IAS

निष्कर्ष:
भारत का जैव-प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र तेज़ी से विकास कर रहा है, लेकिन वित्त, विनियमन और मानव पूंजी में मापनीयता संबंधी बाधाओं का सामना कर रहा है। एकीकृत क्लस्टरों का निर्माण, विनियमन में सुधार और वैश्विक संबंधों को गहरा करके, भारत को 2030 तक वैश्विक दक्षिण के जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र में बदला जा सकता है।

भारत में शहरी राजकोषीय वास्तुकला

संदर्भ:
भारत के शहरी स्थानीय निकाय, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग दो-तिहाई का योगदान करते हैं, कुल कर राजस्व का 1% से भी कम प्राप्त करते हैं। एक विश्लेषण से पता चलता है कि जीएसटी के बाद के केंद्रीकरण ने शहर-स्तरीय राजकोषीय स्वतंत्रता को कमज़ोर कर दिया है।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:
भारत का राजकोषीय ढांचा नगरपालिकाओं के योगदान को कम आंकता है। राष्ट्रीय विकास में शहरों की भूमिका के बावजूद, उनकी कर शक्तियाँ बहुत सीमित हैं और उच्च स्तरीय सरकारों पर निर्भर हैं।

संरचनात्मक दोष:

- राजस्व-उत्तरदायित्व का असंतुलन: शहर सकल घरेलू उत्पाद का 66% उत्पन्न करते हैं, लेकिन उन्हें कर राजस्व का 1% से भी कम प्राप्त होता है, जिससे उन्हें राज्य और केंद्रीय अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता करनी पड़ती है।
- जीएसटी के अंतर्गत कर केंद्रीकरण: चुंगी और प्रवेश कर जैसे पारंपरिक स्थानीय शुल्कों को जीएसटी में मिला दिया गया, जिससे स्थानीय राजकोषीय स्वायत्तता समाप्त हो गई।
- अनुदान पर निर्भरता: शहरी स्थानीय निकाय, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन और राज्य वित्त आयोगों से प्राप्त सशर्त हस्तांतरण पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण नकदी प्रवाह अनिश्चित रहता है।
- प्रतिबंधित कर स्वायत्तता: स्थानीय निकाय राज्य की मंजूरी के बिना संपत्ति या व्यावसायिक करों में संशोधन नहीं कर सकते।
- उलटा संघवाद: जबकि जिम्मेदारियां विकेन्द्रीकृत हैं (अपशिष्ट प्रबंधन, आवास), राजकोषीय नियंत्रण केंद्रीकृत रहता है।

राजस्व स्वायत्तता का नुकसान

- जीएसटी के बाद का प्रभाव: पारंपरिक नगरपालिका राजस्व स्रोतों का लगभग पांचवां हिस्सा जीएसटी द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिससे शहर-विशिष्ट आय स्रोत समाप्त हो गए।
- क्षतिपूर्ति की अनदेखी: जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्यों को मिलती है, शहरी स्थानीय निकायों को नहीं, जिससे शहरी राजस्व हानि की वसूली में बाधा उत्पन्न होती है।
- राज्य नियंत्रण: राज्य संपत्ति मूल्यांकन और कर दरें तय करते हैं, जिससे वित्तीय निर्णय लेने में देरी होती है।
- राजकोषीय हस्तांतरण का कमजोर प्रवर्तन: 74वें संशोधन का कार्यान्वयन सीमित बना हुआ है, क्योंकि कई राज्य नियमित रूप से राज्य वित्त आयोगों का गठन करने में विफल रहे हैं।
- प्रशासनिक घाटा: कम डिजिटलीकरण और अपूर्ण संपत्ति डेटाबेस स्थानीय कर संग्रह दक्षता को प्रतिबंधित करते हैं।

नगरपालिका बांड और राजकोषीय नवाचार

- नीति-वादा अंतर: सरकारी प्रोत्साहन के बावजूद, कमजोर नगरपालिका बैलेंस शीट के कारण केवल 40 शहरों ने ही बांड जारी किए हैं।
- क्रेडिट मूल्यांकन दोष: रेटिंग एजेंसियां स्थिर अनुदानों को कम आंकती हैं, जबकि स्व-राजस्व निर्भरता को बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं।
- वैचारिक पूर्वाग्रह: वैश्विक ऋणदाता उपयोगकर्ता शुल्क और संपत्ति कर मॉडल को बढ़ावा देते हैं, जिससे राजकोषीय न्याय कमजोर होता है।
- शासन-आधारित रेटिंग की आवश्यकता: शहर के क्रेडिट मूल्यांकन में पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और लेखापरीक्षा प्रदर्शन पर विचार किया जाना चाहिए - न कि केवल आय संख्या पर।

पहलू	भारत	स्कैंडिनेवियाई मॉडल
कर शक्तियां	जीएसटी के तहत केंद्रीकृत	स्थानीय आय कराधान की अनुमति
राजस्व पूर्वानुमान	अनुदान पर निर्भर	स्थिर, स्थानीयकृत
नागरिक जवाबदेही	अप्रत्यक्ष	कर उपयोग पर प्रत्यक्ष दृश्यता

राजकोषीय इक्विटी	असमतल	साझा और संतुलित

आगे बढ़ने का रास्ता

- साझा करों को शहरी आय के रूप में मान्यता दें: वास्तविक राजकोषीय क्षमता को दर्शाने के लिए शहरी बैलेंस शीट में अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल करें।
- क्रेडिट रेटिंग में सुधार: शासन-संबंधी प्रदर्शन मापदंड लागू करना।
- शहरी वित्तीय कोष की स्थापना: नगरपालिका ऋण के लिए एक समर्पित वित्तपोषण प्राधिकरण (स्वीडन के कोमुनिवेस्ट की तरह) बनाएं।
- राजकोषीय हस्तांतरण की गारंटी: अनुच्छेद 280(3)(बीबी) के तहत पूर्वानुमानित और अप्रतिबंधित अनुदानों के लिए राज्य अधिनियमों में संशोधन करें।
- उधार लेने की स्वायत्तता सक्षम करें: यूएलबी को कर हस्तांतरण या जीएसटी मुआवजे के हिस्से को बांड संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने की अनुमति दें।

निष्कर्ष:
भारत का शहरी भविष्य वास्तविक राजकोषीय संघवाद पर निर्भर करता है। नगर निगमों की स्वायत्तता को मज़बूत करना, पूर्वानुमानित हस्तांतरण सुनिश्चित करना और ऋण-योग्यता को शासन से जोड़ना, शहरों को आश्रित प्रशासनिक इकाइयों के बजाय समावेशी राष्ट्रीय विकास के इंजन के रूप में सशक्त बनाएगा।

सांस्कृतिक सहानुभूति के माध्यम से नेतृत्व

संदर्भ:
अक्टूबर 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में एलजी इंडिया के ऐतिहासिक आईपीओ लिस्टिंग के दौरान, प्रबंध निदेशक होंग जू जियोन - एक दक्षिण कोरियाई कार्यकारी - ने अपना पूरा भाषण धाराप्रवाह हिंदी में दिया, जिसकी शुरुआत "नमस्ते" से हुई। भाषाई और सांस्कृतिक सहानुभूति के इस भाव ने पूरे देश का ध्यान खींचा और नेतृत्व के विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ाव को नए सिरे से परिभाषित किया।

कार्यक्रम के बारे में

किस्सा:
जियोन ने अंग्रेजी या कोरियाई भाषा के बजाय हिंदी में बोलना चुना, जो भारत की संस्कृति के प्रति सम्मान और हितधारकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक था। उनके संबोधन में एनएसई के अधिकारियों, भारत सरकार और एलजी के सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब सराहना हुई।

व्यावसायिक प्रभाव:
एलजी इंडिया का ₹11,600 करोड़ का आईपीओ 2008 के बाद से सबसे अधिक सब्सक्राइब्ड पेशकशों में से एक बन गया, जिसके शेयरों में लिस्टिंग के बाद 50% से अधिक की वृद्धि हुई - जिससे कंपनी का मूल्यांकन उसकी दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से अधिक हो गया।

प्रतिक्रियाएँ:
बिज़नेस लीडर्स और दर्शकों ने जियोन के इस कदम का स्वागत कॉर्पोरेट भारत में एक दुर्लभ सांस्कृतिक संवेदनशीलता के रूप में किया, जिसने विनम्रता और व्यक्तिगत प्रयास को उजागर किया। इस क्षण की व्यापक रूप से "सौम्य" और भारतीय तरीके से किए गए वैश्विक नेतृत्व का एक उदाहरण बताया गया।

महत्व और नैतिक अंतर्दृष्टि

- सांस्कृतिक सहानुभूति: जियोन के भाषण ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया - जो नैतिक और समावेशी नेतृत्व के लिए अभिन्न मूल्य हैं।
- संपर्क के रूप में संचार: हिंदी को चुनकर, उन्होंने भारतीय हितधारकों के बीच विश्वास और आत्मीयता को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट औपचारिकता को पार कर लिया।
- अधिकार से परे नेतृत्व: उनके इस कदम ने यह प्रदर्शित किया कि सच्चा नेतृत्व समझ से उत्पन्न होता है, प्रभुत्व से नहीं; तथा सम्मान से उत्पन्न होता है, बयानबाजी से नहीं।

नेतृत्व में व्यापक पाठ

- अंतरसांस्कृतिक क्षमता: स्थानीय संदर्भों के अनुकूल होने से वैश्विक साझेदारियां मजबूत होती हैं और मानवीय संबंध गहरे होते हैं।
- प्रतीकात्मक कार्य, वास्तविक प्रभाव: दर्शकों की भाषा बोलने जैसे सरल संकेत वफादारी और प्रशंसा को प्रेरित कर सकते हैं।
- सार्वजनिक नेतृत्व समानांतर: शासन या प्रशासन में, सहानुभूतिपूर्ण संचार नेताओं को नागरिकों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने में मदद करता है, जिससे जनता का विश्वास मजबूत होता है।

निष्कर्ष:
एलजी इंडिया के आईपीओ लिस्टिंग के अवसर पर हांग जू जियोन का हिंदी संबोधन सिर्फ़ एक मार्केटिंग संकेत से कहीं बढ़कर था—इसमें सांस्कृतिक विनम्रता और सहानुभूति पर आधारित नेतृत्व का भाव समाहित था। व्यावसायिकता को स्थानीय लोकाचार के सम्मान के साथ जोड़कर, जियोन ने दर्शाया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर आधारित अनुकूलनशील नेतृत्व, वैश्वीकृत दुनिया में सफलता की आधारशिला है।

आईयूसीएन और पश्चिमी घाट, मानस और सुंदरबन

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने अपनी *विश्व धरोहर आउटलुक 4 (2025)* रिपोर्ट में भारत के पश्चिमी घाट, मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को "महत्वपूर्ण चिंता" स्थलों के रूप में चिह्नित किया है, जो जलवायु और मानव दबाव के कारण संरक्षण की स्थिति में गिरावट का संकेत देता है।

आईयूसीएन विश्व धरोहर आउटलुक के बारे में

विश्व धरोहर परिदृश्य एक आवधिक वैश्विक मूल्यांकन (प्रत्येक 3-4 वर्ष) है जो विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थलों की स्थिति और जैव विविधता के लिए खतरों का मूल्यांकन करता है।
यह स्थलों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है - *अच्छा*, *कुछ चिंताओं के साथ अच्छा*, *महत्वपूर्ण चिंताजनक*, और *गंभीर*।

2025 के संस्करण में, 30% एशियाई स्थल "महत्वपूर्ण चिंता" श्रेणी में आ गए - जो 2020 में 26% थे - मुख्य रूप से बढ़ते जलवायु प्रभावों, पर्यटन और भूमि-उपयोग के दबावों के कारण।

साइट	जगह	प्रमुख खतरे
पश्चिमी घाट	महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु	वन हानि (−5%), शहरीकरण, पर्यटन दबाव, बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ
मानस राष्ट्रीय उद्यान	असम (भारत-भूटान सीमा पार)	आवास क्षति, अवैध शिकार, बाढ़, आक्रामक प्रजातियाँ
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिम बंगाल (भारत-बांग्लादेश सीमा पार)	समुद्र-स्तर में वृद्धि, कटाव, लवणता, असंपोषणीय पर्यटन

आउटलुक 2025 से प्रमुख अवलोकन

- भारत की स्थिति: 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में से केवल *कंचनजंगा एनपी को* "अच्छा" दर्जा दिया गया है, चार अन्य "कुछ चिंताओं के साथ अच्छे" हैं, जबकि पश्चिमी घाट, मानस और सुंदरबन "महत्वपूर्ण चिंता" के अंतर्गत हैं।
- प्रमुख खतरे: जलवायु परिवर्तन ने एशिया में शिकार को पीछे छोड़ते हुए सबसे व्यापक खतरा पैदा कर दिया है, जिसके बाद पर्यटन और आक्रामक प्रजातियां आती हैं।
- बुनियादी ढांचे के जोखिम: सड़कों और रेलवे का विस्तार शीर्ष पांच खतरों में शामिल हो गया है, जिससे आवास विखंडन और वन्यजीव मृत्यु दर बढ़ रही है।
- क्षेत्रीय रुझान: वैश्विक स्तर पर, 57% साइटों में अब सकारात्मक संरक्षण दृष्टिकोण है - जो 2020 में 63% से कम है, जो 2014 के बाद पहली दर्ज की गई गिरावट को दर्शाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- संवेदनशील स्थलों पर जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली परियोजनाओं को मजबूत करना।
- पर्यटन और आजीविका लक्ष्यों में संतुलन के लिए समुदाय-आधारित प्रबंधन को एकीकृत करना।
- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को बढ़ाना।
- आवास परिवर्तनों की वास्तविक समय निगरानी के लिए एआई और उपग्रह निगरानी का उपयोग करें।

निष्कर्ष:

आईयूसीएन के निष्कर्ष भारत की प्राकृतिक विरासत के लिए एक चेतावनी हैं। इन जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स को संरक्षित करने के लिए जलवायु, पर्यटन और भूमि उपयोग पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है - यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत की वैश्विक पारिस्थितिक संपत्तियाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए लचीली और संरक्षित बनी रहें।

भारत-रूस रक्षा सहयोग और भू-राजनीतिक संतुलन

प्रसंग

भारत और रूस विश्वास और तकनीकी सहयोग पर आधारित दुनिया की सबसे लंबी रक्षा साझेदारियों में से एक साझा करते हैं। रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, लेकिन अब सहयोग *आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप सह-उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुसंधान पर केंद्रित है*। फिर भी, रूसी तेल और हथियारों के लेन-देन पर अमेरिकी दबाव भारत को एक संवेदनशील रणनीतिक स्थिति में डाल देता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता है।

रक्षा सहयोग के बारे में

दीर्घकालिक साझेदारी:

शीत युद्ध के समय से ही भारत-रूस रक्षा संबंध मजबूत बने हुए हैं, तथा भारत की लगभग 60-70% हथियार प्रणालियां रूसी मूल की हैं।

सहयोग का विकास:

साझेदारी खरीद से लेकर संयुक्त उद्यमों तक विकसित हुई है, जैसे *ब्रह्मोस* मिसाइल, *सुखोई Su-30MKI* लड़ाकू विमान, *T-90* टैंक और *AK-203* राइफलें।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वदेशी विकास:
महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साझा करने की रूस की तत्परता, *मेक इन इंडिया* और *डीपीईपीपी के तहत भारत के रक्षा विनिर्माण को मजबूत करती है*, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के विपरीत है।

उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) सहयोग

परियोजना अवलोकन:
एएमसीए परियोजना *का* उद्देश्य भारतीय वायुसेना के लिए स्टेल्थ और उन्नत एवियोनिक्स के साथ भारत का पहला स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार करना है।

रूसी भागीदारी:
रूस एएमसीए डिजाइन, इंजन और स्टील्थ प्रौद्योगिकी का समर्थन करता है, तथा भारत की एयरोस्पेस क्षमता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय विनिर्माण का प्रस्ताव करता है।

एसयू-57 लड़ाकू विमानों की पेशकश:
मास्को ने भारत के तकनीकी आधार को आगे बढ़ाते हुए बिक्री या स्थानीय उत्पादन के लिए अपने *एसयू-57 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की पेशकश की है।*

सामरिक निहितार्थ:
इस तरह के सहयोग से अगली पीढ़ी की हवाई क्षमताओं में भारत का अमेरिका और चीन के साथ अंतर कम हो जाएगा।

संयुक्त अनुसंधान और सहयोग के भावी क्षेत्र

वर्तमान परियोजनाएं:
प्रमुख उपक्रमों में *ब्रह्मोस* मिसाइल निर्यात, *Su-30MKI* उन्नयन, तथा भारत में *T-90* और *AK-203 का उत्पादन शामिल है।*

उभरते क्षेत्र:
दोनों देश ड्रोन रोधी प्रणालियों, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सटीक प्रहार हथियारों और नौसैनिक प्रणोदन में सहयोग की योजना बना रहे हैं।

अमेरिकी दबाव और ऊर्जा कूटनीति

तेल आयात पर विवाद:
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने रूसी तेल खरीद को रोकने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया था, एक बयान जिसे विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया, भारत की स्वतंत्र ऊर्जा नीति की पुष्टि की।

भारत की ऊर्जा रणनीति:
भारत राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखे हुए है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं:
ट्रम्प की टिप्पणी की घरेलू स्तर पर आलोचना हुई, जबकि चीन ने भारत के रुख का समर्थन किया और अमेरिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया।

रणनीतिक संतुलन: रक्षा और कूटनीति

अमेरिका बनाम रूस रक्षा प्रस्ताव:
अमेरिका रूस के *एसयू-57 की तुलना में अपने एफ-35 जेट को बढ़ावा देता है*, लेकिन भारत के विकल्प विश्वसनीयता, लागत और स्वायत्तता पर निर्भर करते हैं।

संतुलनकारी कार्य:
भारत रूस के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध बनाए रखता है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाता है, जिससे बहु-संरेखण सुनिश्चित होता है।

प्रतिबंधों के बीच लचीले संबंध:
पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, भारत-रूस रक्षा परियोजनाएं जारी हैं, जो मजबूत पारस्परिक प्रतिबद्धता और परिचालन समर्थन को दर्शाती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **विविध रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र:** रूसी सहयोग को बनाए रखते हुए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना।
- **प्रौद्योगिकी सह-विकास:** एआई, ड्रोन और साइबर रक्षा में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास का विस्तार करना।
- **ऊर्जा स्वतंत्रता:** शोधन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि।
- **सामरिक स्वायत्तता सिद्धांत:** रक्षा और ऊर्जा पर स्वतंत्र निर्णय लेने को संरक्षित करना।
- **सार्वजनिक कूटनीति:** गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय हितों को स्पष्ट करना।

निष्कर्ष

रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध उसके रणनीतिक ढाँचे के केंद्र में बने हुए हैं, जो प्रौद्योगिकी साझाकरण और पारस्परिक विश्वसनीयता द्वारा परिभाषित हैं। वैश्विक दबावों के बावजूद, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति सभी शक्तियों के साथ संतुलित संबंध सुनिश्चित करती है। संयुक्त नवाचार और स्वदेशी क्षमता निर्माण भारत के एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर सम्मानित रक्षा शक्ति के रूप में उभरने में सहायक सिद्ध होंगे।

डोपामाइन ओवरडोज

प्रसंग

न्यूरोसाइंटिस्टों ने "डोपामाइन ओवरडोज़" नामक एक बढ़ती हुई घटना के प्रति आगाह किया है, जो अत्यधिक डिजिटल जुड़ाव और तुरंत संतुष्टि से उत्पन्न होती है। सोशल मीडिया, गेमिंग और ऑन-डिमांड मनोरंजन के लगातार संपर्क में रहने से मस्तिष्क के रिवॉर्ड सर्किट बदल रहे हैं, जिससे युवाओं में चिंता, कम प्रेरणा और ध्यान संबंधी विकार बढ़ रहे हैं।

समाचार के बारे में

- **डोपामाइन क्या है?**

डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद, प्रेरणा और सीखने के लिए ज़िम्मेदार है। यह मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली को सक्रिय करता है, जिससे खाने, सामाजिक मेलजोल या लक्ष्य प्राप्ति जैसे आनंददायक अनुभवों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- **आधुनिक व्यवधान**

  आज की अति-जुड़ी जीवनशैली में, बार-बार मिलने वाले डिजिटल पुरस्कार—लाइक, नोटिफिकेशन और संक्षिप्त सामग्री—डोपामाइन के स्तर में बार-बार वृद्धि करते हैं। समय के साथ, यह मस्तिष्क के रिसेप्टर्स को असंवेदनशील बना देता है, जिससे प्राकृतिक संतुष्टि कम हो जाती है और निरंतर उत्तेजना पर निर्भरता बढ़ जाती है।

- **प्रौद्योगिकी की भूमिका**

  सोशल मीडिया एल्गोरिदम को जुए या मादक पदार्थों के सेवन की तरह, अप्रत्याशित डोपामाइन विस्फोट प्रदान करके जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किशोर, जिनका मस्तिष्क अभी भी विकसित हो रहा है, नशे की लत के चक्र के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।

- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव**

  लगातार अति-उत्तेजना भावनात्मक नियमन को बाधित करती है, जिससे बेचैनी, कम ध्यान अवधि और खालीपन की भावना पैदा होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि लंबे समय तक स्क्रीन के संपर्क में रहने से युवाओं में चिंता, अवसाद और सामाजिक अलगाव के मामलों में वृद्धि होती है।

पुनर्प्राप्ति का मार्ग

- **संतुलन बहाल करना**

  विशेषज्ञ "डोपामाइन डिटॉक्स" अभ्यास की सलाह देते हैं - मस्तिष्क रिसेप्टर्स को रीसेट करने के लिए स्क्रीन और सोशल मीडिया से जानबूझकर ब्रेक लेना।

- **स्वस्थ आदते**

  माइंडफुलनेस मेडिटेशन, शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और सार्थक ऑफलाइन बातचीत भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक प्रेरणा को बहाल करने में मदद करती है।

- **शिक्षा और जागरूकता**

  माता-पिता, शिक्षकों और डिजिटल प्लेटफार्मों को जिम्मेदार प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए और छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए संतुलित दिनचर्या को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

डिजिटल युग ने सुख की खोज को निर्भरता में बदल दिया है, और मनुष्य की प्रेरणा और आनंद के अनुभव को बदल दिया है। स्थायी कल्याण तकनीक के उपयोग को नियंत्रित करने, वास्तविक दुनिया के रिश्तों को प्राथमिकता देने और मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने में निहित है।

राज्यों के लिए राजकोषीय स्थान बहाल करना

प्रसंग

जुलाई 2025 में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का उन्मूलन केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कई राज्यों ने घटती राजस्व स्वायत्तता और वित्तीय अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की है और कर हस्तांतरण और सहकारी संघवाद के प्रति नए सिरे से दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है।

विषय के बारे में

राजकोषीय नीति विकास और जीएसटी प्रभाव

- वें **संविधान संशोधन (2017) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)** की शुरुआत की , जिसने कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक गंतव्य-आधारित प्रणाली लागू की। कराधान को सरल बनाते हुए, इसने राज्यों की स्वतंत्र कर लगाने की शक्तियों को सीमित कर दिया।
- जीएसटी **परिषद** , एक संयुक्त निर्णय लेने वाली संस्था होने के बावजूद, केंद्र को **33% वोटिंग शेयर प्रदान करती है** , जिससे उसे दर और नीतिगत परिवर्तनों पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त होता है।
- **जीएसटी क्षतिपूर्ति की समाप्ति** के साथ , संसाधन-विहीन राज्यों को राजस्व घाटा बढ़ने का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की सहायता के लिए हाल ही में किए गए **जीएसटी स्लैब संशोधनों** ने राज्यों के राजकोषीय लचीलेपन को और कम कर दिया है और केंद्रीय हस्तांतरण पर उनकी निर्भरता को और गहरा कर दिया है।

वित्त आयोग की भूमिका और राजकोषीय हस्तांतरण

- **अनुच्छेद 280** के तहत , **वित्त आयोग** केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व-बंटवारे की सिफारिश करता है। हालाँकि, अलग-अलग मानदंडों और विभाज्य पूल से **उपकरों और अधिभारों को बाहर रखने से प्रभावी हस्तांतरण कम हो गए हैं।** 15 **वें वित्त आयोग ने** जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद राज्यों का हिस्सा **42% से घटाकर 41% कर दिया।**
- **₹4.23 लाख करोड़** के उपकर और अधिभार साझाकरण पूल से बाहर रहेंगे, जिससे हस्तांतरण सीमित होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों का प्रबंधन करने के बावजूद, राज्यों को अब **सकल कर राजस्व का 33% से भी कम प्राप्त होता है।**

- केंद्र पर राजकोषीय निर्भरता, विशेष रूप से **बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों के लिए** , बढ़ गई है, तथा विलंबित या सशर्त निधि जारी करने से राजकोषीय समता कमजोर हो रही है।

बढ़ता राजकोषीय असंतुलन

- केंद्र **कुल कर राजस्व का लगभग दो-तिहाई हिस्सा एकत्र करता है** , जबकि राज्य **सार्वजनिक व्यय की आधी से अधिक** जिम्मेदारी वहन करते हैं।
- इस बेमेल - **केंद्रीकृत राजस्व शक्तियों** के साथ-साथ **विकेंद्रीकृत व्यय कर्तव्यों** - ने **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन पैदा कर दिया है** ।
- बढ़ती उधारी आवश्यकताओं ने राज्यों के **ऋण-जीएसडीपी अनुपात को 31.2% (वित्त वर्ष 2024) तक बढ़ा दिया है** , जिससे राजकोषीय स्थिरता और स्वायत्तता को खतरा पैदा हो गया है।

सुधार प्रस्ताव

अर्थशास्त्री राज्यों की बढ़ती कल्याणकारी और विकासात्मक भूमिकाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए
ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण सूत्रों में संशोधन की वकालत करते हैं।
16 **वां वित्त आयोग (2025-30)** 41% की सीमा पर पुनर्विचार कर सकता है और निम्नलिखित पर विचार कर सकता है:

- केन्द्र और राज्यों के बीच **व्यक्तिगत आयकर को अधिक समान रूप से** साझा करना ।
- **कनाडाई मॉडल** से प्रेरित होकर, आयकर पर सीमित **राज्य-स्तरीय अधिभार की अनुमति देना** ।
- **उपकरों और अधिभारों को** विभाज्य पूल में मिलाने से राज्यों के राजस्व में सालाना ₹1.5 लाख करोड़ की वृद्धि होने की संभावना है।
  ऐसे सुधार **सहकारी संघवाद को मज़बूत करेंगे और स्थानीय जवाबदेही** बढ़ाएँगे ।

निष्कर्ष

भारत का राजकोषीय संघवाद एक दोराहे पर खड़ा है। कल्याण और विकास व्यय में राज्यों की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, राजकोषीय स्वायत्तता बहाल करना अत्यंत आवश्यक है। व्यापक कर हस्तांतरण, उपकरों को साझा पूल में एकीकृत करना और समान आयकर वितरण से विश्वास का पुनर्निर्माण होगा, राजकोषीय शक्ति का पुनर्संतुलन होगा और
सच्चे सहकारी संघवाद की भावना को बल मिलेगा ।

दक्षिण अटलांटिक विसंगति (SAA)

प्रसंग

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के स्वार्म मिशन के हालिया निष्कर्षों से पता चलता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे कमज़ोर क्षेत्र, **दक्षिण अटलांटिक विसंगति (एसएए) , 2014 से लगभग 0.9% तक फैल गया है** । यह क्षेत्र **दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है** , जिससे यहाँ से गुज़रने वाले उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के लिए चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

यह क्या है?

- दक्षिण **अटलांटिक विसंगति** उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जहां पृथ्वी के **चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता** औसत से काफी कम है।
- यह विसंगति पृथ्वी के बाहरी कोर में **पिघले हुए लोहे और निकल की अनियमित गतिविधियों से उत्पन्न होती है** , जो ग्रह की **भू-डायनेमो प्रणाली को विकृत कर देती है** - वह प्रक्रिया जो वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है।
- इस क्षेत्र के नीचे, **विपरीत चुंबकीय प्रवाह पैच** के कारण क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के कोर में वापस लौट जाती हैं, जिससे सतह के पास चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है।

प्रमुख विशेषताऐं

- **स्थान: दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका** तक फैला हुआ है ।
- **विस्तार: 2014 से 0.9%** की वृद्धि हुई , धीरे-धीरे **पश्चिम की ओर बढ़ रहा है** ।
- **दोहरी-कोशिका संरचना: 2020** के बाद से , विसंगति **दो उप-कोशिकाओं में विभाजित हो गई है** , एक दक्षिण अमेरिका के पास और दूसरी दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के पास, जो विकसित हो रहे भू-चुंबकीय पैटर्न का संकेत देती है।

प्रभाव डालता है

1. उपग्रह भेद्यता

एसएए से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान को **विकिरण का अधिक सामना करना पड़ता है** , जिससे जहाज पर लगे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और डेटा भंडारण प्रणालियों को नुकसान पहुंच सकता है।

2. निम्न-पृथ्वी कक्षा संचालन में व्यवधान

सटीक अंशांकन और नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भर उपग्रहों और उपकरणों को इस कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते समय **सिग्नल विरूपण या डेटा हानि का सामना करना पड़ता है।**

3. अंतरिक्ष मौसम के बढ़ते जोखिम

कमजोर चुंबकीय परिरक्षण के कारण अधिक **आवेशित सौर कण** प्रवेश कर जाते हैं, जिससे संचार, नेविगेशन और पृथ्वी-अवलोकन उपग्रहों के लिए **अंतरिक्ष मौसम संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं।**

निगरानी और अनुसंधान

- ईएसए का **स्वार्म तारामंडल** , जिसमें तीन उपग्रह शामिल हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निरीक्षण करना तथा एसएए में परिवर्तनों की निगरानी करना जारी रखता है।
- **2030** तक जारी डेटा संग्रह का उद्देश्य **कोर गतिशीलता को** बेहतर ढंग से समझना , विसंगति विकास की भविष्यवाणी करना और विकिरण-जनित खराबी के खिलाफ अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा करना है।

निष्कर्ष

दक्षिण अटलांटिक विसंगति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की गतिशील प्रकृति और आधुनिक तकनीक पर इसके प्रभावों को उजागर करती है।
बदलते चुंबकीय वातावरण में जोखिमों को कम करने और वैश्विक संचार एवं अवलोकन प्रणालियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर उपग्रह निगरानी, बेहतर अंतरिक्ष यान परिरक्षण और पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग आवश्यक हैं।

राज्य खनन तत्परता सूचकांक (एसएमआरआई)

प्रसंग

2025 में , **खान मंत्रालय ने गैर-कोयला खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए** ,
भारतीय राज्यों के खनन प्रशासन की दक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता के आधार पर उनका आकलन और रैंकिंग करने के लिए **पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक (SMRI)** लॉन्च किया । यह पहल **केंद्रीय बजट 2025-26** की एक प्रमुख प्रतिबद्धता को पूरा करती है , जिसका उद्देश्य **प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना** और पूरे भारत में खनन सुधारों में तेजी लाना है।

एसएमआरआई के बारे में

एसएमआरआई **को** राज्य-स्तरीय खनन नीतियों और प्रथाओं के मूल्यांकन हेतु एक प्रदर्शन-आधारित बेंचमार्किंग उपकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह **चार प्रमुख संकेतकों के माध्यम से तैयारी को मापता है** :

1. **नीलामी प्रदर्शन** - खनिज ब्लॉक नीलामी की दक्षता, पारदर्शिता और गति।
2. **शीघ्र खदान परिचालन** - नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों को परिचालन खदानों में परिवर्तित करने की गति।
3. **अन्वेषण पर जोर** - भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अन्वेषण निवेश और खनिज मानचित्रण में नवाचार की सीमा।
4. **सतत खनन प्रथाएँ** - पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से समावेशी खनन प्रक्रियाओं को अपनाना।

राज्यों का वर्गीकरण

निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों को **खनिज संपदा के आधार पर** तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- **श्रेणी ए (खनिज-समृद्ध):** *मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात* - शीर्ष प्रदर्शनकर्ता।
- **श्रेणी बी (मध्यम संसाधन):** *गोवा, उत्तर प्रदेश, असम* - उभरते हुए प्रदर्शनकर्ता।
- **श्रेणी सी (कम बंदोबस्ती):** *पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा* - सीमित संसाधनों के बावजूद उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले राज्य।

यह संरचना प्रत्येक राज्य के संसाधन आधार और संस्थागत क्षमता के अनुसार अनुकूलित नीति मूल्यांकन को सक्षम बनाती है।

महत्व

- **सुधारों को बढ़ावा:** राज्यों को खनन कानूनों को आधुनिक बनाने, मंजूरी को सुव्यवस्थित करने और अन्वेषण का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** आवंटन और संचालन में अनियमितताओं को रोकने के लिए **ई-गवर्नेंस उपकरण और डिजिटल निगरानी** को एकीकृत किया गया है ।
- **स्थिरता को प्रोत्साहित करता है:** जिम्मेदार खनन प्रथाओं को पुरस्कृत करके भारत के **जलवायु और ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।**
- **सहकारी संघवाद को मजबूत करता है: राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है और एसएएससीआई (सतत और सुरक्षित महत्वपूर्ण खनिज पहल)** योजना के तहत समर्थन सहित प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करता है।

निष्कर्ष

राज्य **खनन तत्परता सूचकांक (एसएमआरआई)** भारत के खनिज प्रशासन ढाँचे में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। **जवाबदेही, पारदर्शिता और स्थिरता को मिलाकर** , यह राज्यों को पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन सुनिश्चित करते हुए संसाधन दक्षता बढ़ाने का अधिकार देता है - जिससे भारत के आधुनिक, ज़िम्मेदार और आत्मनिर्भर खनन क्षेत्र के दृष्टिकोण को बल मिलता है।

भारत के कार्बन बाजार में चुनौतियाँ और सुरक्षा उपाय

प्रसंग

जैसे-जैसे भारत **2070 तक अपने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, एक संरचित कार्बन बाज़ार** का निर्माण **आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के** बीच संतुलन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है । हालाँकि, वैश्विक अनुभव, विशेष रूप से अफ्रीका के अनुभव, इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि खराब विनियमित कार्बन बाज़ार असमानताओं को गहरा कर सकते हैं और स्थानीय समुदायों को हाशिए पर डाल सकते हैं।

कार्बन बाज़ार के बारे में

अवधारणा

कार्बन **बाज़ार** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर सीमा निर्धारित करता है और **कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सक्षम बनाता है** - प्रत्येक क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को हटाने या उससे बचने का प्रतिनिधित्व करता है।

तंत्र

- अपनी आवंटित सीमा से कम उत्सर्जन करने वाली संस्थाएं **अधिशेष क्रेडिट बेच सकती हैं** ।
- सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वालों को अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई के लिए **क्रेडिट खरीदना होगा।**
- ऋण **हरित परियोजनाओं** जैसे वनरोपण, नवीकरणीय ऊर्जा या टिकाऊ कृषि के माध्यम से उत्पन्न किये जाते हैं।

भारत की पहल

विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कार्बन **क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) का उद्देश्य** कम कार्बन औद्योगिक परिवर्तन का समर्थन करने और जलवायु वित्त को आकर्षित करने के लिए एक **घरेलू कार्बन ट्रेडिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।**

संरचनात्मक चुनौतियाँ और जोखिम

वैश्विक उदाहरण, विशेष रूप से **केन्या से** , कई नुकसानों को उजागर करते हैं, जिनसे भारत को अपने कार्बन बाजार का विस्तार करते समय बचना चाहिए।

1. कॉर्पोरेट प्रभुत्व

बड़ी कंपनियाँ अक्सर नवीकरणीय या ऑफसेट परियोजनाओं के लिए विशाल भूमि अधिग्रहण करती हैं, जिससे उन्हें ऋण मिलता है और अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण जारी रहता है। इससे वास्तविक उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को झटका लगता है।

2. भूमि और आजीविका संघर्ष

सार्वजनिक और सामुदायिक भूमि - विशेष रूप से जनजातीय और पशुपालक समूहों की भूमि - को कार्बन परियोजनाओं के लिए परिवर्तित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप **पहुंच में कमी और विस्थापन हो रहा है** ।

3. सामुदायिक सहमति का अभाव

कई परियोजनाएं प्रभावित आबादी की **स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) के बिना आगे बढ़ती हैं** , जिससे उन्हें भूमि और संसाधन उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों से बाहर रखा जाता है।

4. असमान लाभ बंटवारा

ऋण बिक्री से होने वाला लाभ प्रायः निगमों के पास ही रहता है, तथा इन परियोजनाओं को संचालित करने वाले स्थानीय समुदायों में **न्यूनतम मुआवजा या पुनर्निवेश किया जाता है ।**

5. पारदर्शिता और निगरानी का अभाव

निगरानी में खामियां, अस्पष्ट लाभ गणनाएं, तथा परियोजना डेटा का सीमित प्रकटीकरण, प्रदूषकों को जवाबदेह ठहराना कठिन बना देता है।

6. क्षेत्रीय बहिष्करण

कृषि **क्षेत्र** , जो उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है, में कार्बन क्रेडिट सृजन में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए संस्थागत समर्थन और जागरूकता का अभाव है।

सुरक्षा उपाय और आगे का रास्ता

1. सामुदायिक अधिकारों की रक्षा

एफपीआईसी और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना , भूमि हस्तांतरण और शोषण को रोकना।

2. न्यायसंगत और समावेशी जलवायु कार्रवाई

जलवायु रणनीतियों में **समानता और सामाजिक न्याय को एकीकृत किया जाना चाहिए** , तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्बन ऑफसेट लक्ष्यों के लिए कमजोर समूहों की बलि न चढ़ाई जाए।

3. उचित लाभ साझाकरण

स्थानीय समुदायों के साथ उनकी भूमि पर क्रियान्वित परियोजनाओं से प्राप्त **राजस्व-साझाकरण** के लिए तंत्र स्थापित करना ।

4. स्वतंत्र निगरानी

एक **तटस्थ निरीक्षण निकाय को** परियोजनाओं का ऑडिट करना चाहिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, तथा अदालतों से परे शिकायतों का समाधान करना चाहिए।

5. संतुलित विनियमन

RACE IAS

विनियमनों को **आर्थिक विकास** , **पर्यावरणीय उत्तरदायित्व** और **मानव अधिकारों के साथ संरेखित करना चाहिए** , जिससे विकास और न्याय दोनों को बढ़ावा मिले।

निष्कर्ष

भारत के कार्बन बाज़ार में परिवर्तनकारी क्षमताएँ हैं, लेकिन इसे वैश्विक असमानताओं को दोहराने से बचना होगा। सामुदायिक सहमति, जवाबदेही और समान लाभ वितरण पर आधारित एक **न्यायसंगत, समावेशी और पारदर्शी ढाँचा** यह सुनिश्चित करेगा कि जलवायु कार्रवाई स्थिरता और सामाजिक न्याय दोनों को मज़बूत करे।

RACE IAS

RACE IAS®
Since 2010

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

MAINS TEST SERIES -2025

सामान्य अध्ययन, हिन्दी एवं निबंध

Test No.	Paper	Set	Date	Topic
1	GS	Sectional	01 Nov., 25	Polity + Constitution
2	GS	Sectional	08 Nov., 25	Governance + Social Justice + IR
3	GS	Sectional	15 Nov., 25	History + Art & Culture
4	GS	Sectional	22 Nov., 25	Geography + Indian Society
5	GS	Sectional	29 Nov., 25	Environment & Ecology + Disaster Management
6	GS	Sectional	6 Dec., 25	Science & Tech. + Economy + Internal Security
7	GS 4	Full Length	13 Dec., 25	Ethics Integrity & Aptitude
8	GS 5	Full Length	20 Dec., 25	UP Special
9	GS 6	Full Length	27 Dec., 25	UP Special
10	GS 1	Full Length	3 Jan., 26	GS Paper 1 (Full Syllabus)
11	GS 2	Full Length	10 Jan., 26	GS Paper 2 (Full Syllabus)
12	GS 3	Full Length	17 Jan., 26	GS Paper 3 (Full Syllabus)
13	Essay	Full Length	24 Jan., 26	Essay (All three Section)
14	Hindi	Full Length	31 Jan., 26	Hindi (Full Syllabus)

प्रारंभ 01 नवम्बर 2025

REGISTRATION OPEN

प्रश्नों की प्रकृति

परम्परागत, अवधारणात्मक एवं करेंट अफेयर्स आधारित

Total 14 Tests

6 Sectional Test

8 Full Length Test

Contact for info.:

ALIGANJ	INDIRA NAGAR	ALAMBAGH	KANPUR
7388114444	9044137462	8917851448	9044327779

Scan the QR CODE for more information

RACE IAS

A Leading Institute for Civil Services Examination

PRACTICE IS THE KEY TO SUCCESS

UP PCS

मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज

ENROLL NOW

OFFLINE / ONLINE BATCH | **English / Hindi Medium**

सामान्य अध्ययन (GENERAL STUDIES)

RO/ARO Mains Batch

ADMISSION OPEN

मेंटरशिप प्रोग्राम

- मेन्स PYQ
- Focus on Answer writting skill
- Current Affairs

Special Mentorship Programme for Mains Examination

Online Live Classes through RACE Mobile App

Our Centers

Aliganj	Indira Nagar	Alambagh	Ashok Nagar
Lucknow (U.P.)	Lucknow (U.P.)	Lucknow (U.P.)	Kanpur (U.P.)
Mob.: 7388114444	Mob.: 9044137462	Mob.: 8917851448	Mob.: 9044327779

अभी डाउनलोड करें - RACE IAS मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play | Available on Windows Store

Follow us on :

www.raceias.com